उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता/सदस्यता में गठित विभिन्न उपखण्ड स्तरीय समितियां एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वालो कार्यों/उत्तरदायित्वों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड स्तरीय समिति का नाम	बैठकों का आयोजन	समिति अध्यक्ष/सदस्यो का विवरण	समिति के कार्य
01	**उपखण्ड स्तरीय जन अभियोग एवं सतर्कता समिति (न्याय)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 36(2)/प्र.सु./अनु.3/80/पार्ट जयपुर दिनांक 11 मार्च 1994 द्वारा गठित)	**मासिक**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. उपखण्ड के समस्त विधानसभा सदस्य – सदस्य 03. अनुसूचित जाति/जनजाति में से एक–एक व्यक्ति जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। – सदस्य 04. प्रधान, पंचायत समिति – सदस्य 05. उपखण्ड स्तरीय विभागाधिकारी – सदस्य 06. संबंधित उप अधीक्षक आरक्षी – सदस्य	01. भ्रष्टाचार, असद्भावपूर्ण आचारण, कार्यवाही न करने या अधि–कार्यवाही के विनिर्दिष्ट अभिकथन के मामलों में उपखण्ड स्तर के अधिकारियों के सुसंगत अन्वेषण या परीक्षा करना। यदि आवश्यक हो तो और जांच करना तथा ऐसे असद्भावपूर्ण आचारण या भ्रष्ट कार्य के बारे में अपने विनिर्दिष्ट निष्कर्षो सहित, जन अभियोग निराकरण विभाग तथा संबंधित विभागाध्यक्ष, साथ ही साथ संबंधित जिला कलक्टर को रिपोर्ट प्रेषित करना। 02. आराधिक मामलों का रजिस्ट्रीकरण की समीक्षा। 03. नामान्तरकरणों एवं रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी व अनियमितताओं की जांच। 04. विभिन्न विभागों में संविदा मंजूर करने तथा उनके निष्पादन मे अनियमितताओं संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही/जांच। 05. अपराध तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा उपखण्ड के यातायात नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का पुनरावलोकन। 06. जहां शिकायत की प्रकृति का संबंध कई विभागों से हो तथा वे विभाग सामान्य कार्य प्रक्रिया से सहमत नहीं हो पा रहे हो, वहां उपखण्ड स्तर के विभागों के कार्यकलापों के मध्य समन्वय स्थापित करना। 07. उन शिकायतों की जांच करना, जिनमें वैयक्तिक या जन अभियोगों के निराकरण में विलम्ब का विनिर्दिष्ट अभिकथन हो।

				08. समिति मुख्यतः जनता से प्राप्त शिकायतों पर विचार करेगी। सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर केवल असाधारण मामलों में ही विचार किया जावेगा।
02	**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति (अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(62)/प्र.सु./अनु.3/2004 जयपुर दिनांक 08.08.2018 द्वारा गठित)	**त्रैमासिक**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. उपखण्ड के समस्त विधानसभा सदस्य – सदस्य 03. पुलिस उपाधीक्षक – सदस्य 04. तहसीलदार – सदस्य 05. अनुसूचित जाति तथा जनजाति में से संबधित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य। (गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात) – सदस्य 06. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के भिन्न प्रवर्गों से दो से अनधिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त। (गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात) – सदस्य 07. विकास अधिकारी पंचायत समिति – सदस्य	01. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015 के उपबंधों के कार्यन्वयन, अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15 की उपधारा (11), न्याय तक पहूंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीडित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करना। 02. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
03	**अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पूजा स्थलों के प्रबन्धन एवं वांछनीय उचित व्यवस्था हेतु स्थायी समिति** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(17)/प्र.सु./अनु.3/2002 जयपुर दिनांक 07.12.2009 द्वारा गठित)	**त्रैमासिक**	01. संबंधित उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. संबंधित तहसीलदार – सदस्य 03. सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता सा.नि.वि – सदस्य 04. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.– सदस्य 05. विकास अधिकारी पंचायत समिति/नामित सदस्य – सदस्य 06. थाना अधिकारी/सहायक उप निरीक्षक पुलिस – सदस्य 07. सहायक आयुक्त/निरीक्षक/नामित कार्मिक देवस्थान विभाग – सदस्य	01. उपखण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में स्थिति धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों से संबंधित चल व अचल सम्पत्तियों को सूचीबद्ध कर मिलान किया जाना। 02. पुजारियों व अन्य कर्मचारियों द्वारा भोगराग, पूजा अर्चना आदि क्रियाऐं विधि विधान से सम्पन्न कराई जा रही है अथवा नहीं, की समीक्षा करना। 03. मंदिर को धार्मिक, अध्यात्मिक एवं सामाजिक सरोकरों का केन्द्र बनाने, मंदिरों में उत्सव आदि आयोजित कराने तथा श्रद्धालुओं को मंदिर से जोडने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

				04. मंदिर के भवन एवं उसकी सम्पत्तियों की मरम्मत/विकास की आवश्यकता प्रतीत होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं एस्टीमेट तैयार करना। 05. ग्रामीण अंचलों में स्थित धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण, नाजायज कब्जे तथा अनाधिकृत रूम में काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेदारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढंग सेरोकने की कार्यवाही करने के साथ–साथ उन्हें मुक्त कराने हेतु संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाने का कार्य करेगी। 06. धार्मिक स्थलों की भूमिं का उचित प्रबंध एवं उचित व्यक्तियों को काश्त हेतु अस्थाई रूप से आवंटित करेंगी एवं इससे प्राप्त होने वाली आय को मंदिर के प्रबंध/सेवा पूजा/मंदिर का विकास/जीर्णोद्धार तथा धार्मिक आयोजनों पर उचित व्यवस्था कर प्रयुक्त करायेगी। यह समिति मंदिरों के विकास हेतु श्रद्धालुओं को भी आने के लिए प्रेरित करेंगी। 07. समिति मंदिरों में बिजली एवं पानी के कनेक्शन आदि मंदिर के नाम से लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत होगी। इस हेतु देवस्थान विभाग से किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

04	**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति (रसद)** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.17(15)खा. वि./न्याय/2010 दिनांक 07.12.2015 द्वारा गठित)	**मासिक**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. प्रधान पंचायत समिति – उपाध्यक्ष 03. स्थानीय निकायों के दो सदस्य, जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। – सदस्य 04. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। – सदस्य 05. स्थानीय विधायक – सदस्य 06. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य 07. दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा) – सदस्य 08. समाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा) – सदस्य 09. संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक – सदस्य	01. उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं के लिए आवंटित आवश्यक नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन एवं वितरण पर निगरानी रखना। 02. उचित मूल्य दुकान स्तरीय समितियों के कार्यों की समीक्षा करना
05	**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति (हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(7)/प्र.सु./अनु.3/2015 जयपुर दिनांक 13.05.2016 द्वारा गठित)	**त्रैमासिक**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. जिला पुलिस उपाधीक्षक – सदस्य 03. प्रधान पंचायत समिति – सदस्य 04. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका – सदस्य 05. कार्यकारी अधिकारी कन्टेनमेन्ट जोन – सदस्य 06. मनोनित प्रतिनिधि रेलवे – सदस्य 07. अस्वच्छकारों के कल्याणार्थ और उनके पुनर्गठन से जुडें उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनित संस्थाओं के अधिकतम दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक महिला आवश्यक है। – सदस्य 08. उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनित उपखण्ड स्तर पर वित्तीय एवं साख से जुडा प्रतिनिधि – सदस्य 09. उपखण्ड अधिकारी की राय में अन्य उपखण्ड स्तरीय अधिकारी जो अधिनियम की क्रियान्विति में सहायक हो – सदस्य 10. उपखण्ड स्तर पर स्थित अनुसूचित जाति के विकास से जुडे विभाग का अधिकारी – पदेन सचिव	01. हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों का क्रियान्वयन कर करवाना। 02. उपखण्ड स्तर पर अवस्थित संबंधित समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अस्वच्छकारों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास तथा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का पंजीयन, अनुसंधान एवं अभियोजन कार्य को मॉनिटर करना।

06	**सिलिकोसिस रोग से पीडित व्यक्तियों के प्रमाणीकरण एवं सहायता हेतु टास्क फोर्स** (निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेशांक एफ.8(24)सामान्य / सिलिकोसिस / 16526 दिनांक 03.03.2020 द्वार गठित)	**मासिक**	01. उपखण्ड अधिकारीह – अध्यक्ष 02. विकास अधिकारी – सदस्य 03. तहसीलदार – सदस्य 04. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सदस्य	01.प्रमाणीकरण हेतु लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मेडिकल कैम्पों का आयोजन कर रोगियों की जांच एवं प्रमाण–पत्र जारी करवाना। 02. उपखण्ड क्षेत्र में स्थित खनन अथवा पत्थर की कटाई–पिसाई क्रशर इत्यादी से संबंधित ईकाईयों पर नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर सिलिकोसिस से बचाव हेतु किए गए प्रयास एवं प्रयुक्त तकनीक व मशीनरी आदि की जांच करना। 03. नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को रोग के संबंध में जागरूक करने हेतु किए गए प्रयास एवं श्रमिकों की नियमित चिकित्सकीय जांच की समीक्षा करना। 04. क्षेत्र में पदस्थापित प्रदुषण नियंत्रण मंडल के अधिकरी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी एवं खनन अभियंता के साथ मिलकर BOCW Act 1996, MMDRA 2015 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करना।
07	**ब्लॉक निष्पादक समिति (शिक्षा)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(27) / प्र.सु. / अनु.3 / 2015 जयपुर दिनांक 24.10.2018 द्वारा गठित)	**मासिक**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 03. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य 04. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम – सदस्य 05. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी– द्वितीय – सदस्य 06. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य 07. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 08. सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम – सदस्य 09. सहायक अभियन्ता, सा.नि.विभाग – सदस्य 10. सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग – सदस्य 11. ब्लॉक प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग – सदस्य 12. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 13. अन्य समस्त संस्था प्रधान – सदस्य	01. यह समिति ब्लॉक में स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग करेगी। 02. यह समिति अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेगी।

08	**उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति** (पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3(2)पर्यटन/90/पार्ट जयपुर दिनांक 28.02.2017 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. तहसीलदार – सदस्य 03. उप कोषाधिकारी – सदस्य 04. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग – सदस्य 05. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. – सदस्य 06. सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम – सदस्य 07. सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग – सदस्य 08. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य 09. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/सचिव ग्राम पंचायत – सदस्य	01. राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं बिसरती निधि को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना। 02. प्रदेश के जनजीवन को प्रेरणा देने वाले स्थलों, स्मारकों, प्राचीन वस्तुओं को संवर्द्धित, संरक्षित करने व प्रेरणादायी जीवन को परिदृश्य संग्रहालय, गैलेरिज एवं अन्य दर्शनीय माध्यमों से स्थायी प्रकृति के कार्य करवाना एवं पर्यटन व तीर्थाटन के लिये विकसित करना। 03. प्रदेश में प्रचलित प्रदर्शनकारी कला, संगीत, भाषा एवं साहित्य के उत्थान की दिशा मे कार्य करना। मूर्तिकला, शिल्पकला, मेलों, सभ्यता, खानपान, वस्तुशिल्प, स्थापत्य कला, तीर्थस्थलों, प्राकृतिक स्थलों, झीलों आदि के संरक्षण एवं विकास कार्य करवाना एवं इस हेतु जन एवं संस्थागत सहयोग प्राप्त करना।
09	**ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति (समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(34)/प्र.सु./अनु.3/2013 जयपुर दिनांक 19.09.2013 द्वारा गठित)	**त्रैमासिक अथवा आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – उपाध्यक्ष 03. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 05. पंचायत समिति प्रतिनिधि/पार्षद – सदस्य 06. कृषि प्रसार अधिकारी – सदस्य 07. प्राचार्य, आंगनबाडी प्रशिक्षण – सदस्य 08. स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि – सदस्य 09. बाल विकास परियोजना अधिकारी – समन्वयक 10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका (शहरी क्षेत्र हेतु) – सदस्य 11. संबंधित महिला पर्यवेक्षक (केवल चयन समिति की बैठक हेतु) – सदस्य 12. संबंधित वार्ड पार्षद (केवल चयन समिति की बैठक हेतु) – सदस्य	01. ब्लॉक के सभी आबादी क्षेत्रों/कच्ची बस्तियों विशेषकर अनु.जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को शामिल करने हेतु विभिन्न मुद्दों की निगरानी एवं समीक्षा करना। 02. आंगनवाडी केद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पूरक पोषाहार के पंजीकृत और वास्तविक लााभार्थियों का सेक्टरवार सर्वे की जनसंख्या के विरूद्ध विश्लेषण करना। 03. बच्चों का समयबद्ध टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। 04. पंचायतीराज संस्थानों तथा जन समुदाय की भागीदारी द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों पर सेवा प्रदान करने की निगरानी तथा समन्वय। 05. आंगनबाडी केन्द्रों पर आधारभूत संरचना का निर्माण।

				06. समेकित बाल विकास सेवाऐं कर्मियों का गैर समेकित बाल विकास सेवाएं गतिविधियों में नियोजन तथा उनका ऐसे नियोजन से रोकन/मुक्त कराने की व्यवस्था करना। 07. व्यक्ति समुदाय अथवा अन्य माध्यम से आईसीडीएस सेवाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों जैसे आंगनबाडी केन्द्र के कार्यक्रमों की नियमितता, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता तथा आईसीडीएस कार्मिकों से संबंधित पर कार्यवाही करना। 08. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय सेवा पर चयन करना, हटाना एवं अवकाश आदि अन्य विधिक मामलों की समीक्षा करना।
10	**ब्लॉक अभिसरण योजना समिति (आईसीडीएस)** **(Block Convergence Planning Committie)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(27)/प्र.सु./अनु.3/2018/139732 जयपुर दिनांक 03.08.2018 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – उपाध्यक्ष 03. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 05. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य 06. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग – सदस्य 07. पंचायत प्रसार अधिकारी – सदस्य 08. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सदस्य 09. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक – सदस्य 10. प्रधान, पंचायत समिति – सदस्य 11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका – सदस्य 12. संबंधित पांच महिला पर्यवेक्षक – सदस्य 12. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य सचिव	01. ग्राम/आंगनवाडी केन्द्र स्तर पर आवश्यक कार्यों का आवश्यकता आंकलन एवं संकलन करना। 02. पंचायतीराज प्रतिनिधियों को आवश्यकताओं के आंकलन में सक्रिय रूम से शामिल करना। 03. ब्लॉक अभिसरण योजना को जिला अभिसरण योजना में समाहित करने एवं जिला कलेक्टर के अनुमोदन के लिए जिला अधिकारियों को देना। 04. ग्राम स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता दिवस में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी।
11	**किराया राशि निर्धारण समिति (आईसीडीएस)** (निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(3)/मो./किराया	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य सचिव 03. सहायक अभियन्ता, सा.नि. वि. – सदस्य 04. संबंधित महिला पर्यवेक्षक – सदस्य	01. किराये पर संचालित आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों के लिए भारत सरकार द्वारा देय किराया राशि का निर्धारण करना।

	वृद्धि/आईसीडीएस/2003/22239 दिनांक 28.02.2020 द्वारा आदेशित एवं 12.12.2018 द्वारा गठित)			02. किराया वृद्धि हेतु प्राप्त प्रस्तावों का सीडीपीओ एवं सहायक अभियन्ताा सा.नि.वि. की संयुक्त भ्रमण/असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के ध्यान में लाया जाकर किराया निर्धारण करवाया जाना। 03. यह समिति एक प्रकार से रेट एक्सेसर के रूम में अथवा उसके अनुमोदनकर्ता के रूप में कार्य करेगी।
12	**ब्लॉक टास्क फोर्स (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ)** (महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 27(1)(36)()/मअ/ एसआरसीडब्ल्यू/बीबीबीपी/गतिविधि/2019–20/16499 दिनांक 21.08.2020 द्वारा आदेशित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य सचिव 03. ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी – सदस्य 04. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य	01. बेटी बचाओं बेटी पढाओ योजना के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु समुचित सहयोग बाबत कार्यवाही करना।
13	**ब्लॉक स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग समिति (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(34)/प्र.सु./अनु.3/2014 जयपुर दिनांक 20.11.2017 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य सचिव 03. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 04. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य	01. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा तथा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायतों का समाधान करना।
14	**मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मॉनिटरिंग समिति** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3/आरएमएससी/विविध/11/824 दि. 02.01.2012 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य 03. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य सचिव 04. तहसीलदार – सदस्य	01. समिति अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगी।
15	**खरीद (कृषि जिंस) केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(13)/प्र.सु./अनु.3/2018 जयपुर दिनांक 17.04.2018 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. जिला रसद अधिकारी – सदस्य 03. उप अधीक्षक पुलिस/थाना अधिकारी – सदस्य 04. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां – सदस्य 05. प्रतिनिधि आर.एस.डब्लू.सी/सी.डब्लू.सी. – सदस्य 06. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति – सदस्य 07. के. सी. एस. एस./खरीद केन्द्र व्यवस्थापक – सदस्य	01. समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिंसों की खरीद का सुचारू क्रियान्वयन 02. खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद में आने वाली समस्याओं का सुगम निराकरण

16	**उपखण्ड स्तरीय सडक सुरक्षा समिति** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(26)/प्र.सु./अनु.3/2009 जयपुर दिनांक 18.07.2016 द्वारा गठित)	**त्रैमासिक**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. क्षेत्रीय वृत्ताधिकारी पुलिस/यातायात प्रभारी – सदस्य 03. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य 04. तहसीलदार – सदस्य 05. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका – सदस्य 06. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 07. उपखण्ड स्तर के सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिकारी (सहायक अभियन्ता से अनिम्न स्तर के) – सदस्य 08. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 09. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वार मनोनित) – सदस्य 10. बस/ट्रक/अन्य ऑटोमोबाईल एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा मनोनित) – सदस्य 11. वाहन डीलर एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि – सदस्य 12. कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक प्रतिनिधि – सदस्य 13. जिला परिवहन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि (मोटर वाहन उपनिरीक्षक से अनिम्न स्तर का) – सदस्य सचिव 14. विशेष आमंत्रित अतिथी – ए. स्थानीय सांसद/विधायक, बी. स्थानीय पंचायत समिति प्रधान, सी. सभापति, नगर पालिका/परिषद	01. परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाा। 02. यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाना। 03. सडक दुर्घटनाओं का अध्ययन, इनसे बचाव, दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सडक दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के सुधार बाबत सुझाव देना। 04. क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलने वाली निजी टैम्पों, टैक्सीयों, बस, मिनी बसों इत्यादि पर नियंत्रण करना। 05. सडक सुरक्षा/परिवहन व्यवस्था हेतु आवश्यक सुझाव देना।
17	**बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति** (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार के आदेश/पत्र क्रमांक प.5(16)/ग्रा.वि./बी.एफ.ए./ ब.भू.चा.वि.बोर्ड/2015/457–488 दिनांक 29.05.2017 एवं 149–160 दिनांक 27.04.2017 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. प्रधान – अध्यक्ष 02. उपखण्ड अधिकारी – सह अध्यक्ष 03. पंचायत समिति सदस्य – सदस्य 04. वन विभाग प्रतिनिधि – सदस्य 05. अधीक्षण अभियंता/सहायक अभियंता भू–संरक्षण – सदस्य 06. सहायक कृषि अधिकारी – सदस्य 07. प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के विषय विशेषज्ञ – विशेष आमंत्रित 08. विकास अधिकारी पंचायत समिति – सदस्य सचिव	01. क्षेत्र में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास हेतु ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास योजना/सुझाव की क्रियान्विती करना।

18	**पेंशन स्वीकृतर्ता प्राधिकारी समिति (ग्रामीण/शहरी)** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 9(5)(12–1)/सा.न्या.अ.वि./ 08–09/ 5495 दिनांक 01.04.2013 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) /अधिशाषी अधिकारी (शहारी क्षेत्र हेतु) – सदस्य 03. प्रधान (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)/सभापति (शहारी क्षेत्र हेतु) – सदस्य	01. पेंशन आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त जांच अधिकारी द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के पास स्वीकृति आदेशों के लिय भेजे जाने पर, ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों का विनिश्चय करना।
19	**नियोजन एवं क्रियान्वयन समिति (राज्य के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में गांवों के स्वैच्छिक विस्थापन बाबत्)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(1)/प्र.सु./अनु.3/2003 जयपुर दिनांक 22.01.2003 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. जिला कलक्टर – अध्यक्ष 02. परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास अधिकरण – सदस्य 03. उपखण्ड अधिकारी – सदस्य 04. जिला कृषि अधिकारी – सदस्य 05. उप निदेशक पशुपालन विभाग – सदस्य 06. गैर राजकीय संस्थायें – सदस्य 07. उप वन संरक्षक संबंधित राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण – सदस्य	01. गांव के रिलोकेशन के संबंध में संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन। 02. ग्रामीणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझाव एवं समस्याओं का यथा संभव समाधान का निपटारा करना। 03. गांव के रिलोकेशन कार्यक्रमों का समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। 04. संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान के अनुसार गांव को रिलोकेट करना।
20	**अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन समिति** (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्रांक प. 25(1)आयु./2018 जयपुर दिनांक 24.04. 2018 द्वारा गठित)	**वार्षिक**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. विकास अधिकारी – सदस्य 03. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 04. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 05. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य 06. अन्य समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण – सदस्य 07. ब्लॉक में संचालित राजकीय/निजी महाविद्यालय व विद्यालय प्रतिनिधि – सदस्य 08. योग क्षेत्र में कार्यरत अन्य कोई संस्थान, व्यक्ति जिसे उपखण्ड अधिकारी शामिल करना उपयोगी समझें – सदस्य 09. उपनिदेशक, आयुर्वेद द्वारा नामित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी – नोडल अधिकारी	01. ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों/आयोजन स्थल, मुख्य अतिथि, योग प्रशिक्षकों का निर्धारण, पंचायत नोडल अधिकारियों का निर्धारण। 02. ब्लॉक में कार्यरत समस्त केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों तथा स्वयंसेवी संगठन व संस्थाओं की सहभागिता एवं दायित्वों का निर्धारण करना। 03. कार्यक्रम आयोजन स्थल से संबंधित आवश्यक समस्त व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता।
21	**उपखण्ड स्तरीय प्रतिभा खोज समिति राजस्थान युवा बोर्ड (युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव)** (राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.1(77)रायुबो/2017	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. उपाधीक्षक पुलिस – सदस्य 03. तहसीलदार – सदस्य 04. अधिशाषी अधिकारी – सदस्य	01. क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज करके, उन्हे प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति की सुविधा देकर, राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु तैयार कर उनको स्वावलम्बी बनाना।

	जयपुर दिनांक 13.11.2017 द्वारा गठित)		05. जिला युवा समन्वय, एन.वाई.के.एस. प्रतिनिधि – सदस्य 06. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 07. राष्ट्रीय सेवा योजना प्रतिनिधि – सदस्य 08. ब्लॉक में कार्यरत संगीत संस्थान प्रतिनिधि – सदस्य 09. राजस्थान युवा बोर्ड के मनोनित सदस्य – सदस्य 10. सी.ओ. भारत स्काउट एण्ड गाईड – सदस्य	
22	**तालुका विधिक सेवा समिति** (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. क्षेत्रीय/तालुका का ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी – अध्यक्ष 02. उपखण्ड अधिकारी – सदस्य	01. तालुक/उपखण्ड में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना। 02. तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजना करना। 03. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकारण उसे समनुर्दिष्ट करें।
23	**उपखण्ड स्तरीय कार्यदल** **(नीम–हकीमों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु)** **(तहसीलदा–सदस्य)** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 17(3)चिस्वा/2/2004 जयपुर दिनांक 09.01.2020 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. तहसीलदार – अध्यक्ष 02. उपाधीक्षक पुलिस – सदस्य 03. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 04. उप निदेशक, आयुर्वेद द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य 05. औषधि नियंत्रण अधिकारी – सदस्य	01. नीम–हकीमों के द्वारा किये जा रहे चिकित्सा कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखना एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करना।
24	**ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति** **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाईजी/एम–1/जीओआई/2017–18 जयपुर दिनांक 21.03.2018 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. विकास अधिकारी – सदस्य 03. तहसीलदार – सदस्य 04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 05. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य	01. ग्राम सभा से अनुमोदित समस्त प्रस्तावों का ब्लॉक स्तर पर कन्ट्रोल रजिस्टर में ग्राम पंचायतवार संधारण करवाना। 02. ग्राम सभाओं से अनुमोदित समस्त प्रकरणों का कन्ट्रोल रजिस्टर में संधारण उपरान्त प्रापत प्रस्तावों के भौतिक सत्यापन हेत विशेष जांच दल का गठन करना। 03. प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच उपरान्त नियमानुसार ठीक पाये गये सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करना। 04. अनुमोदन पश्चात सभी प्रस्तावों को अभिशंषा के साथ जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करना।

25	**उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति** (जनजाति क्षेत्री विकास विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्रांक एफ28() पार्ट IV/ राज्य.स्त.नि.कमेटी/ टीएडी/2015 दिनांक 21.06.2019 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. उपखण्ड का भारसाधक वन अधिकारी – सदस्य 03. नगर निकाय के तीन सदस्य जिन्हे नगर निकाय द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा, जिसमें कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगें – सदस्य 04. जनजातीय कल्याण विभाग का उपखण्ड का भारसाधक अधिकारी – सदस्य	01. वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के संबंध में नगर निगम/नगर निकाय के बीच विवादों की सुनवाई करना और उनका न्याय निर्णय करना। 02. नगर निकाय/नगर निगम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अन्तर्गत राज्य अभिकरण भी है, अर्जियों की सुनवाई करना। 03. वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे मे जागरूकता पैदा करना। 04. यह सुनिश्चित किया जाना कि नगर निकाय/नगर निगम सभाओं के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति से किये जाते है।
26	**सिटी लेवल निगरानी समिति (स्वच्छ भारत मिशन)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(9)/प्र.सु.वि./अनु.3/2015 जयपुर दिनांक 12.02.2015 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. सभापति, नगर पालिका – अध्यक्ष 02. उपखण्ड अधिकारी – सदस्य 03. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – सदस्य 04. दो निर्वाचित पार्षद – सदस्य 05. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि./पीएचईडी – सदस्य 06. दो विषय विशेषज्ञ – सदस्य 07. दो प्रतिनिधि एन.जी.ओ./आर.डब्लू.ए. – सदस्य 08. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका – सदस्य सचिव 09. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य	01. स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना। 02. शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड समिति, ऐरिया सभा, रेजीडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिऐशन, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की गाईड लाईन के अनुसार मिशन के कार्यों को पूर्ण करना।
27	**उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सर्तकता समिति** (श्रम विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.13(1)ब.श्र./ मीटिंग/ एनएचआरसी/ श्रम/ 17/ पार्ट–2 /7429 दिनांक 03.05.2017 द्वारा गठित)	**प्रत्येक दो माह में एक बार**	01. उपखण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष 02. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – सदस्य 03. तहसीलदार – सदस्य 04. बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य 05. उपखण्ड में वित्तीय तथा ऋण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक व्यक्ति, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जावेगा। – सदस्य	01. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 एवं नियम 1976 के उपबंधों को समुचित रूम से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के संबंध में जिला कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देना। 02. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना।

			06. एक अधिकारी, जो धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है और उपखण्ड में कार्य कर रहा है।(सहायक कलक्टर) – सदस्य 07. तीन व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों और उपखण्ड के निवासी हों, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जावेंगे। – सदस्य 08. दो सामाजिक कार्यकर्ता जो उपखण्ड के निवासी हो, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जावेंगे। – सदस्य	03. बंधक श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज आपराधिक प्रकरणों की संख्या पर निगरानी रखना। 04. यह सर्वेक्षण करना कि क्या ऐसा कोई अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिये था। 05. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक या उसके कुटुम्ब के सदस्य या उस पर आश्रित व्यक्ति विरूद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिये हो, जिसका दावा अंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। 06. पुनर्वासित बंधक श्रमिकों को दी गई वित्तीय सहायता, राज्य में चल रही अन्य योजनाओं मे लाभान्वित करने की समीक्षा करना, बैंक एवं सहकारी समितियों से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। 07. क्षेत्र मे बंधक श्रमिक प्रभावी क्षेत्र जैसे ईट–भट्टा, पत्थर की खानें, बडे कृषि फार्म, गलीचा उद्योग, होटल एवं कारखानें आदि की विशेष निगरानी की व्यवस्था एवं ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण आवश्यक रूप किया जाना।
28	**सडक निर्माण/ सुधार/ पेचरिपयेर /मरम्मत कार्यों के भौतिक सत्यान हेतु गठित समिति** (Rajasthan Urban Drinking Water Sewaerage and Infrastructure Corporation Ltd. (RUDSICO) के आदेशाांक F.17(1)RUDSICO/Road Repair/Restoration Work/2017-18/4339 Dated 06-03-2019 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड मजिस्ट्रेट – सदस्य 02. अधिशाषी अधिकारी, – सदस्य 03. कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका – सदस्य	01. अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्त नगर निकायों में सडक निर्माण/सुधार/पेचरिपेयर /मरम्मत कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाना। 02. उक्त कार्यों की वित्तीय प्रगति एवं गुण्वत्ता रिपोर्ट तथा समय–समय पर स्वायत्त शासन विभाग एवं रूडसिकों से जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट कार्यकारी निदेशक रूडसिकों को भिजवाया जाना।

29	**उपखण्ड लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति (राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत)** (प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–1 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प13(1)/प्र.सु./अनु.1/2012 जयपुर दिनांक 24.07.2012 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. प्रधान – सदस्य 03. उपाधीक्षक पुलिस – सदस्य 04. अध्यक्ष नगर पालिका – सदस्य 05. उपखण्ड स्तरीय लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति में राज्य सरकार द्वारा मानोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्यों में से एक सदस्य जिला कलक्टर द्वारा नामित किया जायेगा। – सदस्य 06. उपखण्ड स्तरीय लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्यों में से एक सदस्य जिला कलक्टर द्वारा नामित किया जायेगा। (महिला सदस्य को वरीयता दी जावेगी) – सदस्य	01. यह समिति पंचायत स्तर के प्रकरणों में द्वितीय अपील प्राधिकारी के रूप में प्रकरणों पर सुनवाई करने के लिए प्राधिकृत है।
30	**उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति**	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी 02. तहसीलदार 03. अधिशाषी/सहायक अभियन्ता सा.नि.वि.	01. बाढ/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के रिस्टोरेशन संबंधी कार्यों के प्रस्ताव अपनी अभिशंषा उपरान्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित करना। 02. आपदा के समय करवाये गये कार्यों के बिलों का सत्यापन करवाया जाना।
31	**उपखण्ड स्तरीय पेयजल समीक्षा समिति** (आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ4(1) आ.प्र.एवंस.आ./ पेयजल/2011 /3551–70 दिनांक 18.03.2011 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग – सदस्य सचिव 03. विकास अधिकारी – सदस्य 04. तहसीलदार – सदस्य	01. उपखण्ड के आबादी क्षेत्रों में जहां नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास करना कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था करवाई जाकर, पेयजल की आपूर्ति की जाए। 02. स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की संभावना कम/नगणय होने की दशा में ऐसे गांव जहां अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण पेयजल स्त्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं, तथा 1.6 किमी की परिधि

				में कोई भी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहां संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था किया जाना। 03. ऐसे गांव जहां पेयजल योजनाऐं विद्यमान है परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है वहां भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि मे करवाया जाना। 04. पेयजल परिवहन हेतु स्थान का चयन करना।
32	**उपखण्ड स्तरीय बी.पी.एल. अपील प्राधिकारी** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग–14 राजस्थान सरकार का पत्रांक प.2(11)ग्राविवि/ 4/2004 जयपुर दिनांक 25.09.2006 द्वारा प्राधिकृत/गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	01. राज्य सरकार द्वारा जारी बीपीएल सेन्सस 2002 के विरूद्ध पात्र व्यक्तियों द्वारा नाम जुडवाने व अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने हेतु प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करवाया जाना। 02. उपखण्ड अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी के रूप में प्राधिकृत है। 03. अपील प्रक्रिया का पूर्णतया पालना करवाया जाना।
33	**छात्रावास/विद्यालय प्रबंधन परिषद/ हॉस्टल गार्जियन** (F13()TAD/EMRS and NEW EMRS/2020-14 Jaipur Dated 22-09-2020 And F13()TAD/Ashram hostels/2020 Jaipur Dated 17-09-2020 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. स्कूल गार्जियन के रूप में मनोनित जिला प्रशासन का अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) – संरक्षक 02. स्थानीय सरपंच/नगरीय निकास सदस्य – उपसंरक्षक 03. संस्था प्रधान – संयोजक 04. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित अभिभावक प्रतिनिधि – उपसंयोजक 05. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित शिक्षक प्रतिनिधि – उपसंयोजक 06. पुस्तकालयाध्यक्ष – सदस्य 07. शारीरिक शिक्षक/कोच – सदस्य 08. हॉस्टल वार्डन – सदस्य 09. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित निम्नलिखित छात्र/छात्रा पदाधिकारी – सदस्य 1. साहित्यिक सचिव	01. विद्यालय/छात्रावास में अध्ययन एवं निवासरत छात्र/छात्राओं का शैक्षणिकख्ख सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी विकास सुनिश्चित करना तथा इस हेतु विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित करना। 02. परिसर में कोर्स/कैरियर गाईडेन्स हेतु विशिष्ट व्यक्तियों का व्याख्यान व विद्यार्थियों से संवाद आयोजित करना। 03. विश्व आदिवासी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयन्ती, बाल दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि के अवसर पर कविता, कहानी निबन्ध प्रतियोगिता,

			2. उप साहित्यिक सचिव 3. सांस्कृतिक सचिव 4. उप सांस्कृतिक सचिव 5. क्रीडा सचिव 6. उप क्रीडा सचिव 7. परिसर सचिव 8. उप परिसर सचिव 9. भोजनालय सचिव 10. उप भोजनालय सचिव	आशुभाषण/वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला, नृत्य/गीत प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। 04. परिसर में स्वच्छता, वृक्षारोपण एवं सुपोषण वाटिका हेतु विशेष अभियान संचालित करना। 05. स्कूल/हॉस्टल का यथासंभव प्रत्येक माह संस्था के कार्य दिवस अथवा अवकाश दिवस में भ्रमण किया जाना। 06. स्कूल/हॉस्टल गार्जियन द्वारा स्कूल/हॉस्टल से संबंधित किसी भी समस्या को समाधान हेतु आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर व क्षेत्रीय उपायुक्त अथवा संबंति अधिकारी के ध्यान में लाया जाना। 07. स्कूल/हॉस्टल गार्जियन स्कूल/हॉस्टल के मित्र/मार्गदर्शक एवं दार्शनिक मित्र/के तौर पर परामर्शदात्री की भूमिका पालन किया जाना। 08. स्कूल/हॉस्टल प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना, किन्तु यदि उनके द्वारा विद्यालय/छात्रावास प्रशासन में कोई गंभीर अनियमितता लक्षित की जाती है, तो इस तत्काल प्रभाव से आयुक्त जनताति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर एवं सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाया जाना।
34	**अवैध खनन एस.आई.टी.** (खान विभाग ग्रुप 2 राजस्थान सरकार के पत्रांक प.20(118)खान /ग्रुप–2 /2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 02.02. 2016 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी 02. उपाधीक्षक पुलिस 03. निरीक्षक/उपनिरीक्षक परिवहन 04. ए.सी.एफ./रेंजर वन विभाग	01. क्षेत्र में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना। 02. अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर गोपनीय तरीके से अवैध खनन स्थल पर पहूंच कर बिना स्थानीय अधिकारियों को सूचित किये औचक छापामारी की कार्यवाही कर अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना।

				02. खातेदारी भूमि पर अवैध खनन होने पर एवं खान विभाग की अथवा अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारी नियमों का अनुसरण कर खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही करना।
35	आवंटन सलाहकार समिति **Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 के तहत गठित**	**आहूत किये जाने पर**	Allotment shall be made by the Sub-Divisional Officer in consultation with an Advisory Committee consisting of- (i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly in whose constituency the land is situated; (ii) the Pradhan of the Panchayat Samiti having jurisdiction; (iii) the Sarpanch of the Panchayat having jurisdiction; (iv) the Vikas Adhikari of the Panchayat Samiti having jurisdiction; (v) the Tehsildar of the Tehsil having jurisdiction; (vi) a person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe to be nominated by the Panchayat Samiti from amongst its members; and (vii) a person to be nominated by the State Government in areas in which such nomination is considered necessary in public interest	01. यह समिति Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 में प्रदत्त निर्देशानुसार कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन किय जाने का कार्य सम्पादित करेगी।
36	**उपखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना)** (सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक फा.97()सविरा/बैंक–6/पी.एम. किसान/2019 दिनांक 19.02.2019 द्वारा गठित)	**आहूत किये जाने पर**	01. उपखण्ड अधिकारी – अध्यक्ष 02. तहसीलदार – सदस्य 03. विकास अधिकारी – सदस्य 04. सहायक निदेशक/सहायक कृषि अधिकारी – सदस्य 05. प्रोग्रामर/सूचना सहायक DOIT –सदस्य 06. निरीक्षक, सहकारिता विभाग – सदस्य 07. ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय – सदस्य 08. शाखा प्रबन्धक, एस.सी.सी.बी. – सदस्य	01. यह समिति योजना के सफल क्रियान्वयन, पात्र परिवारों का चयन एवं परिवेदना निस्तारण का कार्य करेगी।

37	उपखण्ड स्तरीय जल स्वावलम्बन समिति		1 Sub Divisional Officer (S.D.O.) - Chair Person 2 Agriculture Department - Member 3 Animal Husbandry Department - Member 4 Horticulture Department - Member 5 Forest Department** - Member 6 Public Health Engineering Department - Member 7 Water Resource Department - Member 8 Ground Water Department - Member 9 Industries Department - Member 10 Two registered NGO's (Nominated by Distt. Collector) - Member 11 Assistant Engineer, WDSC Department - Member 12 Vikas Adhikari, Panchayat Samiti - Secretary Member	01. यह समिति जल स्वावलम्बन अभियान की सतत् मॉनिटरिंग एवं समीक्षा का कार्य करेगी।
38	रोगी कल्याण एवं मॉनिटरिंग समिति	आहूत किये जाने पर	1. Sub Divisional Magistrate - Chairperson 2. District programme officer (deputy CMO or equivalent) in charge - Co-Chairperson 3- A Senior Medical Officer of the Hospital, nominated by Officer-incharge of the hospital Superintendent of the hospital - Member-Secretary 4. Officer-in-charge of the hospital - Member 5. An AYUSH doctor from a CHC - Member 6. Block level officers of ICDS, rural development, Panchayati Raj, Water and sanitation, education and social welfare . - Member 7. Representative of health sector NGO working in the area - Member 8. An eminent citizen from the town / city, nominated	01. यह समिति सतत् मॉनिटरिंग एवं मरीजों से फीडबैक प्राप्त कर सुविधाओं की समीक्षा करेंगी।

			by the District Collector - Member 9. An eminent citizen from the town / city, nominated by the Chairperson, Panchayat Samiti, Chief Executive Officer, Nagar Nigam (if applicable) - Member 10. Associate members/Institutional members: Same as for District Hospital Society - Member 11. PRI representative - Member	
39	ब्लॉक टास्क फोर्स (पोलियो)	**आहूत किये जाने पर**		01. यह समिति राष्ट्रीय महत्व के पोलियो वेक्सीनेशन कार्यक्रम सतत् मॉनिटरिंग का कार्य करेगी।

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक:प. 36(2)प्र. सु. /अनु. 3/80/पार्ट   जयपुर, दिनांक: 11 मार्च, 1994

– आज्ञा –

विषय:– राज्य के समस्त जिलों के उपखण्डों में जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की स्थापना ।

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक: प. 36(2)प्र. सु. -1/80 दिनांक 25. 1. 80 के अतिक्रमण में माननीय राज्यपाल, राज्य के समस्त जिलों के प्रत्येक उप खण्ड में एक उप खण्ड जन अभियोग एवं सतर्कता समिति का गठन करते हैं । समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

1– उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2– उप खण्ड के समस्त विधानसभा सदस्य	सदस्य
3– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से एक-एक व्यक्ति जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा	सदस्य
4– पंचायत समितियों के प्रधान तथा दो सरपंच जिनके नाम निर्देशन पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा	सदस्य
5– उप खण्ड स्तर के विभागीय अधिकारी	सदस्य
6– संबंधित उप अधीक्षक आरक्षी	सदस्य

2– उपरोक्त समिति का अध्यक्ष, उप खण्ड जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठकों में निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों के स्थानीय अधिकारियों को, उनके विभागों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिये, सहयोजित करने हेतु भी प्राधिकृत है ।

3– यह समिति भ्रष्टाचार तथा जन अभियोगों यथा विद्युत कनेक्शनों की स्वीकृति, अपराधिक मामलों के रजिस्ट्रीकरण, नामान्तरणों के रजिस्ट्रीकरण में होने वाली देरी, जमीनों के वितरण में अनियमितताओं, जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं से धन की मांग तथा उसका उपयोग एवं विभिन्न विभागों में संविदा मंजूर करने तथा उनके निष्पादन में अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतों पर कार्यवाही करेगी ।

4– यह समिति निम्नलिखित रीति से कार्य करेगी :–

(क) (1) समिति मास में कम से कम एक बार, काफी पहले से ही अवधारित एवं भली भांति प्रचारित किसी नियत दिनांक को जिससे कि जनता तथा समस्त इच्छुक व्यक्तियों को सुने जाने का अवसर सुलभ हो सके, उप खण्ड स्तर पर सावधिक बैठकें आयोजित करेगी । समिति की बैठकों के कार्यवृत्त कलेक्टर को भेजे जायेंगे ।

कृ. पृ. उ.

(2) समिति अपराध तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा उपखण्ड के यातायात नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का पुनरावलोकन करेगी । समिति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित [illegible] वर्गों के सदस्यों पर ज्यादतियों के [illegible] की उपलब्धता तथा वितरण सहित उपयुक्त [illegible] निवारक तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए [illegible] ।

(ख) जहाँ शिकायत की प्रकृति का संबंध कई विभागों से हो [illegible] सामान्य कार्य प्रक्रिया से सफल नहीं हो पा रहे हों, वहाँ यह समिति [illegible] उप खण्ड स्तर के विभागों के कार्यकलापों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(ग) यह समिति उन शिकायतों के बारे में जांच करने में सक्षम होगी जिनमें वैयक्तिक या जन अभियोगों के निराकरण में विलम्ब का विनिर्दिष्ट अभिकथन किया गया हो । इस प्रयोजन के लिए समिति, उप खण्ड स्तर के संबंधित अधिकारी से अभिलेख मंगाने तथा उसके साथ सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात् उप खण्ड स्तर के संबंधित अधिकारी द्वारा विधि के अनुसार, अभियोगों के निराकरण में शीघ्रता के लिए समुचित निर्देश देने में सक्षम होगी । समिति अभियोगों के निराकरण के लिए समय की परिसीमा नियत करने में भी सक्षम होगी । यदि उप खण्ड स्तर का संबंधित अधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन नहीं करे तो उस दशा में मामला संबंधित जिला स्तरीय विभाग तथा जिले के कलेक्टर को निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(घ) भ्रष्टाचार, असद्भावपूर्ण आचरण, कार्यवाही न करने या अधि-कार्यवाही के विनिर्दिष्ट अभिकथन के मामले में समिति उप खण्ड स्तर के अधिकारी के सुसंगत अभिलेख का परीक्षा करने के लिए सक्षम होगी तथा यदि आवश्यक हो तो और जांच करेगी तथा ऐसे असद्भावपूर्ण आचरण या भ्रष्ट कार्य के बारे में उस पर अपने [illegible] निष्कर्षों सहित, जन अभियोग निराकरण विभाग तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, साथ ही साथ संबंधित जिले के कलेक्टर को रिपोर्ट देगी ।

(ङ) यह समिति राज्य सरकार/राज्य सतर्कता आयोग/जन अभियोग निराकरण [illegible] द्वारा इसको सौंपी गयी किसी भी विनिर्दिष्ट शिकायत का अन्वेषण करने [illegible] सक्षम होगी तथा उस पर अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देगी ।

(च) अभियोगों पर कार्यवाही करने वाले उप खण्ड प्राधिकारियों द्वारा [illegible] कार्यवाही के बारे में सूचना का प्रचार करने में सहायता प्रदान करने के [illegible] समिति को, जिले में पदस्थापित जन सम्पर्क अधिकारी की सेवा उपलब्ध होनी चाहिए ।

(ग) समिति को ऐसे व्यक्तियों/संगठनों का पता लगाना चाहिए जिनका सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टकारी प्रभाव हो तथा उनकी रिपोर्ट सरकार/कलेक्टर तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को देनी चाहिये । इसी प्रकार इस समिति को उन समाचार पत्रों का भी पता लगाना चाहिये जो सरकारी कर्मचारियों को [illegible] करने में लगे रहते हैं तथा इस प्रकार इन्हें अपने समुचित कृत्यों का निर्वहन करने से रोकते हैं । इस समुचित कार्यवाही के लिये इसकी सूचना कलेक्टर/सरकार को देनी चाहियें । ऐसे समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देना बन्द कर दिया जाना चाहिये तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए अन्य उपायों पर [illegible] विचार किया जाना चाहिये ।

(घ) अधिकारियों द्वारा तहसीलों तथा पुलिस थानों के सामयिक दौरों तथा निरीक्षणों के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेश जन अभियोगों के निराकरण में काफी हद तक सहायक होंगे । समिति को इस बारे में समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के क्रियान्वयन का पुनरावलोकन भी करना चाहिये ।

(ङ) समिति द्वारा कार्यकरण की प्रक्रिया में कोई कठिनाई महसूस करने की दशा में मामला सम्बन्धित कलेक्टर तथा जन अभियोग निराकरण विभाग के सचिव के ध्यान में लाया जायेगा ।

(च) जहां आवश्यक हो, समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा तथा इसे समिति के समक्ष रखेगा और यदि समिति यह महसूस करे कि सम्बन्धित अधिकारी वास्तव में गलती पर है तो समिति सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सिफारिश कर सकती है ।

(छ) समिति मुख्यतः जनता से प्राप्त शिकायतों पर विचार करेगी / सरकारी अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों पर केवल असाधारण मामलों में ही विचार किया जायेगा ।

(ज) इस समिति में मात्र उपखण्ड क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से संबंधित शिकायतों ही प्राप्त की जा सकेंगी ।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग जन अभियोग निराकरण विभाग होगा

आदेश से,

(टी. आर. वर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- [illegible] जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

2- [illegible] उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान (सदस्यों की अतिरिक्त प्रतियों सहित)

क्र. पृ. उ.

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग

क्रमांक प.6(62)प्र.सु./अनु.–3/2004/ 61766 जयपुर, दिनांक 01.08.2018

आज्ञा

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लागू किए गए अनुसूचित जाति और जनजाति ,अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम 17(क) के तहत निम्नानुसार उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानिटरिंग समिति का गठन करने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सब डिविजन मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. उपखण्ड से राज्य विधान सभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्य	सदस्य
3. उपखण्ड से अनुसूचित जातियो एवं जनजातियो से संबन्धित पंचायतीराज संस्थाओ के निर्वाचित सदस्य	सदस्य
4. पुलिस उप अधीक्षक	सदस्य
5. सब डिविजन क्षेत्र के तहसीलदार	सदस्य
6. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य। (गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात्)	सदस्य
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भिन्न प्रवर्गों से दो अनधिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त (गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात्)	सदस्य
8. ब्लॉक विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन, अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15 क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

उक्त समिति में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से अनुमोदन लेकर किया जायेगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत भी राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है। अतः यह समिति उक्त अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्य करते हुए अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

उक्त समिति का स्वरूप स्थायी होगा तथा इसका प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान होगा।

आज्ञा से

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प.6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 **जयपुर, दिनांक 07.12.2009**

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.05.2002 के अतिक्रमण में **राज्य के ग्रामीण अंचलों में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पूजा स्थलों के प्रबन्धन एवं वांछनीय उचित व्यवस्था करने हेतु** महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर निम्नलिखित नवीन स्थायी समिति का गठन एतदद्वारा किया जाता है -

क्र.सं.	**पदाधिकारी**	**समिति में पद**
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	**अध्यक्ष**
2	संबंधित तहसील का तहसीलदार	**उपाध्यक्ष**
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग का संबंधित तहसील का सहायक अभियन्ता या उनके द्वारा नामित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	सदस्य
4	संबंधित तहसील के विद्युत निगम का सहायक अभियन्ता	सदस्य
5	संबंधित पंचायत समिति का विकास खण्ड अधिकारी (BDO) द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो प्रसार अधिकारी से कम स्तर का नही हो	सदस्य
6	संबंधित पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो सहायक उप निरीक्षक से कम स्तर का नहीं हो	सदस्य
7	संबंधित वृत्त का सहायक आयुक्त, देवस्थान अथवा संबंधित वृत्त का निरीक्षक, देवस्थान अथवा संबंधित वृत्त के सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा नामित विभागीय कार्मिक	सदस्य-सचिव **(समन्वयक)**

उक्त समिति द्वारा निम्न कार्यों को सम्पादित किया/कराया जायेगा:-

1 संबंधित तहसील के अन्तर्गत के ग्रामीण अंचलों में स्थित धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों से संबंधित समस्त चल व अचल सम्पत्तियों को सूचीबद्ध किया जाकर उपलब्ध सूची से मिलान करेगी एवं उसका भौतिक सत्यापन का मौका रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड अधिकारी/सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को प्रस्तुत करेगी।

2 उक्त समिति धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों में परम्परा और आस्था के अनुरूप पुजारियों व अन्य कर्मचारियों द्वारा भोगराग, पूजा अर्चना, आदि की क्रियाएं विधि विधान से सम्पन्न कराई जा रही है अथवा नहीं , की समीक्षा करेगी।

3 उक्त समिति मंदिर को धार्मिक , आध्यात्मिक एवं सामाजिक सरोकारों का केन्द्र बनाने , मंदिरों में उत्सव आदि आयोजित कराने तथा श्रद्धालुओं को मंदिर से जोडने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।

4 मंदिर के भवन एवं उसकी सम्पत्तियों की मरम्मत/विकास की आवश्यकता प्रतीत होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं एस्टीमेट (तकमीना) तैयार करेगी।

5 मंदिरों की दैनिक क्रिया तथा विशेष क्रिया आदि के समय एवं सुचारू व्यवस्था का समन्वय करने का कार्य करेगी। मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर समय-समय पर भरे जाने वाले मेलों/उत्सवों आदि के समय श्रद्धालुओं की सुरक्षा यातायात व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं यथा धूप-छाया , पीने का पानी, शौच व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था, खान-पान व्यवस्था कराएगी तथा मेलों और उत्सवों व अन्य स्त्रोतों से मंदिर की आय में वृद्धि करने के लिए यथा संभव प्रयास करेगी।

6 ग्रामीण अंचलों में स्थित धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण , नाजायज़ कब्जे तथा अनाधिकृत रूप में काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेदारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने की कार्यवाही करने के साथ-साथ उन्हें मुक्त कराने हेतु संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाने का कार्य करेगी।

7 धार्मिक स्थलों की भूमि का उचित प्रबंध एवं उचित व्यक्तियों को काश्त हेतु अस्थाई रूप से आवंटित करेगी एवं इससे प्राप्त होने वाली आय को मंदिर के प्रबंध/सेवा पूजा/मंदिर का विकास/जीर्णोद्धार तथा धार्मिक आयोजनों पर उचित व्यवस्था कर प्रयुक्त करायेगी। यह समिति मंदिरों के विकास हेतु श्रद्धालुओं को भी आने के लिए प्रेरित करेगी।

8 समिति विशेष तौर पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित विभागान्तर मंदिरों तथा उनके साथ दानदाताओं द्वारा मंदिर को दी गई सम्पत्तियां/आबादी भूमियां/राजस्व की कृषि भूमियां संलग्न है , पर विशेष ध्यान देकर उन पर नज़र रखेगी तथा जहां पुजारी/सेवारत अनुपलब्ध है अथवा पुजारी/सेवायत समिति से सहयोग/सहायता चाहते हैं, वहां समिति उपयुक्त कार्यवाही सुझायेगी/अमल में लाएगी।

9 समिति मंदिरों में बिजली एवं पानी के कनेक्शन आदि मंदिर के नाम से लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत होगी। इसहेतु देवस्थान विभाग से किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10 समिति की न्यूनतम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित की जानी आवश्यक होगी। बैठक की सूचना संबंधित सहायक आयुक्त , देवस्थान विभाग द्वारा सभी संबंधित को समय से पूर्व अविलम्ब देनी होगी एवं बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति भी आवश्यक रूप से संबंधित सहायक आयुक्त , देवस्थान विभाग द्वारा सभी संबंधित को भेजी जानी होगी।

उपरोक्त समिति का प्रशासनिक विभाग देवस्थान विभाग होगा।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय देवस्थान मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय देवस्थान राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010 जयपुर, दिनांक 7.12.2015

समस्त,
जिला कलक्टर (रसद),
राजस्थान।

विषयः—सतर्कता समितियों का गठन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण।

महोदय,

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली नियंत्रित वस्तुयें उपभोक्ताओं को समय पर तथा निर्धारित उचित मूल्य पर उपलब्ध हो इस पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने एवं उचित मूल्य दुकानों के कार्य की समीक्षा हेतु सतर्कता समितियों के गठन बाबत पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 11.05.1999 एवं 24.06.2014 का अतिक्रमण करते हुये विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों के गठन, उनके कार्य एवं कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :—

(अ) जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला स्तरीय सतर्कता समिति में निम्न लिखित सदस्य होंगे :—

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4. जिला प्रमुख	सदस्य
5. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति	सदस्य
6. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8. उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9. जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति

1. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. प्रधान पंचायत समिति (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड-अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें)	उपाध्यक्ष
3. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।	सदस्य
4. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जावेगा।	सदस्य
5. स्थानीय विधायक	सदस्य
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य
7. दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
8. सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7 एवं 8 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान सतर्कता समिति

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) शहरी क्षेत्र के लिये

1. वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
3. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य

मनोनयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिये

1. सरपंच	अध्यक्ष
2. उपभोक्ता (एक)	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5. उपभोक्ता/सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता	सदस्य
6. पंच (एक)	सदस्य

मनोनयन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

विभिन्न स्तर पर गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:–

1 उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का कार्य

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का मुख्य कार्य उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं के लिए आवंटित आवश्यक नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन एवं वितरण पर निगरानी रखना होगा। समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकान पर आवंटित की गई नियंत्रित वस्तुएं आवंटनानुसार पहुंचती है एवं उनका नियमानुसार सही उपभोक्ता/लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है।

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर एक प्रति उच्च स्तर की सतर्कता समिति को प्रेषित किया जायेगा। सतर्कता समिति को आवंटित वस्तुओं की सूचना दिये जाने का दायित्व संबंधित जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार का होगा एवं उसका प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा, जिसमें उचित मूल्य की दुकान, संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर आवंटित वस्तुओं की पहुंच एवं कुल आवंटित मात्रा का अंकन किया जाना सम्मिलित है। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित वस्तुओं की आमद की सूचना दिये जाने के पश्चात् उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा इन वस्तुओं की पहुंच का स्टॉक रजिस्टर में प्रमाणीकरण करने के पश्चात् ही वितरण प्रारम्भ किया जा सकेगा एवं उसकी यथासंभव देखरेख में ही उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण किया जायेगा एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा यह भी प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण सही रूप से हुआ है।

उक्त सतर्कता समिति द्वारा की गई मीटिंगों के कार्यवाही विवरण हेतु एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसे किसी भी प्राधिकृत अधिकारी/जनप्रतिनिधि को निरीक्षण करने हेतु चाहने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति यह सुनिचिश्त करेगी, कि नियंत्रित वस्तुओं के नमूने (सैम्पल) भी प्रत्येक दुकान पर रखे जायें।

संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में स्थित सतर्कता समितियों की होने वाली बैठकों में आवश्यक रूप से भाग लें तथा सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के संचालन बाबत अधिक से अधिक जानकारी दें एवं उनके मार्फत इन दुकानों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।

उक्त समिति के सदस्यों द्वारा जो शिकायतें जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को प्रेषित की जायेगी, उनको एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा और उन पर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जायेगा। उचित मूल्य की दुकानदार को आगामी माह का कोटा तभी दिया जाये, जब पूर्व माह के कोटे की प्राप्ति एवं उचित वितरण का प्रमाणीकरण उक्त समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। समिति के सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान के रिकॉर्ड अवलोकन का अधिकार होगा।

यदि सतर्कता समिति के किसी सदस्य के खिलाफ कोई सारगर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो बाद जांच मनोनयन हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात् ऐसे सदस्य को हटाया जा सेगा।

उक्त सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। समिति के गठन की सूचना आम जनता को कराई जाये।

2 तहसील स्तरीय सतर्कता समिति

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आवंटन/वितरण व्यवस्था पर नजर रखना एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के कार्यों की समीक्षा करना होगा।

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अध्यक्ष की सहमति से नियत दिवस एवं समय पर सदस्य, सचिव द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी। बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय सतर्कता समिति को प्रेषित करना होगा।

3 जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करना होगा। उक्त समिति की सहमति से नियत तिथि एवं समय पर सदस्य द्वारा दो माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं कार्यवाही विवरण खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा।

कृपया सतर्कता समितियों के गठन/मनोनयन संबंधी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने एवं उन्हें आर्थिक क्रियाशील करने के बारे में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाये एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाये। उक्त सतर्कता समितियों की बैठकें नियमानुसार आयोजित कराना भी सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी स्तरीय सतर्कता समितियों में सदस्यों का मनोनयन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएँ/पिछड़ा वर्ग आदि को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद शर्मा) 4/12
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त 4/12

(347)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक :– एफ 6(7)प्र.सु./अनु–3 /2015/ जयपुर,दिनांक 13.05.2016

आज्ञा

हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिको के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियम 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है–

1. जिला कलक्टर–अध्यक्ष,
2. जिले के अनुसूचित जाति के समस्त विधान सभा सदस्य– सदस्य, (जिले में अनुसूचित जाति के सदस्य न होने पर राज्य सरकार द्वारा मनोनित अधिकतम दो विधान सभा सदस्य)
3. जिला पुलिस अधीक्षक–सदस्य,
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प.–सदस्य,
5. जिला मुख्यालय पर स्थापित नगरीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सदस्य,
6. जिले मे स्थित कन्टोनमेन्ट बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी– सदस्य,
7. रेलवे की ओर से मनोनित प्रतिनिधि–सदस्य,
8. अस्वच्छकारों के कल्याणार्थ और उनके पुनर्वास के जुडे संस्थाओं के अधिकतम चार समाजिक कार्यकर्ता जिसमें दो महिलाए आवश्यक है। (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित)–सदस्य,
9. जिले में वित्तीय एवं साख से जुडा प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित)–सदस्य,
10. जिला कलक्टर की राय में अन्य जिला स्तरीय अधिकारी जो अधिनियम की क्रियान्विति में सहायक हो–सदस्य,
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी–पदेन सदस्य सचिव।

गठित समिति वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन, समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अस्वच्छकारों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास तथा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का पंजीयन, अनुसंधान एवं अभियोजन कार्य को मोनिटर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आहूत कर जिला मजिस्ट्रेट को विहित कर्तव्यों के सम्बन्ध में सलाह देने से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन करेगी।

र. भा.भा.
13/5/2016
(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमांक :– एफ 6(7)प्र.सु./अनु–3 /2015/ जयपुर,दिनांक

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, पंचायतीराज/स्वायत शासन विभाग, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक : एफ 8(24)सामान्य/सिलिकोसिस/ 16546 दिनांक 03/03/2020

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रमाणीकरण एवम् सहायता राशि वितरण के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवम् क्षेत्र में रोग की रोकथाम हेतु प्रयास सुनिश्चित करने हेतु उपखण्ड स्तर पर निम्न अधिकारियों की Task Force का गठन किया जाता है:–

1. उप खण्ड अधिकारी
2. खण्ड विकास अधिकारी
3. तहसीलदार
4. बी.एस.एस.ओ

उपरोक्त Task Force के निम्नलिखित दायित्व होंगे:–

1. प्रमाणीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मेडिकल कैम्पों का आयोजन कर रोगियों की जॉच एवं प्रमाण–पत्र जारी करवाना।
2. उपखण्ड क्षेत्र में स्थित खनन अथवा पत्थर की कटाई/घिसाई क्रशर इत्यादी से संबंधित इकाइयों पर नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर सिलिकोसिस से बचाव हेतु किए गए प्रयास एवम् प्रयुक्त तकनीक एवम् मशीनरी आदि की जॉच करना।
3. नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को रोग के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु किए गए प्रयास एवम् श्रमिकों की नियमित चिकित्सकीय जाँच की समीक्षा करना।
4. उक्त समिति जिले में पदस्थापित प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल के अधिकारी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी एवं खनन अभियंता के साथ मिलकर Pollution Control हेतु अधिनियम, Building and other construction workers (regulation of employment conditions & services) Act 1996, Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act (MMDRA) 2015, Factory Act 1948 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही कर सकेगी।

किसी भी इकाई पर कार्यवाही करते समय इस समिति के न्यूनतम दो अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। समिति द्वारा उक्त कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जायेगी। जिला कलक्टर द्वारा उक्त रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी अंकित कर निदेशालय विशेष योग्यजन को अग्रेषित की जायेगी।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकःप.6(27)प्र.सु./अनु.3/2015 जयपुर, दिनांकः 24/10/2018

आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर **ब्लॉक निष्पादक समिति** का गठन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है –

ब्लॉक निष्पादक समिति

क्रस	पदनाम	समूह पदनाम
1	उपखण्ड अधिकारी अथवा जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत उपखण्ड अधिकारी स्तर का आर.ए.एस. अधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान	सह–अध्यक्ष
3	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य
4	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम)	सदस्य सचिव
5	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल सेवाएं (CDPO)	सदस्य
7	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (BCMHO)	सदस्य
8	सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम	सदस्य
9	सहायक अभियन्ता, स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
10	सहायक अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी	सदस्य
11	ब्लॉक प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग	सदस्य
12	समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
13	अन्य समस्त संस्था प्रधान, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (PEEO के अतिरिक्त)	सदस्य

इस समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(i) यह समिति ब्लॉक में स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित समस्त योजनाओं **(आईसीटी, शारदे बालिका छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आईईडीएसएस, व्यावसायिक शिक्षा, मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, एसआईक्यूयूई आदि),** कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन की पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग करेगी।

(ii) समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

(iii) यह समिति योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेगी।

(iv) अन्य उन सभी योजनाओं/गतिविधियों/कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी, जिनके लिए राज्य सरकार से समय–समय पर आदेश जारी किए जावेंगे।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा।

महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से,

www.rajteachers.com

23/10/18

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांक: एफ.3(2)पर्यटन/90/पार्ट जयपुर, दिनांक: 28.02.2017

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(20)प्र.सु.(अनु.3)90 दिनांक 05-07-1995 द्वारा जिला स्तर पर पर्यटन विकास हेतु गठित स्थाई समिति- जिला पर्यटन विकास समिति के अधीन उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. संबंधित तहसीलदार	सचिव
3. संबंधित उप-कोषाधिकारी	कोषाध्यक्ष
4. संबंधित सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य
5. संबंधित सहायक अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी	सदस्य
6. संबंधित सहायक अभियन्ता, पीएचईडी	सदस्य
7. संबंधित सहायक अभियन्ता, जे/एवीवीएनएल	सदस्य
8. संबंधित विकास अधिकारी	सदस्य
9. संबंधित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य

प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(20)प्र.सु.(अनु.3)90 दिनांक 25-5-2007 द्वारा जिला पर्यटन विकास समिति के कार्यों में पर्यटन विभाग के कार्यों के साथ-साथ राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण से संबंधित निम्नांकित कार्यों (Terms of References) को भी सम्मिलित किया गया है:-

1. राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं बिसरती निधि को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना।

2. प्रदेश के राजस्थान के जनजीवन को प्रेरणा देने वाले स्थलों, स्मारकों, प्राचीन वस्तुओं को संवर्द्धित, संरक्षित करने व प्रेरणादायी जीवन को परिदृश्य (Panorama) संग्रहालय, गैलेरिज एवं अन्य दर्शनीय माध्यमों से स्थयी प्रकृति के कार्य करवाना एवं पर्यटन व तीर्थाटन के लिये विकसित करना।

3. प्रदेश में प्रचलित प्रदर्शनकारी कला, संगीत, भाषा एवं साहित्य के उत्थान की दिशा में कार्य करना। मूर्तिकला, शिल्पकला, मेलों, सभ्यता, खानपान, वस्तुशिल्प, स्थापत्य कला, तीर्थस्थलों, प्राकृतिक स्थलों, झीलों आदि के संरक्षण एवं विकास कार्य

28/2/17

करवाना एवं इस हेतु जन एवं संस्थागत सहयोग प्राप्त करना। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं कार्यो की निर्देशानुसार क्रियान्विति करना।

जिला पर्यटन विकास समिति के निर्देशानुसार समिति के कार्य संबंधित उपखण्ड में उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति द्वारा भी सम्पादित किये जायेंगे।

उक्त उप खण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन विकास समिति के नियत्रंण एवं राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में जिला पर्यटन विकास समिति के राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण से संबंधित उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा बनाये गये पेनोरमा/ स्मारक/ संग्रहालय के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण का कार्य भी करेगी।

(राजेन्द्र विजय)
संयुक्त शासन सचिव
पर्यटन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग
3. अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, पर्यटन विभाग, पर्यटन निदेशालय, जयपुर।
8. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर
12. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश दुर्गानी)
सहायक शासन सचिव,
पर्यटन विभाग

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग

कमांक एफ 6(34)प्र.सु./अनु. 3/2013 जयपुर, दिनांक 19-09-2013

आदेश

भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ताओं में सुधार, प्रबोधन और पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों मे समन्वय एवं अभिसरण (coordination & convergence) की दृष्टि से निम्न प्रकार से समितियों के गठन हेतु राज्यपाल महो. की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :–

I समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति
II समेकित बाल विकास सेवाऐं हेतु जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समिति
III समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति
IV समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु आंगनबाडी स्तरीय निगरानी व सहायता समिति

उपरोक्त समितियों की संरचना एवं भूमिका निम्न प्रकार होगी:–

I समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS)

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति का गठन किया जाता है। जिसमें निम्न सदस्य होगें:–

1. पांच माननीय सांसद*	सदस्यगण
2. पांच माननीय विधायक, विधानसभा सदस्य *	सदस्यगण
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
4. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना	सदस्य
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण	सदस्य
7. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू–जल एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन	सदस्य
8. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा	सदस्य
9. प्रमुख शासन सचिव, कृषि	सदस्य
10. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	सदस्य

j समेकित बाल विकास सेवाएं कर्मियों का गैर समेकित बाल विकास सेवाएं गतिविधियों में नियोजन तथा उनका ऐसे नियोजन से रोकने/मुक्त कराने की व्यवस्था करना।

k बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक को वाहन की उपलब्धता तथा कार्यक्रम से संबंधित वाहनों की अनुपलब्धता।

l अन्य कोई मुद्दा जो लागु करने हेतु महत्वपूर्ण हो।

m आई.सी.डी.एस क्रियान्वयन में कमजोर निष्पादन वाली परियोजनाओं को चिन्हित करना और इसके लिये जिम्मेदार कारणों का चिन्हिकरण करना।

n कोई भी अन्य मामला जो क्रियान्वयन में सुधार से संबंधित है।

iv **वित्तीय मामलें–** कोष प्रवाह तथा मदवार आवंटन की स्थिति और प्रतिवेदित अवधि के दौरान व्यय और भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित मापदण्डों की पालना।

v **शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था–** व्यक्ति, समुदाय, पंचायतीराज प्रतिनिधि आदि के द्वारा प्रस्तुत शिकायतों जैसे– कार्यक्रमों की नियमितता, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता तथा आईसीडीएस कार्मिकों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही।

vi **आई.ई.सी.–** आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थान, समेकित बाल विकास अन्तर्गत सेवाओं की उपलब्धता,लाभार्थियों की पात्रता,शिकायतों के निवारण की विधि से संबंधित मामलों पर आईईसी की कार्य योजना बनाना और अपनाना।

नोटः– समीक्षा बैठक में निम्न सूचनाओं/स्त्रोतों का उपयोग किया जा सकता है।

a. ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण व प्रतिवेदन
b. ब्लॉक मासिक प्रगति प्रतिवेदन/वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन का विश्लेषण
c. समिति सदस्यों द्वारा आंगनबाडी भ्रमण रिपोर्ट
d. जनता/मीडिया से प्राप्त प्रतिवेदन/सूचना

III समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति (BLMC on ICDS)

उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होगें :–

i.	पंचायत समिति प्रतिनिधि/पार्षद	सदस्य
ii.	खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.)	उपाध्यक्ष
iii.	खण्ड स्तरीय चिकित्सा प्रतिनिधि (बी.एम.ओ./चि.अ.)	सदस्य
iv.	खण्ड स्तरीय शिक्षा प्रतिनिधि (बी.ई.ओ.)	सदस्य

v.	खण्ड कृषि प्रसार अधिकारी	सदस्य
vi.	प्राचार्य, आंगनबाडी प्रशिक्षण केन्द्र (AWTC)*	सदस्य
vii.	खण्ड स्तरीय स्थानीय स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि (दो)	सदस्यगण
viii.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	समन्वयक

* यदि कोई हो तो

नोटः–

- स्थानीय स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि का मनोनयन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- समिति की बैठक त्रैमासिक होगी तथा यह समिति बैठक की रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति को भिजवाते हुये उसकी प्रति निदेशालय को प्रेषित करेगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का गहन गृह सम्पर्क के दौरान–ब्लॉक स्तरीय समिति निम्न बिन्दुओं को मॉनिटर व समीक्षा करेगी तथा सुझाव व सुधारात्मक उपाय करेगी।
- 2–3 पर्यवेक्षकों को बैठकों में रोटेशन आधार पर समन्वयक द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

<u>समिति की भूमिकाः–</u>

समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति निम्न मुद्दों की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा आवश्यक कार्यवाही की अनुशंषा करेगी।

i **निम्न मामलों में प्रगति की समीक्षा :–**

a. ब्लॉक के सभी आबादी क्षेत्रों/कच्ची बस्तीयो को कवरेज में शामिल करना विशेषकर अनु.जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों।

b लाभार्थियों का समावेश– आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पूरक पोषाहार के पंजीकृत और वास्तविक लाभार्थियों का सेक्टरवार सर्वे की जनसंख्या के विरूद्व विश्लेषण करना।

c पूरक पोषाहार की गुणवत्ता।

d 0–3 तथा 3–6 वर्ष के बच्चों में पोषाहार की स्थिति– वजन लेने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वृद्वि प्रमाप के आधार पर वजन लेना, संयुक्त मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, मध्यम और अतिकुपोषित बच्चों के अनुपात की सैक्टरवार तुलना, पता लगाने तथा अर्द्ववार्षिक आधार पर प्रगति के उपाय करना।

e रिर्पोटिंग माह में घर के लिए दिये जाने वाले पूरक पोषाहार, सुबह का नाश्ता व गर्म पोषाहार का 21 दिनों से ज्यादा वितरित करने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या की समीक्षा करना।

बर्तन)/(कमेटी लोकल आधार पर स्थानीय जनसमुदाय या अन्य योजना से भी व्यवस्था करा सकती है)।

ix. कमेटी यह समीक्षा करें कि दैनिक उपयोगी सामग्री, पोषाहार, दवाईयॉ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। कमी का कारण तलाशे और स्टॉक की अनियमितता का पता लगाये। किसी प्रकार की अनियमितता व कमी पाये जाने पर ब्लॉक स्तरीय कमेटी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट करें।

x. आंगनबाडी केन्द्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित किसी भी विवाद को कमेटी स्तर पर हल करें। अनसुलझे विवादों को ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तरीय मोनेटरिंग कमेटी को रैफर करे।

xi. आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा उपलबध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सुपरवाईजर से बात करें एवं सेवाओं में कमी का कारण पता लगावें तथा स्थानीय आधार पर इसका हल करें, विवाद की स्थिति में ब्लॉक स्तरीय मोनेटरिंग कमेटी को रिपोर्ट करें और इसकी प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम पंचायत तथा संबंधित को भी दे।

xii. सेवा प्रदाय व्यवस्था को अधिक उन्नत बनाने के लिये यदि कोई सुझाव हो अग्रेषित करें।

इन समितियों का प्रशासनिक विभाग "निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, महिला एवं बाल विकास विभाग" होगा।

आज्ञा से

(रजनी सी. सिंह)
शासन उप सचिव
जयपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 6(34)प्र.सु./अनु 3/2013

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्री ....., सांसद, माननीय सदस्य, समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS)
4. श्री ..... , विधायक , माननीय सदस्य, समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (SLMRC on ICDS)
5. सचिव (बाल विकास), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु. – 3) विभाग

क्रमांकः एफ 6(27)प्र.सु./अनु. 3/2018/ 139732 जयपुर, दिनांक 03-08-2018

आदेश

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) के प्रशासनिक दिशा–निर्देशों के अनुसरण में समेकित बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रबोधन और पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय एवं अभिसरण (Coordination & Convergence) की दृष्टि से निम्न प्रकार से समितियों के गठन हेतु राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. राज्य अभिसरंण समिति (State Convergence Committee)
2. जिला अभिसरण योजना समिति (District Convergence Planning Committee)
3. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति (Block Convergence Planning Committee)

उक्त समितियों की संरचना एवं भूमिका निम्न प्रकार होगी –

1. राज्य अभिसरण समिति (State Convergence Committee)

सर्वप्रथम राज्य स्तर पर अभिसरण कार्य योजना का निर्माण एक समिति द्वारा किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। राज्य अभिसरण समिति में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना है:–

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग	सदस्य
सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
सचिव, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	सदस्य
खाद्य एवं पोषण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) से पदेन राज्य प्रतिनिधि (Ex-Officio State Representative)	सदस्य
मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (MLTC) के पदेन प्रधानाचार्य (Ex-Officio Principal)	सदस्य
निदेशक/आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं	सदस्य सचिव

राज्य अभिसरण समिति की भूमिका –

i. निम्न मामलों की समीक्षा :–
   a. विभिन्न जिलों से प्राप्त जिला योजनाओं में दी गई आवश्यकताओं को एकत्र करना एवं जाँचना।
   b. राज्य अभिसरण योजना में सम्मिलित करने से पूर्व मद वार आवश्यकताओं को पृथक् कर वित्तीय व्यवस्था करना।
   c. जाँच के आधार पर अंतिम आवश्यकताओं का निर्धारण कर राज्य अभिसरण योजना का निर्माण।
   d. कार्य योजना के आधार पर दोहराव से बचने के लिए प्रत्येक विभाग को भूमिका बाँटना।
   e. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में प्रस्तुत करने से पहले राज्य अभिसरण योजना को राज्य APIP में शामिल करने के लिए राज्य EPC द्वारा अनुमोदित कराने हेतु प्रस्तुत करना। जो घटक राज्य स्तर द्वारा वित्त पोषित हैं, उन्हें APIP में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने की आवश्यकता है।
   f. प्रत्येक विभाग द्वारा समय पर आवश्यक स्वीकृतियां जारी कराना।

iv. वित्तीय मामलेः–कोष प्रवाह तथा मदवार आवंटन की स्थिति और प्रतिवेदन अवधि के दौरान व्यय और भारत सरकार द्वारा तय मापदण्डों की पालना।

v. शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्थाः– व्यक्ति, समुदाय, पंचायतीराज प्रतिनिधि आदि के द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर कार्यवाही।

vi. समेकित बाल विकास सेवाओं/ राष्ट्रीय पोषण मिशन/स्वास्थ्य तथा पोषण मुद्दों पर आइईसी द्वारा जागरूकता निर्माण तथा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों की आइईसी गतिविधियों के साथ अभिसरण की सम्भावना।

नोटः– बैठक में निम्न सूचनाओं/स्त्रोंतों का उपयोग किया जा सकता है–

a. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति की बैठक कार्यवाही विवरण व प्रतिवेदन
b. कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्राप्त आँकड़े
c. समिति सदस्यों द्वारा प्राप्त भ्रमण रिपोर्ट
d. जनता/मीडिया से प्राप्त सूचना

3. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति

उप खण्ड अधिकारी (SDM)	**अध्यक्ष**
ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)	उपाध्यक्ष
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO)	सदस्य
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEEO)	सदस्य
अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
पंचायत प्रसार अधिकारी (PO)	सदस्य
समाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
प्रधान, पंचायत समिति	सदस्य
महापौर/नगर पालिका अध्यक्ष (शहरी निकाय)	सदस्य
रोटेशन आधार पर पर्यवेक्षक (5), समेकित बाल विकास सेवाएं (सीडीपीओ द्वारा नामित की जाएंगी)	सदस्य
बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं	सदस्य सचिव

i. **ब्लॉक अभिसरण योजना समिति की भूमिका –**

राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु ब्लॉक अभिसरण योजना समिति निम्न मुद्दों की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा आवश्यक कार्यवाही की अनुशंषा करेगी।

a. ग्राम/आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर आवश्यक कार्यो का आवश्यकता आँकलन करना, जैसे – जल, स्वच्छता, खाद्य, स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रसव पूर्व/पश्चात् देखभाल, विटामिन–ए, आयरन फॉलिक एसिड, कृमि नाशक गोलियां, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति के कार्य आदि एवं स्रोतों की उपलब्धता।
b. ग्राम स्तर का आँकलन बाल विकास परियोजना अधिकारी/उप निदेशक के निरीक्षण में पंचायतीराज प्रतिनिधियों के सहयोग से आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र के उप खण्ड अधिकारी को अपने इनपुट देंगे।
c. ब्लॉक स्तर पर कार्यों की आवश्यकताओं का आँकलन एवं संकलन।
d. ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यकता के आधार पर स्वयं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना बनाई जाएगी।
e. पंचायतीराज प्रतिनिधियों को आवश्यकताओं के आँकलन में सक्रिय रूप से शामिल करना।
f. ब्लॉक अभिसरण योजना को जिला अभिसरण योजना में समाहित करने एवं जिला कलेक्टर के अनुमोदन के लिए जिला अधिकारियों को देना।
g. गर्भवती, धात्री महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित आँगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य तथा पोषण मुद्दों पर गृह सम्पर्क।
h. ग्राम स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता दिवस में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी।

i. 0–3 तथा 3–6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर की स्थितिः वजन, लम्बाई लेना एवं Under Weight, Stunted एवं Wasted बच्चों की सैक्टरवार समीक्षा; इस पर उठाए गए कदमों तथा प्रगति की मासिक समीक्षा।

j. राष्ट्रीय पोषण मिशन में कमजोर प्रदर्शन वाले सैक्टर तथा उसके लिए जिम्मेदार कारक।

ii. लाइन विभागों/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

a. स्वास्थ्य/एनआरएचएमः आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्ण टीकाकरण की स्थिति, प्रसव पूर्व जाँच तथा स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान, केन्द्र पर रैफरल सेवाएं तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति (विटामिन ए, आईएफए, कृमि नाशक गोलियाँ)। मातृ शिशु स्वास्थ्य व पोषण दिवस की गतिविधियाँ, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता समिति तथा आईवायसीएफ को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य तथा समेकित बाल विकास सेवाएं कार्मिकों का संयुक्त भ्रमण।

b. जल तथा स्वस्छताः केन्द्रों पर पेयजल की उपलब्धता तथा शौचालय सुविधा।

c. शिक्षाः प्राथमिक विद्यालयों के साथ आँगनबाड़ी केन्द्र की सह स्थिति, शालापूर्व शिक्षा में केन्द्रों का एकीकरण।

d. पंचायतीराज संस्थानः किसी भी जमीनी स्तर के कार्यक्रम के लिए समुदाय एवं पंचायतीराज संस्थानों का शामिल होना आवश्यक है। अभिसरण कार्य योजना बनाने के लिए पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पंचायतीराज संस्थान ना कि सिर्फ अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें बल्कि वे सरकारी कार्यक्रमों एवं उनके लाभ के प्रति जागरूक भी हों।

जिन स्थानों पर पंचायतीराज संस्थान सक्रिय नहीं हैं, वहाँ अभिसरण कार्य योजना में उनकी क्षमता वृद्धि के लिए योजना सम्मिलित की जानी है। इनका प्रशिक्षण राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा।

नोटः– बैठक में निम्न सूचनाओं/स्त्रोंतों का उपयोग किया जा सकता है–

a. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति की बैठक कार्यवाही विवरण व प्रतिवेदन।

b. कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्राप्त आँकड़े।

c. समिति सदस्यों द्वारा प्राप्त भ्रमण रिपोर्ट।

d. जनता/मीडिया से प्राप्त सूचना, इत्यादि।

इन समितियों का प्रशासनिक विभाग "निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग" होगा।

आज्ञा से

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण) 11/8/18
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 6(27)प्र.सु./अनु. 3/2018/ 134723-140505 जयपुर, दिनांक 3/8/18

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव,मिशन निदेशक, राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।

राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः– प.11(3)/मो./किराया वृद्धि/ICDS/2003/22239 **दिनांकः**25.02.2020
28/2/2020

आदेश

समेकित बाल विकास सेवाएँ योजना के अंतर्गत राज्य में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी केन्द्र के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार देय किराया राशि निर्धारित की गई हैं:–

क्र.सं.	आंगनबाडी केन्द्रों का विवरण	संशोधित भवन किराया दर
1	ग्रामीण/जनजातीय परियोजनाओं के आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी	1000/– रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र
2	शहरी परियोजनाओं के आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी	4000/– रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र
नोट	भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.04.2018 के साथ संलग्न एमपावर्ड प्रोग्राम कमेटी की बैठक कार्यवाही विवरण के पार्ट–1 बिन्दु संख्या 7 के क्रम में वित्त (व्यय–2) विभाग की आई–डी सं. 131800171 दिनांक 25.04.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में शासन उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वीकृति दिनांक 15.06.2018 के अनुसरण में निदेशालय के पत्रांक 114854–886 दिनांक 21.06.2018 के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के भवन किराये की दरों में दिनांक 01 जून 2018 से वृद्धि के आदेश।	

इस हेतु विभाग द्वारा किराया निर्धारण के लिए नवीन प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु दिनांक 12.12.2018 द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया था:–

शहरी क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र		
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी (ज़िला कलेक्टर द्वारा मनोनीत)	अध्यक्ष
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3	सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
4	पर्यवेक्षक, (संबंधित सेक्टर)	सदस्य

ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र		
1	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3	सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
4	पर्यवेक्षक, (संबंधित सेक्टर)	सदस्य

परंतु भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2012 में जारी ICDS MISSION: The Broad Framework for Implementation में यह उल्लेख किया गया है कि नवीन वृद्धि CPWD/PWD/Rent Accessorके द्वारा जारी Rent Reasonableness Certificate के आधार पर की जा सकेगी। वित्त विभाग द्वारा भी इसी बिन्दु पर बल दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग

द्वारा गठित समिति एक प्रकार से Rent Accessorके रूप में अथवा उसके अनुमोदनकर्ता के रूप में कार्य करती थी।

चूंकि भारत सरकार द्वारा निर्देशित CPWD/PWD/Rent Accessorके द्वारा जारी Rent Reasonableness Certificate की प्रक्रिया के उपरांत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित समिति निर्मित कर दी गई, इससे व्यावहारिक रूप में सरलता की बजाय और जटिलता उत्पन्न हो गई, जिससे व्यावहारिक तौर पर कोई किराया वृद्धि नहीं हो सकी। अतः विभाग द्वारा वर्तमान स्तर पर परीक्षण कर यह पाया गया है कि प्रक्रिया को सरल तथा व्यवस्थित किया जाए, इस क्रम में किराये पर संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में निम्न कार्यवाही करें–

1. किराये पर संचालितआंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या सर्वाधिक रूप में शहरी क्षेत्रों में विद्यमान है। इसमें ऐसे समस्त केन्द्रों की सूची बनाकर उनके स्थान का स्पष्ट अंकन करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनका रेंट असेसमेन्ट कर अपनी टिप्पणी प्रेषित करने हेतु पत्र लिखें।
2. इसमें अनेक केन्द्र कम राशि के कारण असमुचित स्थान पर चल रहे होंगे, अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ताव महिला पर्यवेक्षक से सलाह लेकर नये स्थान चिन्हित कर उनके ही प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग को असेसमेन्ट हेतु भेजे जायें। यदि ऐसे असमुचित स्थान चिन्हित हो जाते हैं, तो समस्त सीडीपीओ विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर ऐसे प्रस्ताव ऑनलाईन या अन्य रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें विभाग द्वारा देय अधिकतम राशि का उल्लेख तो होगा, किन्तु साथ ही यह अवश्य उल्लेखित किया जाएगा कि उनको यह राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनका रेंट असेसमेन्ट तथा विभागीय अनुमोदन के अधीन होगी।

इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्तावों में सीडीपीओ स्वयं के स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता के साथ विजिट कर उनका रेंट असेसमेन्ट करेंगे और इसमें जहां पर विलम्ब हो वहां जिला कलेक्टर महोदय के ध्यान में लाकर इसे शीघ्र क्रियान्वित करवायेंगे। एक बार इस प्रकार का मूल्यांकन आने के उपरांत संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता की रेंट असेसमेन्ट के अनुसार किराया स्वीकृति हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) अधिकृत होंगे।

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं का अतिरिक्त रूप में ध्यान रखा जाये–

1. यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र के निकट निर्धारित 500 मीटर सीमा में कोई विद्यालय संचालित हो; तो सर्वप्रथम आंगनबाड़ी को वहां आवश्यक रूप से स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाये। यदि वहां शाला प्रधान द्वारा यह लिखित रूप में अवगत करा दिया जाता है कि उनके यहां स्थान उपलब्ध नहीं है, तभी किराये के भवन में संचालन की अनुमति होगी।
2. इसके बाद भी द्वितीय प्राथमिकता एकीकरण के कारण रिक्त हुए विद्यालय भवनों की होगी। इनकी सूची विभाग की वेबसाईट पर डाल दी गई है, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है।
3. पुनः तृतीय वरीयता किसी भी रिक्त सामुदायिक/सार्वजनिक भवन की होगी। इस संबंध में ऐसे चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच को इस आग्रह के साथ प्रेषित की जायेगी कि यदि उनके क्षेत्र में ऐसे भवन विद्यमान हो तो उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी संचालन हेतु उपलब्ध कराये।
4. राज्य में ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जिनमें शौचालय सुविधा नहीं है, वे लगभग जिनमें शौचालय सुविधा नहीं है, वे लगभग है, इनमें बड़ी संख्या में ऐसे केन्द्र होंगे जो किराये के भवनों में संचालित होंगे। भविष्य में इसके अन्तर्गत यह बिन्दु ध्यान में रखा जाये कि यथा संभव इस सुविधा से युक्त भवन ही किराये पर लिये जाये।

इसके अतिरिक्त किराये के समयबद्ध भुगतान के लिए भी समुचित व्यवस्था अपनायी जानी होगी, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

1. राजपोषण सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत द्वितीय चरण में किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के मकान मालिकों का डाटा भी उनके बैंक अकाउन्ट डिटेल के साथ अंकित किया जाना प्रस्तावित है ताकि समय पर ही ऑनलाईन रूप में भुगतान सुनिश्चित हो सके। इसके क्रियान्वित होने पर समस्त भुगतान इसी रूप में किये जायेंगे।
2. किसी आंगनबाड़ी के किराये का भुगतान होने में एक माह से अधिक का विलम्ब होने पर जिस भी अधिकारी/कर्मचारी के पास एक सप्ताह से अधिक विलम्ब हुआ पाया जायेगा, वह इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी माना जायेगा और उसके विरूद्ध समुचित प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से अगले तीन माह के भीतर उक्त कार्यवाही पूर्ण कर लें। इस संबंध में समस्त केन्द्रों की समुचित मोनिटरिंग के लिए ऑनलाईन सुविधा विकसित की जा रही है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही से शीघ्र अवगत करा दिया जायेगा।

जो अधिकारी या कर्मचारी अपने क्षेत्र में किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय या अन्य सामुदायिक भवनों में स्थानान्तरित करने में समर्थ होंगे, उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा सकता है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः–प.11(3)/मो./किराया वृद्धि/ICDS/2003/22240-905 **दिनांकः**10.02.2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है– 28/2/2020

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
7. विकास अधिकारी, समस्त।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
9. प्रभारी अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय, समस्त ।
10. एसीपी मुख्यालय उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, महिला अधिकारिता
(राज्य महिला संदर्भ केन्द्र)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
ईमेल– srcw.we@rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : एफ.27 (1)(36)( )/मअ/एसआरसीडब्ल्यू/बीबीबीपी/गतिविधि/2019–20/ 16499 जयपुर, दिनांकः– 21-8-2020

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
जयपुर।

विषय :–बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना की ब्लॉक टास्क फोर्स की नियमित बैठको के आयोजन हेतु समुचित दिशा–निर्देश जारी करने बाबत।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के ब्लॉक स्तर के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा संबंधित सीडीपीओ ब्लॉक टास्क फोर्स के सदस्य सचिव है। ब्लॉक टास्क फोर्स की नियमित बैठको के आयोजन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु समुचित सहयोग बाबत सभी उपनिदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियो के लिए निदेशालय स्तर से दिशा–निर्देश जारी करवाये जाने का श्रम करावें।

भवदीया

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक : एफ.27 (1)(36)( )/मअ/एसआरसीडब्ल्यू/बीबीबीपी/गतिविधि/2019–20/ 16500-566 जयपुर, दिनांकः– 21.8.2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, समस्त।
3. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)
एवं प्रभारी अधिकारी (SRCW)
महिला अधिकारिता, जयपुर

The flow chart of the administrative set for implementation of the Scheme at various levels is as under;

National Level:

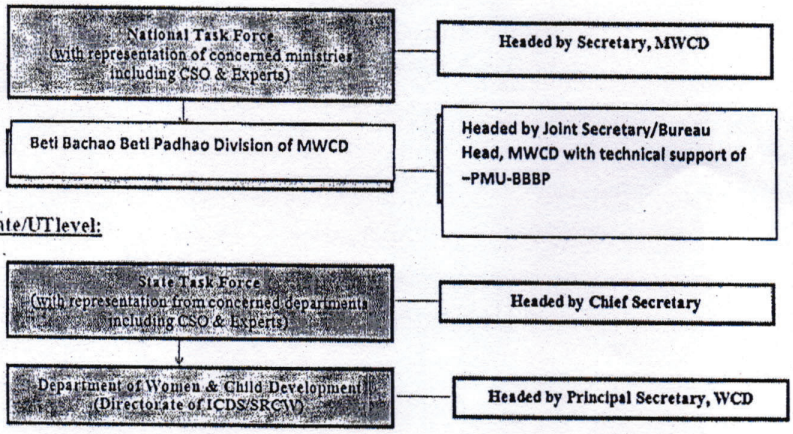

State/UTlevel:

District Level:

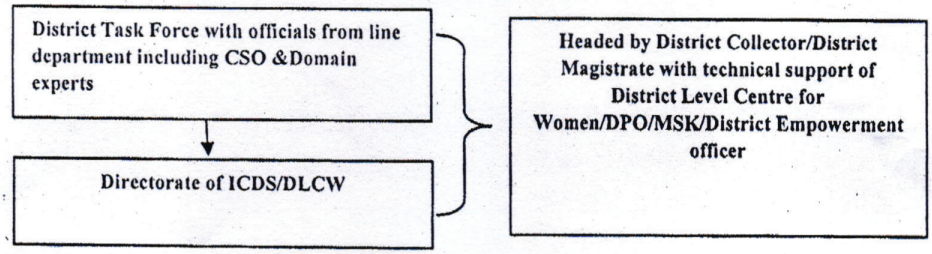

Block Level:

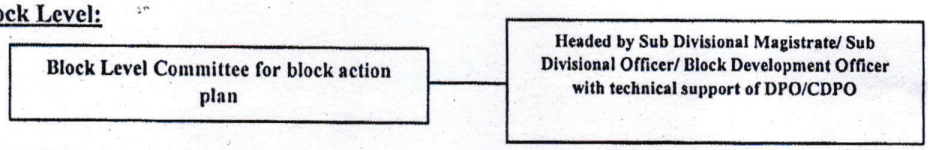

Gram Panchayat / Ward Level:

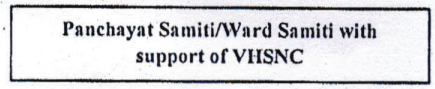

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः एफ 6(34)/प्र.सु./अनु–3/2014/ जयपुर, दिनांक :

आदेश

"प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना"(PMMVY) जो कि 01 जनवरी, 2017 से राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है, के सफल क्रियान्वयन एवं इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार राज्य स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी के गठन हेतु महामहिम राज्यपाल महो0 की आज्ञा से एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

राज्य स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी

1	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2	प्रतिनिधि/अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3	प्रतिनिधि/प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4	प्रतिनिधि/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
5	प्रतिनिधि/शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
6	प्रतिनिधि/शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्यिगिक विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि/सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू–जल एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन	सदस्य
8	प्रतिनिधि/मिशन निदेशक, एनएचएम	सदस्य
9	निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाए	सदस्य
10	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, राजस्थान	सदस्य
11	निदेशक, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग	सदस्य
12	नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना	सदस्य सचिव
13	अन्य (अध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति से)	आमंत्रित सदस्य

राज्य स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक त्रैमासिक होगी, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से पूर्व भी बुलाई जा सकती है।

जिला, ब्लॉक एवं गांव स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग समिति

जिला, ब्लॉक एवं गांव स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग समिति हेतु इस विभाग के आदेश समसंख्यक दि. 19.09.2013 के द्वारा गठित जिला, परियोजना व ब्लॉक स्तर पर जिला, ब्लॉक एवं आंगनबाड़ी स्तरीय निगरानी समिति को ही PMMVY योजना की भी समीक्षा तथा शिकायतों के समाधान हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उक्त के संबंध में रिपोर्ट निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ को प्रेषित की जाएगी। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग होगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005

क्रमांक : एफ.3/RMSC/विविध/11/824 दिनांक : 2/1/12

समस्त जिला कलक्टर,

विषय :– मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की मोनिटरिंग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तर पर निम्नानुसार मोनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है :–

1. उपखण्ड अधिकारी	–	अध्यक्ष
2. तहसीलदार	–	सदस्य
3. विकास अधिकारी (पंचायत समिति)	–	सदस्य
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	सदस्य सचिव

समिति अपने क्षैत्राधिकार में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सदस्य सचिव) समय–समय पर बैठक का आयोजन करेगें एवं समिति द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायेगें।

संलग्न :

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
अध्यक्ष आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : एफ.3/RMSC/विविध/11/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. संभागीय आयुक्त।
5. निदेशक, जनस्वास्थ्य/आरसीएच/एचए/आईईसी, राजस्थान, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु0–3) विभाग

क्रमांकःप. 6(13)प्र.सु./अनु.–3/2018 जयपुर, दिनांक 17.4.2018

–:आज्ञाः–

समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिंसों की खरीद के सुचारू कियान्वयन हेतु निम्नांकित चार समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

(अ) राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6.	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
9	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
10	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क्र.वि.सं.लि.(राजफैड़), जयपुर	सदस्य सचिव

(ब) समर्थन मूल्य पर खरीद की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	महानिरीक्षक, पुलिस (लॉ एण्ड आर्डर) राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क्र.वि.सं.लि.(राजफैड़), जयपुर	सदस्य
6	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियॉ, राज., जयपुर	सदस्य
7	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्के.), सहकारी समितियॉ, राज., जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
10	अधिशाषी निदेशक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	शाखा प्रबन्धक, नेफेड़, जयपुर	सदस्य
13	महाप्रबन्धक, वित्त, राजफैड़, जयपुर	सदस्य
14	महाप्रबन्धक, वाणिज्य, राजफैड़, जयपुर	सदस्य सचिव

(स) जिला स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	जिला कलक्टर, संबंधित जिला	**अध्यक्ष**
2	पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिला	सदस्य
3	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं पदेन प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़	सदस्य
4	जिला रसद अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य
5	निकटस्थ क्रय–विक्रय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि, आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	**सदस्य सचिव**

(द) खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद के मे आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	**अध्यक्ष**
2	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3	उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज (संबंधित)	सदस्य
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य
5	प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
6	सचिव, कृषि उपज मण्ड समिति	सदस्य
7	के सी एस एस/खरीद केन्द्र का व्यवस्थापक	**सदस्य सचिव**

उक्त समितियों का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग है।

आज्ञा से,

17/4/18

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
12. समस्त कोषाधिकारी, संबंधित जिला।
13. समस्त उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ।
14. प्रबन्ध संचालक आरएसडब्लूसी/राजफैड़/अपैक्स बैंक, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. प.9(11)सह/2018/लूज–1

17/4/18

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांकः प. 6(26) प्र.सु/अन–3/2009 जयपुर, दिनांक 18-07-2016

आज्ञा

दिनांक 21.12.2015 को स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा के उपाय एवं उनके मानको को सुनिश्चित करने आदि हेतु **उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति** का गठन निम्नानुसार करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय वृत्ताधिकारी पुलिस/यातायात शाखा प्रभारी (उपनिरीक्षक से अनिम्न स्तर का)	सदस्य
3. खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत समिति)	सदस्य
4. क्षेत्रीय तहसीलदार	सदस्य
5. क्षेत्रीय स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी/आयुक्त (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य
6. ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
7. उपखण्ड स्तर के सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिकारी (सहायक अभियन्ता से अनिम्न स्तर के)	सदस्य
8. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
9. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
10. बस/ट्रक/अन्य ऑटोमोबाईल एसोसियशन का एक प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
11. वाहन डीलर एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
12. कॉरपोरेट क्षेत्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13. जिला परिवहन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि (मोटर वाहन उपनिरीक्षक से अनिम्न स्तर का)	सदस्य सचिव
14. विशेष आमंत्रित अतिथि –	
i. स्थानीय सांसद/विधायक,	
ii. स्थानीय पंचायत समिति प्रधान	
iii. सभापति, क्षेत्रीय नगरपालिका/नगर परिषद्	

उपरोक्त समिति के उद्देश्य निम्न प्रकार से होंगे :–

1. परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना।
2. यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कराना।
3. सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन, इनसे बचाव, दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के सुधार बाबत् सुझाव देना।
4. क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलने वाली निजी जीपों, टैक्सियों, बस, मिनी बसों इत्यादि पर नियंत्रण करना।

5. परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार एवं यातायात साधनों की मांग के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था करना।
6. सड़कें बनाने, सड़क चौड़ी करने, स्लिप लेन बनाने, ओवर ब्रिज बनाने, सहायक सड़क विकसित करने एवं बेहतर व्यवस्था के सुझाव एवं क्रियान्विति करना।
7. सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करना।
8. सड़क सुरक्षा के मानको को सुनिश्चित कराना।
9. सड़क सुरक्षा हेतु गठित मंत्रीमण्डलीय उप समिति, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्, राज्य यातायात प्रबंधन समिति, जिला यातायात प्रबंधन समिति के निर्णयों को लागू कराना।
10. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
11. सड़क दुर्घटना स्थलों का स्थानीय स्तर पर अंकेक्षण एवं बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के अन्वेषण एवं विश्लेषण में सहयोग करना।
12. सड़क सुरक्षा एवं परिवहन से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य करना।

उक्त समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक आयोजित की जायेगी। उक्त समिति जिला यातायात प्रबंधन समिति एवं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, राजस्थान से लगातार सम्पर्क बनाये रखेगी। परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारीगण समिति की बैठकों में पारित निर्णय, क्रियान्विति, अनुपालना, बैठक कार्यवाही विवरण आदि स्थानीय उपखण्ड कार्यालय की सहायता से करेंगे। समिति के क्रियाकलापों हेतु प्रत्येक उपखण्ड कार्यालय में उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी। यह समिति स्थायी होगी तथा इसका प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।

आज्ञा से

(श्यामसिंह राजपुरोहित)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
7. शासन उप सचिव, मुख्यालय, परिवहन विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण करने हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(कार्यालय–बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2220672, 2224755 फैक्स नं. :2224754)

क्रमांक :प.5(16)/ग्रा.वि./बी.एफ.ए./ ब.भू.चा.वि.बोर्ड/2015 1457-488 दिनांक: 29.05.2017

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर "बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति" के गठन बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक : 149–160 दि. 27.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ पत्र में लेख है कि अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके जिलें में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास हेतु ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियां गठन करने के निर्देश प्रदान किये गये थे, पत्र के साथ दोनों समितियों के गठन के अनुमोदित आदेश संलग्न कर भिजवाये गये थे। **(फोटोप्रति संलग्न)**

आपके जिलें मे अभी तक उक्त समितियों के गठन के आदेश जारी नहीं हुये है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त समितियों के गठन आदेश जारी कर प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें। जून 2017 के प्रथम सप्ताह में माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जावेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।

सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

(3)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12–1) / सा. न्या. अ. वि./08–09 / 5495 दिनांक : 01-04-2

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013

राजस्थान राज्य के पेंशनर वृद्ध, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान हेतु, महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (i) इन नियमों का नाम "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013" है।

   (ii) ये नियम 01 अप्रेल, 2013 से लागू होंगे।

यह नियम "राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974" को अतिष्ठित करते है।

पेंशन स्वीकृति के इस आदेश के जारी होने की तिथि को विचाराधीन लंबित आवेदन–पत्रों पर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परन्तु इन नियमो में अन्तर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुये भी इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों को "राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974" के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है अथवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने की तिथि तक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

गठित होगी, जिसमें संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, एवं संबंधित नगर निकाय के जनप्रतिनिधि के रूप में महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:—

1. उपखण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट — अध्यक्ष
2. संबंधित विकास अधिकारी — सदस्य
3. प्रधान /उप प्रधान/ संबंधित क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य — सदस्य ।

(viii) शहरी क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:—

1. उप खण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट — अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगर निकाय — सदस्य
3. महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद — सदस्य

(ix) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी)/ अभिप्रेत है।

(x) "जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।

(xi) "अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

ANNEXURE 3
FAIR TYPED COPY

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार(अनु0–3)विभाग

क्रमांक:प.6(1)प्र.सु./अनु.–3/2003

जयपुर दिनांक 22.1.03

:: आज्ञा ::

राज्य के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों) में गांवों के स्वैच्छिक विस्थापन बाबत नियोजन एवं कियान्वयन हेतु राज्यपाल महोदय की आज्ञा से संबंधित जिले हेतु निम्नानुसार कियान्वयन समिति का गठन किया जाता है:–

1–जिला कलेक्टर	
2–परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण संबंधित जिला	अध्यक्ष
3– उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार संबंधित जिला	सदस्य
4– जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
5– उप निदेशक पशुपालन विभाग, संबंधित जिला	सदस्य
6– क्षेत्र में कार्यसरत एक अथवा दो गैर राजकीय संस्थायें	सदस्य
7– गांव के दो ग्रामीण जन	सदस्य
8– संबंधित राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों के उप वन संरक्षक	सदस्य सचिव

क.सं. 6 एवं 7 पर अंकित सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री के सलाह से करेंगे।

समिति के कार्यकलाप निम्नांकित होंगे :–

1. गांव के रिलोकेशन के संबंध में संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन।
2. ग्रामीणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझाव एवं समस्याओं का यथासंभव समाधान का निपटारा करना।
3. गांव के रिलोकेशन कार्यक्रमों का समय पर कियान्वयन को सुनिश्चित करना।
4. संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान के अनुसार गांव को रिलोकेट करना।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा एवं समिति की समयावधि अग्रम आदेश तक के लिये होगी।

आज्ञा से,
ह0
उप शासन सचिव,

Most Urgent / IDY-2018

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक – प.25(1)आयु./2018 जयपुर, दिनांक – 24/04/2018

परिपत्र

विषय : 21 जून, 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाये जाने हेतु विभागीय समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प पारित किया। संकल्प में महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम और जीवन शैली सम्बन्धित विकारों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक है।

इसी के अन्तर्गत राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य मुख्यालय जयपुर, समस्त जिला मुख्यालयों, समस्त ब्लॉक मुख्यालयों तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 21 जून, 2018 को प्रातः 7.00 से 8.00 बजे तक अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया जायेगा (परिशिष्ट क अनुसार)। समारोह आयोजन में समस्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों, निगमों, बोर्ड, स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहभागिता ली जावेगी।

1. <u>आयोजन समितियों का गठन</u> :– राज्यभर में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस –2018 का आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से किये जाने हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया जाता है तथा इसके आयोजन हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया किया जाता है जिसमे निम्न विभागों एवं संगठनों की सहभागिता होगी –

(1) राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति :–

I. मुख्य सचिव (अध्यक्ष)
II. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास
III. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
IV. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा
V. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
VI. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन
VII. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
VIII. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खेल एवं युवा मामलात
IX. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग
X. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी
XI. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा

Scanned by CamScanner

XX. उपनिदेशक, आयुर्वेद (सदस्य सचिव एवं जिला नोड़ल अधिकारी)

समिति के कार्य :–

A. जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों/आयोजन स्थल, मुख्य अतिथि, योग प्रशिक्षकों का निर्धारण
B. जिले में कार्यरत समस्त केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों तथा स्वयंसेवी संगठन व संस्थाओं की सहभागिता एवं दायित्वों का निर्धारण करना, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करना तथा कियान्विति प्रगति का प्रबोधन कर रिपोर्ट करना।
C. आयोजन में सहभागी समस्त विभागों में समन्वयन करना।
D. कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अधिकाधिक प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन
E. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 33 मिनट का योगाभ्यास क्रम के अनुसार कार्यक्रम की सुनिश्चितता।
F. इससे सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य।
G. वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था जिला कलक्टर के स्तर पर की जानी है।

(3) ब्लॉक स्तरीय कियान्वयन समिति :–

I. उपखण्ड अधिकारी (अध्यक्ष)
II. विकास अधिकारी, पंचायत समिति
III. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
IV. ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
V. बाल विकास परियोजना अधिकारी
VI. अन्य समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी
VII. ब्लॉक में संचालित राजकीय/निजी महाविद्यालय व विद्यालय प्रतिनिधि
VIII. योग क्षेत्र में कार्यरत अन्य कोई संस्थान, व्यक्ति जिसे उपखण्ड अधिकारी शामिल करना उपयोगी समझे।
IX. उपनिदेशक, आयुर्वेद द्वारा नामित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी (नोड़ल अधिकारी)

समिति के कार्य :–

A. ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों/आयोजन स्थल, मुख्य अतिथि, योग प्रशिक्षकों का निर्धारण, पंचायत नोड़ल अधिकारियों का निर्धारण।
B. ब्लॉक में कार्यरत समस्त केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों तथा स्वयंसेवी संगठन व संस्थाओं की सहभागिता एवं दायित्वों का निर्धारण करना, जिला समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करना तथा कियान्विति प्रगति का प्रबोधन कर रिपोर्ट करना।
C. आयोजन में सहभागी समस्त विभागों में समन्वयन करना।
D. कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अधिकाधिक प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन
E. 21 जून, 2018 को ब्लॉक स्तर पर योग प्रदर्शन, व्याख्यान, कार्यशाला, विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि कार्यक्रम आयोजित करना।
F. कार्यक्रम आयोजन स्थल से सम्बन्धित आवश्यक समस्त व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता।

Scanned by CamScanner

G. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 33 मिनट का योगाभ्यास कम के अनुसार कार्यकम की सुनिश्चितता।

H. इससे सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य।

I. वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था उपखण्ड अधिकारी/ पंचायत समितियों द्वारा की जानी है।

(4) ग्राम पंचायत स्तरीय कियान्वयन समिति :–

ग्राम पंचायत स्तरीय कियान्वयन समिति का चयन एवं निर्धारण ब्लॉक स्तरीय समिति के दिशा निर्देशानुसार विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में कार्यकम आयोजन हेतु उत्तरदायी होगें। ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित कार्य किये जायेगें।

2. विभिन्न विभागों के दायित्व सहभागिता एवं अन्तर्विभागीय समन्वय **(Inter-departmental Convergence):–**

(1) नगरीय विकास विभाग/स्वायत्त शासन विभाग –

a– निशुल्क स्थान की उपलब्धता, पेयजल, साफ–सफाई, स्थानीय प्रचार प्रसार में सहयोग।

b– योग–कार्यकमों का प्रतिदिन/साप्ताहिक सामूहिक आयोजन।

(2) महिला एवं बाल विकास

a– प्रत्येक आंगनबाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी की कार्यक्रम में उपस्थिति।

b– ऑगनबाड़ी केन्द्रो पर आयोजन।

(3) सामान्य प्रशासन

a– समस्त विभागों की सहभागिता हेतु परिपत्र।

b– जिला कलेक्टर्स की वीडियों–कांफ्रेस।

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

a– समस्त अधिकारी/कार्मिकों/महाविद्यालयों/ नर्सिग/पेरामेडिकल केन्द्रों की सहभागिता।

b– IEC सामग्री के मुद्रण में सहयोग।

c– प्रत्येक चिकित्सा केन्द्र व उपकेन्द्र का योग कार्यकम में सहभाग।

d– कार्यकम स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता।

(5) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

a– समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कार्यकमों का आयोजन।

b– पंचायती राज प्रतिनिधियों/संस्थाओं/कार्मिकों की सहभागिता।

Scanned by CamScanner

(6) खेल एवं युवा मामलात

a– क्रीड़ा परिषद्/ युवा बोर्ड की सहभागिता।

b– राज्य मुख्यालय पर संभागियों तथा यथावश्यक जिला/ब्लॉक में संभागियों की सुनिश्चिता।

c– राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केन्द्रों की सहभागिता।

(7) चिकित्सा शिक्षा

a– प्रत्येक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम में सहभागिता।

b– मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की उपस्थिती।

(8) उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/संस्कृत शिक्षा

a– राष्ट्रीय केडेट कोर की सहभागिता।

b– महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों पर आयोजन व राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर सहभागिता।

c– योग विषयक निबन्ध आदि प्रतियोगिताओ का आयोजन।

(9) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा

a– प्रत्येक राजकीय/निजी शिक्षण संस्था की सहभागिता।

b– प्रत्येक शिक्षण संस्था में प्रतिदिन/सप्ताहिक योग कार्यक्रम का आयोजन।

c– जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर सहभागिता।

(10) सूचना एवं जनसम्पर्क

a– सूचना, शिक्षा एवं प्रचार गतिविधियों में सहयोग।

b– राज्य एवं जिला मुख्यालयों पर योग विषयक प्रदर्शन।

c– स्थानीय प्रिन्ट/इलेक्ट्रेनिक मीडिया में प्रचार एवं प्रसार।

(11) नेहरू युवा केन्द्र/एन.सी.सी./स्काउट गाईड़/राष्ट्रीय सेवा योजना

a– राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित हो।

(12) गृह–

a– प्रत्येक पुलिस लाईन में कार्यक्रम हो।

b– राज्य/जिला/ब्लॉक पर कार्यक्रमों में यातायात व कानून व्यवस्था।

(निहालचन्द गोयल)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग

Scanned by CamScanner

राजस्थान युवा बोर्ड

(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर– 9414744945

क्रमांक प. 1(77)रायुबो/2017 जयपुर, दिनांकः 13.11.2017

ततृीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव''–2017
(ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय)

–:परिपत्र :–

(1) प्रस्तावनाः–

राजस्थान युवा बोर्ड (युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार) द्वारा गत दो वर्षो राज्य युवा नीति व राष्ट्रीय युवा नीति के क्रियावन्यन हेतु राज्य के युवा वर्ग को सशक्त एवं सक्षम कर उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रत्येक **ब्लॉक, जिला एवं सभाग, राज्य स्तर** पर ''युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव'' वर्ष 2015 से प्रारम्भ किया गया था। इसके उल्लेखनीय सफलता को देखते हुए **ततृीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव''–2017** की पहल की जा रही है।

महोत्सव का उद्देश्य ''राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज करके, उन्हें प्रशिक्षण एवं छात्रवृति की सुविधा देकर, राष्ट्रीय स्तर (''राष्ट्रीय युवा महोत्सव'' 12 जनवरी, 2018) पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करके उनको स्वावलम्बी बनाना।

गत दो वर्षो राज्य के ''युवा सांस्कृतिक प्रतिभाओं'' का ''एक डेटाबेस'' तैयार कर राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाईड में अपलोड किया गया जिसमें विभिन्न कलानुरूप लगभग 300 प्रतिभाशाली युवा कलाकारों के पते, फोन नं., ई–मेल आदि का सम्मिलित किया गया, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके कि जिलों में विभिन्न विधाओं में प्रतिभाशाली युवा कौन है।

गत वर्ष की गतिविधियों का एक ''कला रत्न पुस्तिका'' प्रकाशित किया गया है। जिससे प्रत्येक जिले की प्रतिभाओं की पहचान एवं उनको स्वरोजगार मिल सकें।

राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव'' जयपुर में सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं एक प्रमाण–पत्र ''कला रत्न'' के नाम से दिया जाता है।

(2) उद्देश्य :–

1. राज्य के सांस्कृतिक कला एवं दुर्लभ एवं लुप्त कला (रावण हत्था, अलगोजा, खरताल, फड़, कामायांचा, कठपुतली) को सर्वधन करना। साथ ही जनजाति क्षेत्र की लुप्त कला का भी प्रोत्साहन करना।
2. राज्य के युवाओं में विभिन्न कला कलात्मक क्षेत्रों अपनी प्रतिभा को विकसित करने के हेतु प्रतिभाओं की खोज करना तथा युवा कलाकारों का डेटाबेसा तैयार करना।
3. चयनित युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं संबंधित कला में उनकी योग्यताओं में वृद्धि करने हेतु उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध कराना।
4. ग्रामीण पारंपरिक कलाओं को प्रचारित करना।

13. स्वीकृत बजट में से जिला कलक्टर महोदय अपनी सुविधा के अनुसार समायोजन कर सकेगें। प्रत्येक जिला को ब्लॉक की सख्या के अनुसार बजट स्वीकृत किया जायेगा।
14. युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव के प्रभावी आयोजन हेतु स्वीकृत बजट के अलावा आर्थिक सहयोग के लिए विभिन्न भामाशाह/संस्थाओं से सम्पर्क कर आर्थिक सहयोग लिया जाना है।
15. ब्लॉक एवं जिला स्तर पर युवा महोत्सव के सभी प्रतिभागियों का निर्धारित पंजीयन फार्म भरवा कर एकजाई कर राजस्थान युवा बोर्ड को भिजवाये जायेगा।

(9) समितियों का गठन सफल आयोजन हेतुः–

जिला, संभाग स्तर पर समितिः–

1.	जिला कलक्टर–	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधिक्षक–	सदस्य
3.	अति. जिला कलक्टर–	सदस्य
4.	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका–	सदस्य
5.	जिला युवा समन्वयक, एन.वाई.के.एस.–	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–	सदस्य
7.	जिला खेल अधिकारी–	सदस्य
8.	कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना–	सदस्य
9.	राजस्थान युवा बोर्ड के मनोनीत सदस्य –	सदस्य
10.	जिले में कार्यरत संगीत संगीत संस्थान के प्रतिनिधि–	सदस्य
11.	सी.ओ. भारत स्काउट एण्ड गाइड–	आयोजन सचिव

ब्लॉक स्तर पर समितिः–

1.	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.	उप–पुलिस अधिक्षक–	सदस्य
3.	तहसीलदार–	सदस्य
4.	अधिशाषी अधिकारी/परिषद/पालिका–	सदस्य
5.	जिला युवा समन्वयक, एन.वाई.के.एस. (प्रतिनिधि)–	सदस्य
6.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–	सदस्य
7.	राजस्थान युवा बोर्ड के मनोनीत सदस्य –	सदस्य
8.	राष्ट्रीय सेवा योजना (प्रतिनिधि)–	सदस्य
9.	ब्लॉक में कार्यरत संगीत संगीत संस्थान के प्रतिनिधि–	सदस्य
10.	सी.ओ. भारत स्काउट एण्ड गाइड–	आयोजन सचिव

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित

(नं.39 / 1987) (नं. 59 / 1994) (नं.37 / 2002)

(11 अक्टूबर 1987), (19 अक्टूबर 1994), (12 जून 2002)

समाज के कमजोर वर्गों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त कर पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का प्रवर्तन समान अवसर के आधार पर न्याय का सवर्धन करे, लोक अदालत आयोजित करने के लिए अधिनियम।

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ :

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू व काश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा कि जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए तथा भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबन्ध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. परिभाषाएं :

(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) **"मामला"** के अंतर्गत किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कोई कार्यवाही है,

(कक) **"केन्द्रीय प्राधिकरण"** से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(ककक) **"न्यायालय"** से कोई सिविल दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत न्यायिक या न्यायिकेतर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण है,

(ख) **"जिला प्राधिकरण"** से धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(खख) **"उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति"** से धारा 8–क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है,

(ग) **"विधिक सेवा"** के अंतर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना है

(9) जिला प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि जिला प्राधिकरण में कोई रिक्ति हैं या उसके गठन में कोई त्रुटि हैं।

10. जिला प्राधिकरण के कृत्य :

(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करे जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाएँ।

(2) जिला प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) तालुक विधि सेवा समितियों और जिले में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलाओं का समन्वय करना,

(ख) जिला के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य प्राधिकरण, विनियमों द्वारा नियत करें

11. जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण, आदि द्वारा, किए गए निर्देशों के अधीन होगा : जिला प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहाँ भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धनों को विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्धन कार्य में लगी अन्य संस्थाओं के समन्वय से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों, द्वारा मार्गदर्शित होगा जो उसे केन्द्रीय प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दिए जाएँ।

11 क.तालुक विधिक सेवा समिति :

(1) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल के लिए या तालुक या मंडलों के समूह के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा जिसे तालुक विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।

(2) यह समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(क) इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी, जो पदेन अध्यक्ष होगा, और

(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएँ और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएँ।

(3) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएँ।

(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के विहित की जाएँ।

(5) समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जाएंगे।

11 ख.तालुक विधिक सेवा समिति के कृत्य : तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :–

(क) तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना,

(ख) तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समनुर्दिष्ट करें।

अध्याय 4 : विधिक सेवा के लिए हक

12. विधिक सेवा देने के लिए मानदण्ड : प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाईल करना है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 मे यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है,

(ग) स्त्री या बालक है,

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है।

नोट : संसद द्वारा अधिनियम कमांक 1996–1 जो कि भारत के असाधारण राजपत्र भाग–11 के संस्करण कमांक 1 दिनांकित 1.1.96 में प्रकाशित हुआ, के आधार पर निम्न संशोधन जोड़ा गया है :–

(1) एक निर्योग्य व्यक्ति जैसा कि समान अवसर संरक्षण अधिनियम 1995 की धारा 2 के खण्ड 1 में परिभाषित है।

(2) संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 निम्नानुसार निर्योग्याताएं परिभाषित करता है :–

(अ) निर्योग्यताएँ से तात्पर्य है कि :–

(1) अन्धत्व,

(2) कमजोर दृष्टि

(3) कुष्ठ रोग

(4) श्रवण ह्रास

(5) चलने संबंधी निर्योग्यता

(6) मानसिक रूकावट

(7) मानसिक अस्वस्थता

(ड.) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है, या

(च) कोई औद्योगिक कर्मकार है, या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या

(ज) ऐसा व्यक्ति है, जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो पी हजार

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः 17 (03) चिस्वा/2/2004 जयपुर,दिनांकः 09.01.2020

–:परिपत्रः–

जनसाधारण के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से राज्य में अनाधिकृत रूप से कार्यरत नीम–हकीमों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग के द्वारा क्रमांक पं 28(4) एमई / ग्रुप–1/2/98 पार्ट 30.3.2002 एवं समसंख्यक दिनांक 07.12.2004 के द्वारा परिपत्र जारी किये गये है।

उक्त परिपत्रों के अतिक्रमण में नीम–हकीमों के द्वारा किये जा रहे चिकित्सा कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण रखने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने के उद्धेश्य से राज्य स्तर, जिला स्तर व उपखण्ड़ स्तर पर निम्नानुसार कार्यदलों का गठन किया जाता हैः–

राज्य स्तरीय कार्यदल

1. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. मुख्यालय — अध्यक्ष
2. अति. निदेशक (चिकित्सालय प्रशासन) — सदस्य
3. औषधि नियंत्रक, मुख्यालय — सदस्य
4. अति. निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर — सदस्य

जिला स्तरीय कार्यदल

1. अति. जिला कलक्टर
2. अति. अधीक्षक, पुलिस
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. उप निदेशक, आयुर्वेद
5. सहायक औषधि नियंत्रक

उपखण्ड स्तरीय कार्यदल

1. तहसीलदार
2. उप अधीक्षक/वृत्ताधिकारी, पुलिस
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4. उप निदेशक, आयुर्वेद द्वारा नामित प्रतिनिधि
5. औषधि नियंत्रण अधिकारी

जिला स्तरीय कार्यदल व उपखण्ड़ स्तरीय कार्यदल 09 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक राज्य के समस्त जिला/उपखण्ड़ स्तर पर सघन (विशेष) अभियान संचालित कर अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन मिशन निदेशक, एन. एच.एम. निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर को प्रस्तुत करेगी । उक्त तिथि के पश्चात् भी उपरोक्त कार्यदल अपनी प्रभावी मॉनिटरिंग एवं नियन्त्रण नियमित रूप से सम्पादित करेगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राज0 जयपुर
8. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स।
10. निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
11. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर/उप निदेशक, आयुर्वेद –कार्यदल हेतु सदस्य मनोनीत किये जाने बाबत।
12. समस्त अति. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, राजस्थान
13. अति. अधीक्षक, पुलिस/उप अधीक्षक।
14. औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, जयपुर।
15. समस्त संयुक्त निदेशक, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)/ खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
16. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक /औषधि नियंत्रण अधिकारी जरिये औषधि नियंत्रक,, जयपुर।
17. समस्त तहसीलदार, राजस्थान, जयपुर।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जरिये निदे. (जन.स्वा.)।
19. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश बेवसाइट पर अपलोड करायेंगे।
20. रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाईजी/एम–1/जीओआई/2017–18 जयपुर, दिनांक **21** मार्च, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र, 22.02.2018 एवं 16.03.2018 एवं **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक** J-11060/14/2017-RH(M&T) dated 19-03-2018

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के कियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुबंध–1 में योजना की पात्रता हेतु स्थाई वरीयता सूची में जोडे जाने के मापदण्ड वर्णित है। उक्त सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.1.2018 द्वारा उक्त कार्य सम्पादन में समान मापदण्ड की पालना बाबत् निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में प्रासगिक पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत कियान्वयन का फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 3.3.1 मे प्रशासनिक मद से अनुमत गतिविधियां वर्णित है। योजनान्तर्गत पात्र परिवारों (Households) की पहचान किये जाने हेतु यथोचित स्थानीय प्रभावी माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे, जिससे सभी पात्र वंचित परिवार योजना की वरीयता सूची में जुडने हेतु अपील /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाले लाभार्थियो, जिनके नाम योजना की तैयार की गई अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं है, के चयन किये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर पहचान एवं योग्यता के निर्धारण उपरान्त पात्र परिवारों की तैयार सूची प्रेषित करने की अवधि 31 मार्च के स्थान पर अन्तिम दिनांक 30.06.2018 निर्धारित की गई है। इस क्रम मे ग्राम सभा से अनुमोदित पात्र परिवारो के वर्तमान आवास व प्रस्तावित स्थल की जिओं टैंग फोटो एवं अन्य जानकारी अपलोड कर सम्पूर्ण प्रक्रिया आवास सॉफ्ट पर मोबाईल एप ''आवासएप प्लस'' के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जानी है। साथ ही विशेष उल्लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''आवासएप प्लस'' मोबाईलएप का टेस्ट बेटा वर्जन भी जारी किया जा चुका है। अतः पंचायत समितिवार कम से कम एक मोबाईल नम्बर मय G-mail आईडी भी विभाग को प्रेषित कराने हेतु निर्देशित करावें, जिससे एप से

कार्य करने में भविष्य में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण एप के जारी होने से पूर्व ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से करवाया जा सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक J-11060/14/2017-RH(M&T) dated 19-03-2018 की पालना मे प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.2.18 द्वारा गतिविधिवार निर्धारित समयावधी के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित समयावधि निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	नाम गतिविधि	निर्धारित दिनांक
1.	वंचित पात्र व्यक्ति से अपील/प्रार्थना पत्र प्राप्त करना एवं	16.04.2018 तक
2.	पूर्व में प्राप्त विचाराधीन अपीलें एवं जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर प्राप्त नवीन अपीलों को ग्राम पंचायतवार सूचीबद्ध कर ग्रामसभा से अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना	
3	ग्रामसभाओं का आयोजन (प्रासंगिक पत्र अनुसार यदि ग्राम सभा आयोजित हो गई हो तो भी नये प्रार्थना पत्र/अपीलों सहित पुनः ग्राम सभा आयोजित की जावे)	16.04.2018 से 30.04.2018 तक
4	ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अभिशंषा के साथ सूची जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में "आवास प्लस" द्वारा ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण अपलोड करना।	21.05.2018 तक
5	जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अभिशंषा के साथ सूची विभाग को प्रस्तुत करना एवं "आवास प्लस" पर प्रस्तावित सूची अपलोड करना।	5.06.2018 तक

निर्धारित समस्त प्रकिया को पूर्ण करने के कम में दिनांक 16.04.2018 से 30.04.2018 तक ग्रामसभाए आयोजित किये जाने के आदेश जारी करवावें। उल्लेखनीय है कि पूर्व आदेशों की अनुपालना में यदि ग्रामसभाएं आयोजित हो गई हो, उन ग्रामपंचायतों में भी अन्य छूटें हुए वंचित पात्र परिवारों से प्रार्थना–पत्र आमंत्रित करते हुए दिनांक 16.04.2018 से 30.04.2018 तक की अवधि में पुनः ग्रामसभाएं आयोजित की जावें।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में पुनः निर्देश है कि पूर्व में जिला स्तर पर विचाराधीन अपीले एवं प्राप्त नवीन अपीलो का प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान व जोडे जाने की उक्त वर्णित प्रकिया की शत–प्रतिशत पालना करवाते हुए दिनांक 5.06.2018 तक पूर्ण कर राज्य को सूची प्रेषित करे, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य स्तर से सक्षम परीक्षण/अनुमोदन उपरान्त सूची प्रेषित की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

21/3/18

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रा.वि.

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(43)ग्राविवि–5/पीएमएवाई/मॉनिटरिंग–1./विविध/ 2016–17 जयपुर, दि.13 अप्रैल, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त ,राजस्थान।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजना के कियान्वयन हेतु SECC–2011(सेक–2011) के डाटा के आधार पर ग्राम सभा दिनांक 24 अप्रेल में ग्राम पंचायतवार वरियता सूची तैयार कराने बाबत।**

ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भव न, नई दिल्ली, के अ.शा. पत्र क्रमांक H-11013/5//2015-RH(M&T) दिनांक 23 मार्च 2016 द्वारा केन्द्रय केबिनेट द्वारा "**प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण**" का अनुमोदन " सभी को आश्रय–2022 " तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार "**ग्राम उदय से भारत उदय अभियांन**" दिनांक 14. अप्रैल, से 24 अप्रैल 2016 तक चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 24 अप्रेल को ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय,, भारत सरकार, से प्राप्त निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन **SECC–2011(सेक–2011) की रिपोर्ट के अनुसार डाटा के उपयोग बाबत** विभागीय स्तर पर जिला परिषदों के अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं एमआईएस मेनेजरो की कार्यशाला/विडियो कान्फ्रेसिग दिनांक 11.04.2016 को द्वारा **SECC–2011(सेक–2011) की सूची साफ्ट कापी (पेन ड्राईव) में उपलब्ध कराकर** ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कराने बाबत विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गई है जिससे वर्ष 2016–17 की स्वीकृतियॉ 01 मई 2016 से जारी की जा सके।

क.सं.	नाम गतिविधि	दिनांक
1	ग्राम पंचायातो को पात्र लाभार्थियों की वर्गवार वरीयता सूची उपलब्ध कराना (SC,ST, Minority & others)	21. अप्रेल
2	ग्राम सभा द्वारा वरीयता सूची का सत्यापन/अनुमोदन	24. अप्रेल
3	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अपीलेट (Appellate) कमेटी का गठन जिसमें एक राजकीय अधिकारी एवं एक गैर सरकारी सदस्य हो।	25.अप्रेल
4	प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण	30.मई
5	अन्तिम वरीयता सूची का प्रकाशन एवं आवास साफ्ट पर अपलोडिग	07 जून
6	वार्षिक चयन सूची तैयार करना	20 जून

उक्त सम्बंध में योजनान्तर्गत ग्राम सभा से अनुमोदित वरीयता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार अपीलेट (Appellate) कमेटी का गठन किया जाता है।

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव
3	जिला कलेक्टर द्वारा नामित गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य

अतः दिनांक 24 अप्रेल 2016 को आयोजित की जा रही ग्राम सभा में संलग्न विवरण अनुसार उक्तानुसार निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही कराकर दिनांक 07 जून 2016 तक आवास साफ्ट पर अन्तिम वरीयता सूची अपलोड कराकर विभाग को ई–मेल द्वारा भी आवश्यक रूप से प्रेषित करावे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

13/4/16

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त सचिव,(ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, एवं आयुक्त, पंचायत राज विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8. परि. निदेशक एवं उप सचिव, (मो एवं मू)ग्रावि को विभागीय –वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. जिला आवास प्रभारी, जिला परिषद, समस्त ।

13/4

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

कार्यालय जिला परिषद अलवर (ग्रा.वि.प्र)

क्रमांकः- 174-276

दिनांकः- 07-05-2018

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 21.03.2018 की पालना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थीयों की पहचान कर शामिल किये जाने हेतु ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अभीशंषा के साथ सूची जिला कियान्वयन निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करने एवं आवास सॉफ्ट में "आवास प्लस" द्वारा ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण अपलोड करने हेतु निम्नानुसार ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया जाता है।

क0सं0	अधिकारी का पद	अध्यक्ष/सदस्य
1.	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.	विकास अधिकारी	सदस्य
3.	तहसीलदार	सदस्य
4.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	ब्लॉक महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य

उपरोक्त गठित दल उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार कार्य का सम्पादन करेंगें:-

1. ग्राम सभा से अनुमोदित समस्त प्रस्तावो का ब्लॉक स्तर पर कन्ट्रोल रजिस्टर में ग्राम पंचायतवार संधारण करवाना।
2. ग्राम सभाओ से अनुमोदित समस्त प्रस्तावो का कन्ट्रोल रजिस्टर में संधारण उपरांत प्राप्त प्रस्तावो के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष जॉच दल का गठन करना। जॉच दल हेतु कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, पटवारी, आंगनबाडी कार्यकर्ता आदि का सहयोग प्राप्त कर सकते है।
3. प्राप्त सभी प्रस्तावो की जॉच उपरांत सुविधानुसार दिनांक 21.05.2018 तक नियमानुसार ठीक पाये गये सभी प्रस्तावो का अनुमोदन करना।
4. ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा बैठक कर प्रस्तावो के अनुमोदन उपरांत दिनांक 21.05.2018 तक सभी प्रस्तवो को अभिशंषा के साथ सूची जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करना।
5. दिनांक 21.05.2018 तक अनिवार्य रूप से आवास सॉफट में आवास प्लस द्वारा ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण अपलोड करना।

नोटः- ब्लॉक स्तरीय कमेटी के समक्ष ग्राम सभाओ से अनुमोदन पश्चात प्राप्त सभी प्रस्तावो के भौतिक सत्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपात्रता की 14 शर्तो का विवरण पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-अ में वर्णित है की विशेष रूप से पालना सुनिश्चित की जाये।

सलग्नः- उपरोक्तानुसार

07/05/18

जिला कलक्टर
अलवर

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
कमरा नं0–7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
Email:-ds.tad@rajasthan.gov.in website:-www.tad.rajasthan.gov.in
Phone:-0141-2227047, FAX:-0141-2227281

क्रमांकः एफ28()पार्ट IV/राज्य.स्त.नि.कमेटी/टीएडी/2015 दिनांक 21.6.2019

परिपत्र

विषयः–अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 (जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 05.03.2015) को शहरी क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 (जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 05.03.2015) को शहरी क्षेत्र में लागू करने के लिए शहरी क्षेत्र में वनाधिकार समितियों का गठन निम्न प्रकार किया जाना हैः–

वार्ड स्तर की समिति

1. वार्ड सभा द्वारा वार्ड सभाओ का संयोजन किया जायेगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस किन्तु पंद्रह से अनधिक व्यक्तियो को वनाधिकार समिति के सदस्यो के रूप में निर्वाचित करेगी। जिसमें कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होगे।

   परन्तु ऐसे सदस्यो मे से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाऐं होगी।
   परन्तु यह और की जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नही है वहां ऐसे सदस्यो मे से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होगी।

   नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम में निर्वाचित सदस्य जो दो या अधिक वार्डो का प्रतिनिधि है। वह वार्ड कमेटी का चैयरमैन होगा। (अनुच्छेद 243S (4)(B))

2. वन अधिकार समिति सचिव का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना उपखण्ड स्तर की समिति को देगी।

3. जब वन अधिकार समिति का कोई सदस्य व्यष्टिक वन अधिकार का दावेदार भी है तब वह उसकी सूचना समिति को देगा और जब उसके दावे पर विचार किया जायेगा तब वह सत्यापन कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

वार्ड सभा के कृत्य–(1) वार्ड सभा

(क) वन अधिकारो की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्यवाही आरभ करेगी और उससे संबंधित दावो की सुनवाई करेगी।
(ख) वन अधिकारो के दावेदारो की सूची तैयार करेगी और दावेदारो और उनके दावो के ऐसे ब्यौरो का एक रजिस्टर रखेगी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करेगी।

(ग) वन अधिकारो के सम्बन्ध में दावो पर संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियो और संबंधित प्राधिकारियो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, पारित करेगी और उन्हे उपखण्ड स्तर की समिति को भेज देगी।

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के खंड (ड) के अधीन पुनर्व्यवस्थापन पैकेजो पर विचार करेगी और

(ड) अधिनियम की धारा 5 के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए वन्य जीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यो मे से समितियो का गठन करेगी।

(2) वार्ड सभा के अधिवेशन– में गणपूर्ति ऐसी वार्ड सभा के सभी सदस्यो के दो तिहाई से अन्यून सदस्यो द्वारा होगी परन्तु जहां किसी वार्ड में अनुसूचित जनजातियो और गैर– अनुसूचित जनजातियो की विषम संख्या है वहां अनुसूचित जनजाति आदिम जनजातीय समूहो और कृषि पूर्व समुदायो के सदस्यो का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(3) वार्ड सभा को राज्य के प्राधिकारियो द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

उपखण्ड स्तर की समिति – राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यो के साथ उपखण्ड स्तर की समिति का गठन करेगी अर्थात

(क) उपखण्ड अधिकारी या समतुल्य अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) उपखण्ड का भारसाधक वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी– सदस्य

(ग) नगर निकाय/नगर निगम के तीन सदस्य जिन्हे नगर निकाय/नगर निगम द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा, जिसमें कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होगे जो वन निवासी है या जो आदिम जनजातीय समूहो के है और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं है वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी है। और एक महिला सदस्य होगी या संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रो में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद् या अन्य समुचित जोनल स्तर की परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जायेगे। जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का उपखंड का भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी।

उपखण्ड स्तर की समिति के कृत्य–उपखंड स्तर की समिति –

(क) प्रत्येक वार्ड सभा को नाजुक पेड पोधे और जीव जन्तु के संदर्भ में, जिन्हे सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है वन्य जीव, वन और जैवविविधता के संरक्षण के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यो और वन अधिकारो के धारक के कर्तव्यो तथा अन्य के कर्तव्यो के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

(ख) वार्ड संभाओ और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी।

(ग) संबंद्ध वार्ड सभाओ के सभी सकल्पो को एक साथ मिलाएगी।

(घ) वार्ड सभाओ द्वारा उपलब्ध कराए गये मानचित्रो और ब्यौरो को समेकित करेगी।

(ड)दावो की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए वार्ड सभाओ के संकल्पो और मानचित्रो की परीक्षा करेगी।

(च) किन्ही वन अधिकारो की प्रकृति और सीमा के सम्बन्ध में, नगर निगम/नगर निकाय के बीच विवादो की सुनवाई करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी।

(छ) नगर निकाय/नगर निगम सभाओं के संकल्पो से व्यथित व्यक्तियो, जिनके अन्तर्गत राज्य अभिकरण भी है, अर्जियो की सुनवाई करेगी।

(ज) अंतः उपखण्ड दावो के लिए उपखंड स्तर की समितियो के साथ समन्वय करेगी।

(झ) सरकारी अभिलेखो मे सांमजस्य करने के पश्चात् प्रस्तावित वन अधिकारो के ब्लॉक या तहसील वार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी।

(ण) प्रस्तावित वन अधिकारो के प्रारूप अभिलेख के साथ दावो को उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति का अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रेषित करेगी।

(ट) वन निवासियो में अधिनियम के अधीन और नियमो में अधिकथित उद्येश्यो और प्रक्रियाओ के बारे में जागरूकता पैदा करेगी।

(ठ) दावेदारो को दावों के इन नियमो के उपाबंध–1 (प्रारूप क और ख) में यथाउपबंधित प्रौफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(ड) यह सुनिश्चित नगर निकाय/नगर निगम सभाओ के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति से किए जाते है।

जिला स्तर की समितिः–राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यो के साथ जिला स्तर की समिति का गठन करेगी अर्थात् ;

(क) जिला कलक्टर या उपायुक्त– अध्यक्ष

(ख) संबंद्ध वन अधिकारी या संबंद्ध उप वन संरक्षक – सदस्य

(ग) जिला स्तर की नगर निकाय/नगर निगम के तीन सदस्य नगर निकाय/नगर निगम द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा, जिनमे से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होगे जो वन निवासी है या जो आदिम जनजाति समूहो के है और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नही है वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हो और एक महिला सदस्य होगी या संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रो में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद या समुचित जोनल स्तर की परिषद द्वारा नामनिर्देशित किये जायेगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का जिले का भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी।

जिला स्तर की समिति के कृत्य– जिला स्तर की समिति–

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खण्ड (ख) के अधीन अपेक्षित जानकारी वन अधिकार समिति को उपलब्ध करा दी गई है।

(ख) इस बारे में परीक्षा करेगी कि क्या सभी दावो, विशेषकर आदिम जनजातीय समूहो, पशु चारको और यायावर जनजातियों के सभी दावो का अधिनियम के उद्येश्यो को ध्यान मे रखते हुए समाधान किया गया हैं।

(ग) उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारो के दावो और अभिलेख पर विचार करेगी और अंतिम रूप से उनका अनुमोदन करेगी।

(घ) उपखंड स्तर की समिति के आदेशो से व्यथित व्यक्तियों से अर्जिया की सुनवाई करेगी।

(ड) अतः नगर निकाय/नगर निगम दावो के सम्बन्ध में अन्य नगर निगम/नगर निकाय के साथ समन्वय करेगी।

(च) सुसंगत सरकारी अभिलेखो, जिनके अंतर्गत अधिकारो का अभिलेख भी है, में वन अधिकारो के समावेश के लिए निर्देश जारी करेगी।

(छ) जैसे ही अभिलेख को अंतिम रूप दे दिया जाए, वन अधिकारो के अभिलेखो का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी। और

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन और इन नियमो के उपाबंध 2 और 3 में यथाविर्निदिष्ट वन अधिकारो और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रति संबंद्ध दावेदार और संबंधित वार्ड सभा को दे दी गई है।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर.....।
3. गार्ड फाइल।

संयुक्त शासन सचिव

d/letters

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक :– एफ.6 (9)प्र.सु.वि. / अनु.–3 / 2015 दिनांक 12-2-2015

आज्ञा

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.12.2014 को "स्वच्छ भारत मिशन" 2014 कार्यक्रम के तहत् दिशा निर्देश जारी किये गये है। जो शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट moud.gov.in पर उपलब्ध हैं। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. Elimination of open defecation
2. Eradication of Manual Scavenging
3. Modern and Scientific Municipal Solid Waste Management
4. To effect behavioral change regarding healthy sanitation practices
5. Generate awareness about sanitation and its linkage with public health
6. Capacity Augmentation for ULB's
7. To create an enabling environment for private sector participation in Capex (capital expenditure) and Opex (operation and maintenance)

स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के मुख्य मुख्य घटक निम्नानुसार है :–

1. Household toilets, including conversion of insanitary latrines into pour-flush latrines;
2. Community toilets
3. Public toilets
4. Solid waste management
5. IEC & Public Awareness
6. Capacity building and Administrative & Office Expenses (A&OE)

इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति एवं जिला स्तर व नगर स्तर पर समितियों का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

(A). राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee)

राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के प्रबंधन के लिये राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि / अधिकारी	समिति में पद
1.	प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी	समिति में पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सम्बन्धित	सदस्य
3.	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सम्बन्धित जिला	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सम्बन्धित जिला	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सम्बन्धित जिला	सदस्य
7.	दो विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
8.	दो प्रतिनिधि एन.जी.ओ/आर.डब्लू.ए. (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित)	सदस्य
9.	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित जिले की नगरीय निकाय	सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जिला मुख्यालय नगरीय निकाय	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति (DLRMC) द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

1. राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत् जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करना।
2. जिले के अधीन आने वाली नगरीय निकायो से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो को क्रियान्वयन कराना।
3. शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड समिति, एरिया सभा, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन, गैर सरकारी संगठनो और नागरिक समाज समूहो की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की गाईड लाईन के अनुसार मिशन के कार्यो को पूर्ण करना।

(D). सिटी लेवल निगरानी समिति (City Level Monitoring Committee) :-

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी	समिति में पद
1.	महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगरीय निकाय	अध्यक्ष
2.	उपखण्ड अधिकारी, सम्बन्धित उपखण्ड	सदस्य
3.	दो निर्वाचित पार्षद, सम्बन्धित नगर निकाय (सम्बन्धित महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
4.	अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
5.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
6.	शिक्षा अधिकारी शहर (प्राथमिक) संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
7.	शिक्षा अधिकारी शहर (माध्यमिक)संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
8.	दो विषय विशेषज्ञ (सम्बन्धित महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9.	दो प्रतिनिधि एन.जी.ओ/आर.डब्लू.ए (सम्बन्धित महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य सचिव

सिटी लेवल निगरानी समिति (CLMC) द्वारा किये जाने वाले कार्य :—

1. स्वच्छ भारत मिशन के तहत् राज्य स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा व निगरानी समिति द्वारा जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करना।
2. शहरी स्थानीयं निकाय, वार्ड समिति, ऐरिया सभा, रेजीडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिऐशन, गैर सरकारी संगठनो और नागरीक समाज समूहो की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की गाईड लाईन के अनुसार मिशन के कार्यो को पूर्ण करना।

उक्त समितियां स्वच्छ भारत मिशन के तहत् जारी किये गये दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित करेंगी। "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग होगा।

आज्ञा से

र.भारद्वाज

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)

उप शासन सचिव

दिनांक :—

क्रमांक :— एफ.6 ( )प्र.सू.वि./अनु.–3/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राज. जयपुर।
11. शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
16. जिला कलक्टर्स समस्त, राजस्थान।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
19. अधिक्षण अभियन्ता, समस्त जिला मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग।
20. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
21. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त, जिला मुख्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग।
22. उप खण्ड अधिकारी उप खण्ड .... राजस्थान।
23. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग ....।
24. चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी राजकीय चिकित्सालय................।
25. शिक्षा अधिकारी, शहर माध्यमिक/प्राथमिक ....।
26. मुख्य अभियन्ता निदेशालय।
27. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
28. निदेशक विधि, निदेशालय।

अनुभागाधिकारी

D:\Chief Engi/Hindi Letter

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
क्रमांक/एफ.13 (1)ब.श्र./मीटिंग/एनएचआरसी/श्रम/17/पार्ट–2/7429 दिनांक: 03.05.2017

आदेश

विषयः–बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 एवं बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बंधक श्रम उन्मूलन हेतु **मानक संचालन प्रक्रिया** (Standard Operating Procedure)।

राजस्थान सरकार द्वारा बंधक श्रम उन्मूलन एवं प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास के लिये बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 एवं बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत बंधक श्रम से अवमुक्त कराये जाने की प्रक्रिया एवं उनके नियोजकों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत विचारण की प्रक्रिया दी हुई है, साथ ही अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर सतर्कता समितियॉ गठित की हुई है।

बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 (जी) के अंतर्गत बंधक श्रम की परिभाषा दी गई है। अधिनियम की धारा 2 (एच) में बंधक श्रम के परिवार की परिभाषा दी गई है तथा 2 (आई) में नाम मात्र की मजदूरी की परिभाषा दी हुई है। अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव (over riding effect) है। धारा 12 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य दिये गये है। धारा 21 के तहत अपराधों का विचारण करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) द्वारा संक्षेप्तः विचारण (Summary Trial) की व्यवस्था की गयी है। धारा 22 के अनुसार इस अधिनियम के तहत किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय अपराध है (Cognizable Offence) की श्रेणी में आता है। अतः बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की पालना कराना जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक का आज्ञापक कर्तव्य (Mandatory Duty) है।

अधिनियम के अंतर्गत अवमुक्त कराये गये श्रमिक के पुनर्वास का दायित्व जिला प्रशासन पर है। जिला प्रशासन विभिन्न विभागों के समन्वय से अवमुक्त श्रमिक का आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास कराता है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सेन्ट्रल सेक्टर बोडेंड लेबर स्कीम, 2016 लागू है जिसके तहत अवमुक्त कराये गये श्रमिक को तात्कालिक सहायता के रूप में 20,000 रूपये तथा पुनर्वास हेतु विभिन्न श्रेणियों के लिये एक लाख से तीन लाख (तात्कालिक सहायता रूपये 20,000 सहित) के पुनर्वास की सहायता के प्रावधान किये गये हैं।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से ईंट–भटटा, पत्थर की खानें, कृषि फार्म, गलीचा उद्योग, होटल एवं कारखानें आदि की विशेष निगरानी व्यवस्था हेतु सर्वे की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिनियम के प्रभावी होने से अब तक मुख्य रूप से कृषि फॉर्म, ईंट–भटटा, आरा तारी आदि उद्योगों में बंधक श्रमिक चिन्हित किये गये हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नॉडल एजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15–10–2012 को सिविल रिट पीटिशन सं0 3922/85 पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज –बनाम– स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य में बंधक श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

बंधक श्रम उन्मूलन विधिक दृष्टि से तथा मानवता की दृष्टि से राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बंधक श्रम की पहचान, अवमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु सभी संबंधितों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :–

1– जिला प्रशासनः–

1.1 जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिकों यथा पटवारी, ग्राम सेवक आदि के माध्यम से वर्ष में दो बार मई–जून तथा नवम्बर–दिसम्बर में बंधक श्रमिकों की खोज/पहचान हेतु सामान्य सर्वे कराया जायेगा। यदि केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विशेष सर्वे हेतु राशि आवंटित होती है तो योजना के तहत दिये गये दिशा निर्देशानुसार विशेष सर्वे कराया जायेगा ।

1.2 सर्वे के दौरान चिन्हित एवं अवमुक्त कराया गया अथवा किसी अन्य प्रकार से यथा शिकायत या किसी अन्य राज्य से कोई बन्धक श्रमिक पुनर्वास हेतु जिले मे आता है तो उसके पुनर्वास का दायित्व जिला कलक्टर का होगा। जिला कलक्टर सभी संबंधित विभागों से समन्वय कर अवमुक्त करवाये गये सभी श्रमिकों को पुनर्वास करेगा।

1.3 बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के सभी 33 जिलो में **'जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति'** गठित की हुई है जिनका प्रति दो वर्ष में पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है एवं **प्रत्येक दो माह में एक बार** समिति की बैठक की जानी आवश्यक है। **'जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति'** का गठन निम्न प्रकार होगा :–

क्र.स.	नाम पदाधिकारी	सतर्कता समिति में पद
1	जिला कलक्टर या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3	अध्यक्ष, विधिक सहायता समिति या उनके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	सदस्य
4	श्रम कल्याण अधिकारी	सदस्य
5	तीन व्यक्ति जो अनु0 जातियो/अनु0जनजातियों के हों और जिले के निवासी हो जिला कलक्टर द्वारा नाम निर्देशित किये जावेंगे	सदस्य
6	दो सामाजिक कार्यकर्त्ता जो जिले में निवास करते हो जिला कलक्टर द्वारा नाम निर्देशित किये जावेगें	सदस्य
7	जिले की वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जिला कलक्टर द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	सदस्य

1.4 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्धक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत सतर्कता समिति के सदस्यों, पुलिस, राजस्व, श्रम, पंचायती राज एवं बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ **वर्ष में दो बार कार्यशाला** आयोजित कर उन्हें अधिनियम में उनके कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील करेगा।

1.5 अधिनियम के तहत समस्त कार्यों एवं शक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील किए जाने के उद्देश्य से श्रम विभाग की वेबसाईट पर विस्तृत सूचना (Resource Material) दिया हुआ है। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट अन्तराल में बंधक श्रम (उन्मूलन) प्रक्रिया में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व कर्मचारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारी इस संबंध में सभी जानकारियों का अध्ययन कर बन्धक श्रम उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेगें।

1.6 बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 12 के अन्तर्गत सर्वे अथवा शिकायत की जॉच के दौरान चिन्हित किये गये बंधक श्रमिक को अवमुक्त कराने का दायित्व **उपखण्ड अधिकारी** का है। वह जांच के दौरान आये सभी साक्ष्यों का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन कर अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा पुनर्वास हेतु जिला कलक्टर को अग्रेषित करेगा।

1.7 **सेन्ट्रल सेक्टर बॉन्डेड लेबर स्कीम 2016** के अन्तर्गत बंधक श्रमिक को अवमुक्त करवाये जाने के साथ–साथ नियोजक के विरूद बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 21 के तहत अपराध के विचारण की शक्तियां उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 11/12/1975 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की हुई है। ऐसे में नियोजक के विरूद्ध अपराध का विचारण करने का दायित्व संबंधित मजिस्ट्रेट का है।

1.8 जिला कलक्टर अवमुक्त कराये गये बंधक श्रमिक को दिनांक 17.05.2016 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी **सेन्ट्रल सैक्टर बॉन्डेड लेबर स्कीम** में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप पुनर्वासित करेगा। यदि बंधक श्रमिक का पुनर्वास किसी अन्य जिले में किया जाना है तो संबंधित जिला कलक्टर को **सम्पूर्ण विवरण मय अवमुक्ति प्रमाण पत्र** प्रेषित किया जावेगा।

1.9 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित **छःमाही रिटर्न** (1 जनवरी से 30 जून तथा 1 जुलाई से 31 दिसंबर) प्रत्येक छः माह की समाप्ति के 15 दिवस में श्रम विभाग के जिला कार्यालय को प्रेषित करने का दायित्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा।

1.10 बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13.3 के अंतर्गत प्रत्येक उपखंड में **उपखंड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति** का गठन दो वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। उक्त समिति निम्न प्रकार गठित होगी :

क्र.स.	नाम पदाधिकारी	सतर्कता समिति में पद
1	उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2	उपखंड में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय एवं अशासकीय निकायों के प्रतिनिधित्व करने के लिये	सदस्य

	अधिक से अधिक 3 व्यक्ति को जिला कलक्टर द्वारा नाम निर्देशित किये जावेंगे (अ)– विकास अधिकारी (ब)– तहसीलदार (स)– महिला एवं बाल विकास अधिकारी	
3	उपखंड में वित्तीय तथा ऋण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक व्यक्ति, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जावेगा	सदस्य
4	एक अधिकारी, जो धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है और उपखंड में कार्य कर रहा है (सहायक कलक्टर)	सदस्य
5	तीन व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हो और उपखंड के निवासी हो, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जावेगें	सदस्य
6	दो सामाजिक कार्यकर्ता जो उपखंड के निवासी हो, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जावेंगे	सदस्य

उक्त समिति **दो वर्ष की अवधि** के लिये कार्यरत रहेगी। प्रत्येक **दो माह में एक बार** इसकी बैठक आवश्यक रूप से की जावे।

1.10– सतर्कता समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

1.10.1 इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाएं गए किसी नियम के उपबंधों को समुचित रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के संबंध में जिला कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देना।

1.10.2 मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना।

1.10.3 मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्रामीण बैंको और सहकारी समितियों के कार्यों का समन्वय करना और उन्हें समुचित सहायता उपलब्ध कराना।

1.10.4 बंधक श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत दर्ज आपराधिक प्रकरणों की संख्या पर निगरानी रखना।

1.10.5 यह सर्वेक्षण भी करना कि क्या ऐसा कोई अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था।

1.10.6 मुक्त किये गये बंधक श्रमिक या उसके कुटुम्ब के सदस्य या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिये हो, जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है ।

1.11 प्रायः यह देखा गया है कि **जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति** की बैठक प्रत्येक दो माह में नही होकर 6 माह या 1 वर्ष के अंतराल पर की जाती है जिसके कारण योजना की क्रियान्विति पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः यह सुनिश्चित करें कि समितियों की बैठक **प्रत्येक दो माह में एक बार आवश्यक रूप से हो।** इन बैठको में उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी चर्चा/कार्यवाही की जावे :

1.11.1 वर्ष में दो बार, माह मई–जून एवं नवम्बर–दिसम्बर में कराये गये सर्वे की समीक्षा एवं ग्राम सभाओं/वार्ड सभाओं में बंधक श्रमिकों के संबंध में एकत्रित की गई सूचनाओं का विश्लेषण।

1.11.2 जिले/उपखंड में मुक्त हुए श्रमिकों के मालिकों के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की स्थिति एवं उनके शीघ्र निस्तारण पर की गई कार्यवाही। लंबित प्रकरणों एवं उनके निस्तारण में विलम्ब संबंधी सूचना इस विभाग को भिजवायी जावे जिससे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं श्रम मंत्रालय को लंबित प्रकरणों की जानकारी दी जा सके।

1.11.3 पुनर्वासित बंधक श्रमिकों को दी गई वित्तीय सहायता, राज्य में चल रही अन्य योजनाओं में लाभान्वित करने की समीक्षा, बैंक एवं सहकारी समितियों से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना एवं अन्य सुविधाएं जो बंधक श्रमिकों को उपलब्ध करवायी गई है की विस्तृत सूचना समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में देवें।

1.11.4 जिले में चलाये जा रहे विशेष सर्वे एवं मूल्याकंन अध्ययन की समीक्षा ।

1.11.5 जिले में बंधक श्रमिक प्रभावी क्षेत्र जैसे ईट–भटटा, पत्थर की खानें, बडे कृषि फार्म, गलीचा उद्योग, होटल एवं कारखानें आदि की विशेष निगरानी की व्यवस्था एवं ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जावे एवं रिपोर्ट में सूचना प्रस्तुत की जावे ।

1.11.6 जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय समिति के प्रत्येक सदस्य को बंधक श्रमिक योजना से संबंधित जानकारी, परिपत्र आदि उपलब्ध करवाये जावे एवं वर्ष में एक बार प्रत्येक सदस्य को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिलवाये, जिससे बंधक श्रम अधिनियम योजना से संबंधित कानूनी पहलू, श्रमिकों का सर्वेक्षण, पुनर्वास, पुनर्वास पश्चात देख–रेख एवं उन पर निगरानी संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण आवश्यक रूप से दिलवाया जावे ।

1.11.7 सर्तकता समिति की बैठकों में गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किये जावें एवं बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति उन्हें आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें।

2– पुलिस विभागः–

2.1 बंधक श्रमिकों के अवमुक्ति की कार्यवाही में पुलिस द्वारा सक्रियता एवं गोपनीयता से भाग लिया जायेगा।

2.2 बंधक श्रम नियोजित करने वाले एवं उनकी तस्करी में लिप्त नियोजकों एवं दलालों के खिलाफ अधिनियम के अतंर्गत संज्ञेय अपराध के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचना दर्ज करने सहित समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जावेगी ।

2.3 स्थानीय पुलिस सतत् रूप से थाना क्षेत्र में बंधक श्रमिकों के नियोजन की जानकारी करेगी और यदि बंधक श्रमिक नियोजित है तो तुरन्त संज्ञान लेकर सतर्कता समिति/उपखण्ड मजिस्ट्रेट के सहयोग से उसे मुक्त करायेगी।

2.4 पुलिस द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही का विवरण जिला प्रशासन व श्रम विभाग को दिया जावेगा ।

3— <u>श्रम विभाग:—</u>

3.1 **श्रम आयुक्त, राजस्थान द्वारा श्रम विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध बोन्डेड लेबर रिसोर्स मेटेरियल को निरन्तर अद्यतन (Update) कर जिला स्तरीय सतर्कता समितियों को सूचित करना ।**

3.2 जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली सतर्कता समिति की बैठको में उस जिले का वरिष्ठतम श्रम अधिकारी सदस्य सचिव होता है। अतः यह उसका दायित्व है कि वह समय पर सतर्कता समिति की बैठको के लिये जिला मजि0 से समन्वय कर बैठकें आयोजित करावें ।

3.3 उपखंड स्तर की सतर्कता समितियों की बैठकों एवं कार्यवाही विवरण आदि को संकलित कर जिला कलक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

3.4 श्रम विभाग के निरीक्षक/अधिकारी, बन्धक श्रमिक नियोजित करने वाले नियोजक के विरूद्ध सभी लागू श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण कर नियमानुसार अभियोजन की कार्यवाही करेगें।

3.5 अवमुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों सेन्ट्रल सेक्टर बोडेंड लेबर स्कीम के तहत पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु बाल श्रमिक परियोजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला परिषद एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय तथा अन्य क्षेत्र के पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों एवं बैंको से समन्वय का कार्य ।

3.6 जिले के सभी उपखंडों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किये जाने वाले छःमाही रिपोर्ट का संकलन एवं एकजाई कर जिले की छःमाही रिटर्न श्रम आयुक्त कार्यालय को भिजवाना।

3.7 जिला स्तर पर बंधक श्रमिकों का रिकार्ड संधारित करना ।

4— <u>बाल श्रमिक परियोजना संस्था</u>

4.1 सेन्ट्रल सैक्टर बॉन्डेड लेबर स्कीम, 2016 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को समय–समय पर मांग भेजना एवं आवश्यकतानुसार जिला मजिस्ट्रेट को पुनर्वास हेतु राशि उपलब्ध करवाना।

4.2 बंधक श्रम पुनर्वास के संबंध में समस्त लेखों का संधारण।

4.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य लेखो प्रपत्रों का सम्प्रेषण ।

4.4 जिला स्तर पर एवं उपखण्ड स्तर पर पुनर्वास के संबंधित कार्यो का समन्वय।

बन्धक श्रम उन्मूलन हेतु जिला स्तर पर की गई समस्त कार्यवाही की सारभूत रिपोर्ट जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष जून एवं दिसम्बर माह में अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित की जाएगी।

मुख्य सचिव
राजस्थान, जयपुर।
जयपुर, दिनांकः

क्रमांकःएफ13(1)ब.श्र./मीटिंग/NHRC/श्रम/2017/पार्ट–2/7430-7888 जयपुर दिनांक 03.05.2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
5. समस्त पुलिस अधीक्षक
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
7. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सहायता समिति
8. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी
9. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट
10. समस्त परियोजना निदेशक, बाल श्रमिक परियोजना संस्था
11. आदेश पत्रावली।

(डॉ. पृथ्वी)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान जयपुर

CIN: U74999RJ2004SGC019961

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd.
(RUDSICO)
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Old Working Women Hostel, Behind Nehru Place, Lal Kothi, Tonk Road Jaipur.
Ph. 0141- 2742240, 2742538, 2742263 Fax No. 0141-2740771 E-mail: rulfdco@gmail.com

F 17 (1) RUDSICO/Road Restoration Work//2017-18/ 10112-44 Date:- 28 JUN 2019

जिला कलेक्टर,
अलवर........

विषयः– RUIRP Phase – I अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क निर्माण / सुधार / पेचरिपेयर / मरम्मत कार्यो की भौतिक, वित्तीय प्रगति एवं गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम में।

संदर्भ – इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4339 दिनांक 06.03.2019.
इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5557–5749 दिनांक 29.03.2019 एवं 9129–9326 दिनांक 10.06.2019.

उपरोक्त संदर्भित पत्र संलग्न कर लेख है की माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के निर्देश के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5557–5749 दिनांक 29.03.2019 द्वारा RUIRP Phase – I अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क निर्माण / सुधार / पेचरिपेयर / मरम्मत कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट (संबंधित नगर निकाय के कार्यक्षेत्र में आने वाले) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी तथा समिति द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट सात दिवस में रूडसिको कार्यालय में प्रस्तुत करनी थी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9129–9326 दिनांक 10.06.2019 द्वारा पुनः समस्त नगर निकायो को 14.06.2019 तक जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु आज दिनांक तक कुछ नगर निकायो द्वारा ही जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो की बेहद खेदजनक है।

अतः इस क्रम में लेख है की इस कार्यालय के आदेश दिनांक 06.03.2019 के अनुसरण में संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट को RUIRP Phase – I के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की जॉच कर रिपोर्ट रूडसिको कार्यालय को 05.07.2019 तक भिजवाने हेतु निर्देशित करें, ताकी समस्त रिपोर्ट संकलित कर माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास को अवलोकन हेतु भेजी जा सके।

सलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सिद्धार्थ महाजन)
सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर
क्रमांकः सामान्य/19/ 12418-28 दिनांक 07/8/19
1. उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास, तिजारा, बहरोड, कठूमर, राजगढ़
2. आयुक्त नगर परिषद अलवर/भिवाडी
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खैरथल, किशनगढ़...

CIN: U74999RJ2004SGC019961

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd.
(RUDSICO)
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Old Working Women Hostel, Behind Nehru Place, Lal Kothi, Tonk Road Jaipur.
Ph. 0141- 2742240, 2742538, 2742263 Fax No. 0141-2740771 E-mail: rulfdco@gmail.com

F.17 (1) RUDSICO/Road repair/Restoration Work/2017-18/ 4339 Date:- 06 MAR 2019

आदेश

माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित रूडसिको की बोर्ड बैठक दिनांक 03.03.2019 में दिये गये निर्देश के क्रम में, RUIRP Phase I के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क निर्माण/सुधार/पेचरिपेयर/मरम्मत कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु निम्नलिखित अधिकारियो की समिति गठित की जाती है:–

1. उपजिला मजिस्ट्रेट, संबंधित नगर निकाय के कार्यक्षेत्र में आने वाले – सदस्य
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित नगर निकाय – सदस्य सचिव
3. कनिष्ठ अभियन्ता, संबंधित नगर निकाय – सदस्य

उक्त समिति अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्त नगर निकायों में सड़क निर्माण/सुधार/पेचरिपेयर/मरम्मत कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं गुणवत्ता रिपोर्ट तथा समय–समय पर स्वायत्त शासन विभाग एवं रूडसिको से जारी दिशा निर्देशो की अनुपालना की समस्त जानकारी की सील बंद रिपोर्ट 15 दिवस में, कार्यकारी निदेशक, रूडसिको को प्रस्तुत करेंगी।

5/3/19
सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

F.17 (1) RUDSICO /Road repair/Restoration Work/2017-18/4340-78 Date:- 06 MAR 2019

प्रतिलिपि:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर को भेज कर लेख है कि कृपया संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट को सत्यापन हेतु नामित व निर्देशित करने का श्रम करें जिससे माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो की अनुपालना की जा सके।
5. समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट, संबंधित नगर निकाय।
6. परियोजना निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित नगर निकाय को भेज कर लेख है कि संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट एवं कनिष्ठ अभियन्ता से समन्वय स्थापित कर भौतिक सत्यापन की प्रति 15 दिवस में प्रेषित करें।
8. कनिष्ठ अभियन्ता, संबंधित नगर निकाय को पालनार्थ।

अति. मुख्य अभियन्ता

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प.13(1)प्र0सु0/सम0/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांकः25 जुलाई, 2012

आदेश

राजस्थान सुनवाई का अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जून, 2012 द्वारा द्वितीय अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित **उप–खण्ड** लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

1	उपखण्ड अधिकारी	संयोजक
2	प्रधान	सदस्य
3	उप अधीक्षक, पुलिस	सदस्य
4	अध्यक्ष, नगरपालिका	सदस्य
5	उप–खण्ड स्तरीय लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्यों में से एक सदस्य जिला कलक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।	सदस्य
6	उप–खण्ड स्तरीय लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य जिला कलक्टर द्वारा नामित किया जायेगा। (महिला सदस्य को वरीयता दी जावेगी)	सदस्य

यह उप समिति पंचायत स्तर के प्रकरणों में द्वितीय अपील प्राधिकारी के रूप में प्रकरणों पर सुनवाई करने के लिए अधिकृत होगी ओर अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्राधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां इस इस उप समिति में निहित होगी।

इस समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले द्वितीय अपील आवेदन उप समिति के संयोजक द्वारा प्राप्त किये जावेंगे। बैठकें संयोजक द्वारा आहूत की जावेगी जिनमें सदस्यों की गणपूर्ति 50 प्रतिशत आवश्यक होगी।

आज्ञा से,

(डा. आर. पी. जैन)

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ.8(1)आ.प्र.एवंसहा/बाढ़/2019/6183 जयपुर, दिनांकः 8-8-19

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

O.I.C सहायता
13/08/19

विषय :– भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना जैसे सड़कों/पुलों/बांधों/नहरों आदि की सूचना प्रेषित करने बाबत।

महोदय,

9362
14/8

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर समय समय पर अत्यधिक वर्षा से जलप्लावन/जलभराव होने पर बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध, राजकीय विद्यालय, सामुदायिक भवन, पंचायत घर, आंगनबाडी केन्द्र आदि) क्षतिग्रस्त होने के सम्भावना रहती है। इन आधारभूत संरचना की क्षति से जनजीवन बाधित न रहे, इस हेतु उनका अस्थाई पुनर्स्थापन राज्य आपदा मोचन निधि से किया जा सकता है। बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों का भी शीघ्र सर्वे करवाकर उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि से राहत दी जानी होती है।

739
16/8/19
2(1)(2)/2019

इस संबंध में आपके जिले में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक Restoration हेतु प्रेषित प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों में पूर्ण सूचना अंकित कर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अन्तर्गत ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों में पूर्ण सूचना अंकित कर नहीं भिजवाये जायेगें तो ऐसे प्रस्तावों पर विभाग द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न :– प्रपत्र संख्या 1 से 3 तक।

भवदीय

संयुक्त शासन सचिव

\\10.68.21.99\Public\sunil ji\Flood 2019 (1).docx

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2019/ 6182 जयपुर,दिनांक 8-8-19

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :– राज्य आपदा मोचन निधि में अनुज्ञेय प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के **Restoration** के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के बिन्दु संख्या 10 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर समय समय पर अत्यधिक वर्षा से जलभराव होने पर बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध आदि) क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। बाढ़/अत्यधिक वर्षा से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को होने वाली इस प्रकार की क्षति की तात्कालिक Restoration का प्रावधान राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु संख्या 10 में अनुज्ञेय है। इसके तहत उन्हीं कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है, जिसके कारण आपदा प्रभावित लोगों का सामान्य जन–जीवन प्रभावित होता है।

इस संबंध में गत वर्षों में विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration सम्बन्धी कार्यों के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदित प्रस्ताव जिला कलक्टर इस विभाग को प्रेषित करेगें। जिला कलेक्टर (सहायता) निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव विभाग को भिजवाये जिसमें क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का वर्गीकरण, क्षति की दिनांक, क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा, क्षति का मुख्य कारण तथा क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन आदि की सूचना होना आवश्यक है, ताकि प्रस्तावों की समीक्षा किया जाना संभव हो सके। जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में यह प्रमाण पत्र अवश्य अंकित होना चाहिए कि प्रस्तावित कार्य बाढ़/अत्यधिक वर्षा से ही क्षतिग्रस्त हुए है, जिसकी तात्कालिक Restoration करवाया जाना आवश्यक है, ताकि सामान्य जन–जीवन प्रभावित न हो।

प्राकृतिक आपदाओं से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्रों में ही प्रस्ताव भिजवाये जाने पर विभाग द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी

विभाग/संस्था द्वारा जारी की जायेगी तत्पश्चात् जिला कलक्टर कार्यालय तात्कालिक Restoration के लिए आवश्यक बजट की मांग इस विभाग को On line विभाग के वेबपोर्टल पर भेजेगें।

इस विषय में निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration के प्रस्ताव जिला कलक्टर सर्वप्रथम उपखण्ड स्तरीय समिति से परीक्षण/सत्यापन करवाये। उपखण्ड स्तरीय समिति यह आश्वस्त होने के बाद ही, कि परिसम्पत्ति की क्षति बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण ही हुई है तथा सामान्य जन–जीवन को बाधित होने से बचाने के लिए उसकी तात्कालिक मरम्मत आवश्यक है, अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रेषित करेगी।
2. उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा प्राप्त होने पर जिला कलक्टर प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को निर्धारित प्रपत्र में भिजवायेंगें। प्रस्तावों के साथ यह प्रमाण–पत्र भी देना होगा कि प्रस्तावित कार्य बाढ़/अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्ति से ही सम्बन्धित है एवं एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार है।
3. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों का **अनुमोदन किये जाने के उपरान्त** जिला कलेक्टर अनुमोदित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर पर जारी करेगें। अनुमोदित कार्यों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में भी स्वीकृत कराया जाये।
4. सम्बन्धित विभाग/कार्यकारी संस्था, जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में, तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी करेंगे।
5. प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त जिला कलक्टर, तात्कालिक Restoration के कार्यों हेतु, आवश्यक बजट की मांग इस विभाग को On line प्रेषित करेंगे।
6. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से बजट आवंटन प्राप्त होते ही जिला कलक्टर बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे।
7. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
8. तात्कालिक Restoration कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी/संस्था/संबंधित विभाग द्वारा सक्षम स्तर से जारी की जायेगी। कार्यकारी एजेंसी एवं अन्य विभागों द्वारा

विभागीय निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु वांछित सामग्री यथा–सीमेंट, रोड़ी, ईट, बजरी आदि के लिए यदि सामग्री–प्रदाताओं के साथ वार्षिक दर–संविदा की हुई है, तो उन दरों एवं शर्तो पर सामग्री कय की जा सकती हैं। दर–संविदा के तहत सामग्री की दरें तात्कालिक निविदा दरों से सामान्यतया कम होगी।

9. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWF&AR एवं RTPP नियम के अनुसार मान्य होगी।

10. जिला कलेक्टर द्वारा तात्कालिक Restoration कार्यों से संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी को बजट का हस्तान्तरण/आंवटन नही किया जाकर उनके द्वारा पारित बिलों के आधार पर अपने स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कृपया विभागीय पत्र कमांक 12199–231 दिनांक 03.10.2008 का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट है कि रनिंग/फाइनल बिल का भुगतान जिला कलक्टर कार्यालय स्तर से कोष कार्यालय के मार्फत ही किया जाये।

11. बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के **Restoration** में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक **Restoration** ही किया जाना है, न कि नया निर्माण। इस सम्बन्ध में कृपया एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधानों की आवश्यक रूप से पालना करें।

12. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के **Restoration** कार्य, कार्य प्रारम्भ करने की तिथी से 30 दिवस तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

13. राज्य आपदा मोचन निधि के बिन्दु संख्या 10 एवं उसके परिशिष्ट की पूर्ण पालना के अनुसार गणना कर सड़कों/पुलों के प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करें।

14. क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के प्रस्ताव भिजवाते समय जिला कलेक्टर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से यह प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें कि नहरों का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों के लिये निरन्तर लिया जा रहा है तथा इसके क्षतिग्रस्त होने से इसका प्रभाव जनजीवन पर हो रहा है। क्षतिग्रस्त नहरों/बांधों के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि प्रेषित प्रस्ताव लघु सिंचाई परियोजना से संबंधित है अथवा मध्यम/वृहत सिंचाई परियोजना से संबंधित है। एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार मध्यम एवं वृहत सिचांई परियोजना के लिय ग्रामीण सड़को को देय सहायता के अनुसार अर्थात प्रति कि.मी. 60,000/– रूपये एवं लघु सिंचाई योजना हेतु प्रति स्कीम 1.50 लाख रूपये का प्रावधान है।

15. जिला कलेक्टर कार्यकारी ऐजेन्सी से कार्य प्रारम्भ करवाने से पूर्व यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित

राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

16. पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध आदि) की मरम्मत हेतु माह दिसम्बर, जनवरी तक प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार तात्कालिक Restoration किया जाना ही अनुमत है। अतः क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के प्रस्ताव दिनांक 15 अक्टूबर तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

17. तात्कालिक Restoration के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिला कलक्टर कार्यालय, संबंधित कार्यकारी संस्थाओं से, पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को इससे अवश्य अवगत करावें। समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक है। तात्कालिक Restoration के कार्यों से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जायेगा। आपदा के समय करवाये गये कार्यों के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु बजट की मांग पर विभाग द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7/8

(आशुतोष ए.वी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि :– समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 4 (1) आ.प्र. एवं स.आ./पेयजल/2011/3551-70 जयपुर,दिनांकः 18-03-2011

जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर।

विषयः– अभाव संवत 2067 में अकाल प्रभावित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत् दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ.1(1)(4)आ.प्र.सआ/सामान्य/2010/353–68 दिनांक 15.1.2011 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अतः जिले में अप्रेल, 2011 से आपातकालीन पेयजल परिवहन आपदा राहत निधि से कराने की व्यवस्था के लिए आपको अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा –निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:–

1. जिले के आबादी क्षेत्रों में जहाँ नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास किये जायें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर, पेयजल की आपूर्ति की जाए।

2 स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जाये

2.1 ऐसे गांव जहाँ अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण पेयजल स्त्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.6 किमी की परिधि में कोई भी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहाँ संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।

2.2 ऐसे गांव, जहाँ [illegible] विद्यमान है परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है वहाँ भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।

3 यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्रोली/ऊंट गाडी/बैल गाडी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से दरों का निर्धारण आगामी बिन्दुओं में दिये गये प्रावधान अनुसार कराया जाए

अ.	जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो अति. जिला कलेक्टर स्तर से कम के न हो	अध्यक्ष
ब.	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि.विभाग का प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियन्ता से कम का न हो।	सदस्य
स.	कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि अथवा लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय	सदस्य

4 जिन समस्याग्रस्त गॉवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टेंकर/ बैलगाडी की व्यवस्था की जानी है, वहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्भव स्थानीय हो।

5 ऐसे जिले, जहाँ पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये है, जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो भूतपूर्व सर्विसमेन अथवा सेवा निवृत वाहन चालक एवं खलासियों को

वित्त विभाग/आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के नवीनतम आदेश द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार रख लिये जाए।

6 सभी समस्याग्रस्त गांवों/ढाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्भावित समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल परिवहन की दरें पूर्व में ही निर्धारित कर ली जावे। दरों का निर्धारण पूर्व वर्षों में निर्धारित दरों, मूल्य वृद्धि, बाजार की प्रचलित दरों एवं न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा निर्धारित की जावे। दरों का निर्धारण भिन्न भिन्न वाहनों यथा टैंकर/टंकी की पानी की क्षमता के अनुसार पक्के/कच्चे रास्ते (Route) की अलग–अलग की जावे एवं पेयजल स्त्रोत से वितरण स्थल (Destination) तक का रूट चार्ट सम्बन्धित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से अनुमोदन कराया जावे, जिसके अनुसार ही भुगतान कराया जावे।

7. जिला कलक्टर के स्तर पर कमेटी द्वारा दरों के निर्धारण उपरान्त पेयजल परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जायेगी। ग्राम पंचायतें इन निर्धारित दरों पर टैंकर किराये पर लेकर पेयजल की आपूर्ति गांव में कर सकती है। पेयजल परिवहन के बिलों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर पाक्षिक रूप से करने के उपरान्त तहसील स्तर से इसका भुगतान किया जाए। तहसीलदार द्वारा इन बिलों के प्राप्त होने के पश्चात इनका भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराया जावेगा।

8 (i) शहरी एवं नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल परिवहन का कार्य पीएचईडी के माध्यम से कराया जायेगा। इसके लिये जलदाय विभाग, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, टैंकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगा। शहरी क्षेत्र में दरों का निर्धारण बिन्दु संख्या 3 में अंकित समिति द्वारा वित्तीय नियमों के प्रावधानुसार टेण्डर प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

(ii) टैंकरों की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दर को आरक्षित कर, रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपंजिबद्व ठेकेदार या पार्टियों को सामुहिक रूप से दर दिये जाने का मौका देवें तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों को ठेका आवश्यकतानुसार दिया जावे।

9 पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहां से पानी रवाना हो, वहां अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्त्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर ले जाने वाले का नाम एवं टैंकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैंकर चलाने वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गांव/शहरी क्षेत्र में जाए, उस गांव/शहरी क्षेत्र के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करायें। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम गांवों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक द्वारा टैंकरों के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए। कूपन जिला कलेक्टर द्वारा मुद्रित कराये जाकर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण ग्राम पंचायत/जलदाय विभाग को उपलब्ध कराये जावेंगे। कूपनों पर क्रमांक(सीरियल नम्बर) मुद्रित कराये जायेंगे। जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कूपन ही पेयजल परिवहन हेतु मान्य होंगे। मुद्रित एवं वितरित कूपनों का लेखा जिला कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।

10 पेयजल विभाग की स्कीमों के टैंकरों का भुगतान भी राहत मद से कलक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

11 जो गांव जलदाय विभाग से जुडे हुए नहीं है और गांवों में पानी की समस्या है तो उन गांवों की व्यवस्था भी जिला कलक्टर द्वारा की जाए।

12 पेयजल स्त्रोत के रूप में यदि जिला कलक्टरों को किसी निजी कुए या टयूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए किराये का निर्धारण कर अधिग्रहण कर लिया जाए।

13 निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं करता है तथा जिला कलक्टर को अचानक आवश्यकता पड़ती है तो बिन्दु संख्या 3 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसे टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लेक लिस्ट किया जाए।

14 पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलक्टर के स्तर पर की जाए। जिसमें पी.एच.ई.डी, आर.एस.ई.बी., राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।

15 जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।

16. जिला कलक्टर उपखण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे। जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा:–

उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग	सदस्य सचिव
विकास अधिकारी	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य

17. पेयजल परिवहन हेतु स्थान का चयन उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा अधिकृत स्थानों पर अनुज्ञेय दिनांक से अनुज्ञेय मात्रा में प्रतिदिन पेयजल परिवहन ग्राम पंचायत/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जावेगा। यदि कोई पंचायत प्रशासन के आदेश के बावजूद भी पेयजल परिवहन करवाने में किसी भी कारणवश असमर्थ रहती है तो यह कार्य तहसीलदार/जलदाय विभाग के माध्यम से अनुमोदित दरों पर कराया जावेगा।

18. अभावग्रस्त क्षेत्र (ग्रामीण एवं शहरी) के संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम प्रभारी/ पटवारी, ग्राम सेवक पदेन सचिव, सरपंच, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि तथा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी के प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है) के पश्चात् ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पेयजल परिवहन का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

18/4/11

शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन.स्वा.अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9 संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

मुकेश जी.

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–14)

क्रमांक प. 2(11)ग्राविवि / 4 / 2004 जयपुर, दिनांक 25.09.06

जिला कलेक्टर,
(समस्त), राजस्थान।

विषय – बी.पी.एल. सेन्सस 2002 की जारी अन्तिम चयन सूची के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

राज्य में बी.पी.एल. सूची–2002 दिनांक 15.9.2006 को जारी कर दी गई है। जैसा कि पूर्व के इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.05.2006 व 22.6.2006 (प्रति संलग्न) द्वारा आपको सूचित कर दिया गया था कि बी.पी.एल. सूची–2002 के विरूद्ध पात्र व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने व अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने हेतु द्वितीय अपील की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।

2. अपील प्रस्तुत करने व इनके निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

2.1 बी.पी.एल. में चयनित व्यक्तियों के सर्वे फार्म की फोटो प्रतियां पंचायत को प्रस्तुत करना –

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चयनित व्यक्तियों की ग्रामवार सर्वे सूचियों की फोटो प्रति इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अन्दर सम्बन्धित पंचायत को भिजवा देंगे। इसके साथ ही कुछ खाली सर्वे फार्म भी पंचायतों को उपलब्ध करवा दिये जावें।

2.2 नाम जुड़वाने हेतु अपील

नाम जुड़वाने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर प्रथम अपील उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष व अन्य जगह तहसीलदार के समक्ष कभी भी अपील प्रस्तुत कर सकता है:–

(अ) स्वयं द्वारा सर्वे फार्म में सूचना भरकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करे और प्रार्थना पत्र में अंकित करे कि उसके अंक ग्राम में चयनित व्यक्तियों के समान या कम है।

(ब) ग्राम सेवक द्वारा प्रार्थी के घर जाकर तथ्यों की तस्दीक का प्रमाणीकरण कि तथ्य सही है।

जारी....2

2.3 अपीलाण्ट अधिकारी इस अपील को रजिस्टर में दर्ज करेगा। प्रार्थी का पूर्व का मूल सर्वे फार्म मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से प्राप्त करेगा। अपने स्तर पर यदि अतिरिक्त जांच की आवश्यकता हो तो करवा कर यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी नाम जुडवाने का पात्र है तो सम्बन्धित पंचायत के सचिव को निर्देश देगा कि इस प्रकरण को वार्ड सभा/ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात अपील अधिकारी नाम जोडने के आदेश जारी करेगा जिसके आधार पर सूची में नाम जोडा जा सकेगा। यदि अपील निरस्त की जाती है तो प्रार्थी जिला कलेक्टर के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

3. नाम कटवाने हेतु

3.1 बी.पी.एल. सूची–2002 में यदि किन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम गलत जोड़े गये है तो इसे हटवाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष निम्न सूचनाओं व दस्तावेजों सहित निम्नानुसार अपील दायर की जा सकती है:–

(अ) जिन व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम कटवाने हेतु अपील की जानी है उनके सर्वे फार्मों व अंकों की सूचना जो पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध है, का निरीक्षण कर अपील प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित करेगा कि चयनित व्यक्ति द्वारा सर्वे फार्म के 13 बिन्दूओं में से किस किस बिन्दू की गलत सूचना प्रस्तुत की है व उसकी सूचना अनुसार सम्बन्धित बिन्दू की सूचना क्या है। अपनी सूचना के आधार पर चयनित व्यक्ति से सम्बन्धित 13 बिन्दूओं की सूचना अंकित कर अपील के साथ संलग्न करेगा। फार्मों के निरीक्षण व खाली फार्म हेतु पंचायत 5 रूपये तक शुल्क प्राप्त कर सकती है।

(ब) ग्राम सेवक द्वारा उपरोक्त तथ्यों की तस्दीक की जावे।

3.2 अपील प्राप्त होने पर अपीलाण्ट अधिकारी दर्ज रजिस्टर कर यदि आवश्यक समझे तो तथ्यात्मक जांच स्वयं करें या करवा सकता है। उसके पश्चात इसे सम्बन्धित पंचायत को वार्ड सभा/ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रषित करेगा। ग्राम सभा व वार्ड सभा में अनुमोदन होने के पश्चात अपील अधिकारी इस पर प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अपना निर्णय पारित करेगा। निर्णय अनुसार सूचियों में यथा संशोधन किया जावेगा।

4 अपील अधिकारी

प्रथम अपील –

(अ) जिन पंचायत समिति मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय है वहां उपखण्ड अधिकारी

(ब) जहां उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय नहीं वहां सम्बन्धित तहसीलदार

द्वितीय अपील –

उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार के आदेशों के विरूद्ध जिला कलेक्टर को।

क्रमश.....3

5. अपील दायर करने हेतु मियाद

अपील दायर करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है। कभी भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

6. निर्धारित प्रक्रिया का पालन

अपील प्रस्तुत करने व उस पर निर्णय करने की उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जावेगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर कोई Short Cut नहीं अपनाया जावे।

प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे व जिला योजनाओं हेतु आयोजित वार्ड/ग्राम सभाओं में भी इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जावे। राज्य सरकार अपेक्षा करती है कि समस्त प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जावे ताकि पात्र व्यक्ति रह नहीं जाऐं व तथाकथित अपात्र व्यक्तियों के नाम बिना विलम्ब सूचियों से हट जाऐं।

आप कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि इन निर्देशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी वांछित रिकार्ड पंचायतों की बिना विलम्ब उपलब्ध करा दें। इनके साथ ही सरपंच व ग्राम सेवकों को भी पंचायत समिति की मासिक बैठक में इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे ताकि अपीलों का कार्य बिना देरी प्रारम्भ हो सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि चयनित परिवारों के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहें।

भवदीय,

25/6

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), राजस्थान।
5. निजी सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान सरकार।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्रीजी, राजस्थान सरकार।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि एवं पंचायती राज विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।

परियोजना निदेशक (एग्रावि)

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक :– F13(1)TAD/EMRS AND NEW EMRS/2020-14 जयपुर, दिनांक: 22-09-2020

–: परिपत्र :–

विषय :– जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विद्यालय प्रबन्धन परिषद/छात्रावास प्रबन्धन परिषद के गठन बाबत्।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के प्रबन्धन में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों के नियमित आयोजन, संस्थान परिसर में प्रकृति तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास तथा विद्यार्थियों में समूह भावना, नेतृत्व क्षमता एवं सहभागी कार्य पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से तत्सम्बन्धी प्रबंध समितियाँ गठित करने से संबंधित समस्त आदेशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार विद्यालय प्रबन्धन परिषद (School Management Council) /छात्रावास प्रबन्धन परिषद (Hostel Management Council) का गठन किया जाता है :–

(अ) विद्यालय प्रबन्धन परिषद (School Management Council)

1.	स्कूल गार्जियन के रूप में मनोनीत जिला प्रशासन का अधिकारी	–	संरक्षक
2.	स्थानीय सरपंच/नगरीय निकाय सदस्य	–	उपसंरक्षक
3.	संस्था प्रधान	–	संयोजक
4.	संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत अभिभावक प्रतिनिधि	–	उपसंयोजक
5.	संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत शिक्षक प्रतिनिधि	–	उपसंयोजक
6.	पुस्तकालयाध्यक्ष	–	सदस्य
7.	शारीरिक शिक्षक/कोच	–	सदस्य
8.	हॉस्टल वार्डन	–	सदस्य
9.	संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत निम्नलिखित छात्र/छात्रा पदाधिकारी	–	सदस्य

a) साहित्यिक सचिव (Literary Secretary)
b) उप साहित्यिक सचिव (Deputy Literary Secretary)
c) सांस्कृतिक सचिव (Cultural Secretary)
d) उप सांस्कृतिक सचिव (Deputy Cultural Secretary)
e) क्रीड़ा सचिव (Sports Secretary)

.....(2)

f) उप क्रीड़ा सचिव (Deputy Sports Secretary)
g) परिसर सचिव (Campus Secretary)
h) उप परिसर सचिव (Deputy Campus Secretary)
i) भोजनालय सचिव (Mess Secretary)
j) उप भोजनालय सचिव (Deputy Mess Secretary)

(ब) छात्रावास प्रबन्धन परिषद (Hostel Management Council)

1.	हॉस्टल गार्जियन के रूप में मनोनीत जिला प्रशासन का अधिकारी	–	संरक्षक
2.	स्थानीय सरपंच / नगर निकाय सदस्य	–	उपसंरक्षक
3.	हॉस्टल वार्डन	–	संयोजक
4.	हॉस्टल वार्डन द्वारा मनोनीत अभिभावक प्रतिनिधि	–	उपसंयोजक
5.	कोच	–	उपसंयोजक
6.	हॉस्टल वार्डन द्वारा मनोनीत निम्नलिखित छात्र / छात्रा पदाधिकारी	–	सदस्य

a) साहित्यिक सचिव (Literary Secretary)
b) उप साहित्यिक सचिव (Deputy Literary Secretary)
c) सांस्कृतिक सचिव (Cultural Secretary)
d) उप सांस्कृतिक सचिव (Deputy Cultural Secretary)
e) क्रीड़ा सचिव (Sports Secretary)
f) उप क्रीड़ा सचिव (Deputy Sports Secretary)
g) परिसर सचिव (Campus Secretary)
h) उप परिसर सचिव (Deputy Campus Secretary)
i) भोजनालय सचिव (Mess Secretary)
j) उप भोजनालय सचिव (Deputy Mess Secretary)

साहित्यिक सचिव, कविता, कहानी, निबन्ध, आशुभाषण, वादविवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक सचिव, गीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, क्रीड़ा सचिव, खेलकूद संबंधी आयोजन, परिसर सचिव, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण एवं सुपोषण वाटिका तथा भोजनालय सचिव भोजन एवं आवासीय सुविधा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परिषद को सहयोग प्रदान करेंगे। प्रत्येक सचिव स्वयं को आवंटित कार्य हेतु जिम्मेदार होंगे व अन्य सचिवगण को भी उनके आवंटित कार्यों के निर्वहन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार परिषद के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सामूहिक होगी। परिषद की बैठक माह में एक बार या आवश्यकतानुसार होगी तथा इसमें अन्य

.....(3)

शिक्षकों एवं छात्रों को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित के रूप में बुलवाया जा सकता है।

विद्यालय/छात्रावास खुलने के एक माह के अंदर संस्था प्रधान/हॉस्टल वार्डन द्वारा प्रबन्धन परिषद का गठन कर सूची आयुक्त/उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं परियोजना अधिकारी, माडा को प्रेषित की जाएगी।

छात्र/छात्रा पदाधिकारियों के मनोनयन में वरिष्ठता, शैक्षणिक उपलब्धि, अभिरूचि, उत्साह, सक्रियता एवं सामाजिकता इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।

प्रबन्धन परिषद का नाम पट्ट एवं नोटिस बोर्ड विद्यालय/छात्रावास परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाएगा।

प्रबन्धन परिषद का कार्यकाल शैक्षणिक सत्रारम्भ से सत्र समाप्ति तक रहेगा और कार्यकाल की समाप्ति पर छात्र/छात्रा पदाधिकारियों को संस्था प्रधान/हॉस्टल वार्डन के हस्ताक्षर से प्रमाण–पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

विद्यालय प्रबन्धन परिषद/छात्रावास प्रबन्धन परिषद के कर्तव्य व दायित्व :–

1. विद्यालय/छात्रावास में अध्ययन एवं निवासरत छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद सम्बन्धी विकास सुनिश्चित करना तथा इस हेतु विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित करना।
2. परिसर में कोर्स/कैरियर गाइडेन्स हेतु विशिष्ट व्यक्तियों का व्याख्यान व विद्यार्थियों से संवाद आयोजित करना।
3. विश्व आदिवासी दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गाँधी जयन्ती, बाल दिवस, गणतन्त्र दिवस इत्यादि के अवसर पर कविता, कहानी निबन्ध प्रतियोगिता, आशुभाषण/वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला, नृत्य/गीत प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
4. परिसर में स्वच्छता, वृक्षारोपण एवं सुपोषण वाटिका हेतु विशेष अभियान संचालित करना।

.....(4)

5. आवासीय सुविधा एवं भोजन व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
6. परिसर की समस्याओं के सम्बन्ध में आयुक्त/उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अथवा सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराना।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय जनजाति विकास राज्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ उप–सचिव, मुख्य सचिव जी।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
8. समस्त अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं परियोजना अधिकारी माडा, राजस्थान।

(नेहा गिरि)
संयुक्त शासन सचिव

CEO
2P

18/09/20

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक : F-13( ) TAD/Ashram hostels/2020 जयपुर, दिनांक: 17-9-2020

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषय :- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों में अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारियों तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को स्कूल गार्जियन/हॉस्टल गार्जियन मनोनीत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में 372 आश्रम छात्रावास, 21 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल स्कूल, 21 रेजीडेन्शियल स्कूल, 2 पब्लिक मॉडल स्कूल, 13 खेल छात्रावास, 7 कॉलेज छात्रावास एवं 6 बालिका बहुउद्देशिय छात्रावास, इस प्रकार कुल 442 संस्थाएं संचालित की जा रही है, जिनमें जनजाति समुदाय के लगभग 37 हजार बालक-बालिकाएं अध्ययनरत एवं आवासरत है।

जैसा कि आप को भलीभांति विदित है कि राजस्थान के अनुसूचित जनजाति समुदाय विशेषकर ट्राईबल सब प्लान एरिया में निवासरत समुदाय की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में अत्यंत पिछड़ी हुई एवं चिंतनीय है। शिक्षा, रोजगार एवं व्यवसाय में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए उक्त शैक्षणिक एवं आवासीय विद्यालयों के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महती प्रयास किये जा रहे हैं।

मुझे यह भी अवगत करवाया गया है कि समय-समय पर जिला प्रशासन के विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा उक्त विद्यालयों एवं छात्रावासों का निरीक्षण किया जाता है, शिक्षक एवं छात्र समुदाय से चर्चा की जाती है तथा संस्था एवं विद्यार्थियों की उन्नति हेतु विभिन्न बहुमूल्य सुझाव दिये जाते है।

5291
22/9/20

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह प्रतीत होता है कि उक्त अनौपचारिक भ्रमण एवं चर्चा को यदि एक औपचारिक एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाये तो निश्चित रूप से न केवल जनजाति क्षेत्रीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के शिक्षक एवं छात्र समुदाय को उत्साही, उपलब्धिवान एवं समाजोन्मुखी अधिकारियों का नियमित सम्पर्क एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा,

.................(2)

वरन् उक्त अधिकारियों को भी अपने कार्य क्षेत्र से इतर नवाचार तथा सृजनशीलता का एक वृहद एवं व्यापक क्षेत्र प्राप्त होगा।

इस दृष्टि से मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारियों एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को इन आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में स्कूल गार्जियन/हॉस्टल गार्जियन मनोनीत करने की कार्यवाही करें, ताकि इन संस्थाओं को जिला प्रशासन का अपेक्षित संबल, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

इस संबंध में कृपया ध्यान रखें कि महिला आवासीय विद्यालयों एवं महिला छात्रावासों में स्कूल गार्जियन/हॉस्टल गार्जियन मनोनयन हेतु महिला अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान की जावे। एक अधिकारी को उनके उत्साह, रूचि एवं सक्रियता के अनुरूप एकाधिक संस्था का स्कूल गार्जियन/हॉस्टल गार्जियन भी मनोनीत किया जा सकता है।

स्कूल गार्जियन/हॉस्टल गार्जियन के रूप में मनोनीत अधिकारियों से निम्नलिखित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :–

1. स्कूल गार्जियन/हॉस्टल गार्जियन द्वारा यथासंभव प्रत्येक माह उक्त संस्था के कार्य दिवस अथवा अवकाश दिवस में भ्रमण किया जा सकता है तथा अध्यापक एवं छात्रों से चर्चा कर छात्रों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेल–कूद संबंधी विकास हेतु परामर्श दिया जा सकता है।
2. उनके द्वारा विद्यार्थियों को कोर्स एवं कैरियर के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा सकता है तथा इस संबंध में विशेषज्ञों एवं उपलब्धिवान व्यक्तियों को बुलाकर चर्चा करवाई जा सकती है।
3. उनके द्वारा विद्यालयों/हॉस्टलस् के कैम्पस् के सुंदरीकरण, विकास, वृक्षारोपण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये जा सकते है।
4. उनके द्वारा विद्यालय छात्रावासों में आयोजित विभिन्न उत्सव, समारोह एवं कार्यक्रमों में सहभागिता की जा सकती है।

.....(3)

5. स्कूल गार्जियन/हॉस्टल गार्जियन द्वारा स्कूल/हॉस्टल से संबंधित किसी भी समस्या को समाधान हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, क्षेत्रीय उपायुक्त अथवा संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।
6. स्कूल/हॉस्टल गार्जियन, स्कूल/हॉस्टल के मित्र, मार्गदर्शक एवं दार्शनिक Friend, (Philosopher and Guide) के तौर पर परामर्शदात्री भूमिका में ही कार्य करेंगे। उनके द्वारा विद्यालय/छात्रावास प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाकर केवल सुझाव/परामर्श मात्र दिया जायेगा, किन्तु यदि उनके द्वारा विद्यालय/छात्रावास प्रशासन में कोई गंभीर अनियमितता लक्षित की जाती है तो इसे तत्काल प्रभाव से आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जायेगा।

विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों/छात्रावासों की जिलेवार सूची संलग्न कर लेख है कि कृपया इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय जनजाति विकास राज्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ उप–सचिव, मुख्य सचिव जी।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. समस्त उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं परियोजना अधिकारी माडा।

(नेहा गिरि)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.20(118)खान/ग्रुप–2/2014 जयपुर, दिनांक : - 2 FEB 2016

राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान बाबत स्थाई आदेश

राज्य में अवैध खनन एवं निर्गमन पर प्रभावी रोकथाम हेतु अवैध खनन के संवेदनशील एवं संभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन, राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग के सहयोग से संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता समय–समय पर महसूस की जाती रही है । पूर्व में इस संबंध में खान विभाग द्वारा इन अन्य विभागों के सहयोग से नियत अवधि में निरन्तर संयुक्त अभियान चलाये जाते रहे हैं । राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि अवैध खनन के विरूद्ध विभिन्न विभागों के सहयोग से चलाया जाने वाला संयुक्त अभियान निरन्तर चलाये जाने के बजाय इसे जिला स्तर से माह में अचानक तय दिवसों को आयोजित किया जायें। भविष्य में इस अनुरूप संचालित किये जाने वाले अभियान हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त कार्यवाही के लिए संबंधित जिला कलेक्टर खान, वन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ तैयारी हेतु समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे । सभी विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश देने के साथ सूचित किया जायेगा कि वे संयुक्त अभियान हेतु पूर्ण तैयारी रखेंगे एवं इस हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारीगण को सूचित कर देवें ।
2. राज्य में अवैध खनन के संवेदनशील एवं संभावित क्षेत्रों में अवैध खनन / निर्गमन की रोकथाम हेतु राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं वन विभाग के सहयोग से जिला कलेक्टर द्वारा संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा ।
3. संयुक्त जांच दल में राजस्व विभाग का उप खण्ड अधिकारी स्तर का अधिकारी एवं पुलिस विभाग का उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी, परिवहन विभाग के निरीक्षक / उप निरीक्षक एवं वन विभाग का ए0सी0एफ0 / रेंजर स्तर का अधिकारी होगा ।
4. संयुक्त जांच दल में जिले में पदस्थापित खान विभाग के खनि अभियंता / खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), भू–वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे । इसके अतिरिक्त विभाग में उपलब्ध खनि रक्षक / बार्डर होमगार्ड को सम्मिलित किया जायेगा ।
5. संयुक्त जांच अभियान हेतु दिनांक की जानकारी जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण को दी जाकर संयुक्त अभियान हेतु गठित जांच दलों को आगामी कार्यदिवस को प्रातः 6:00 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा ।
6. संयुक्त अभियान दलों की सुरक्षा और की जाने वाली कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किये जायेंगे ।
7. जिला कलेक्टर उनके द्वारा गठित संयुक्त जांच दलों को कार्यवाही किये जाने वाले दिन ही दल विशेष द्वारा कार्यवाही किये जाने वाले स्थान के बारे में सूचित किया जायेगा ।
8. संयुक्त जांच दल उपरोक्तानुसार सूचना प्राप्त होते ही गोपनीय तरीके से अवैध खनन स्थल पर पंहुच कर बिना स्थानीय अधिकारियों को सूचित किये औचक छापामारी की कार्यवाही कर अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे ।

9. अवैध खनन के क्षेत्रों में संयुक्त जांच दल द्वारा सामूहिक कार्यवाही की जायेगी एवं अवैध खनन / निर्गमन में संलिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध खनन / निर्गमन में प्रयुक्त वाहनों व उपकरणों की जब्ती करते हुए नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
10. जिला कलेक्टर निर्दिष्ट तिथि को सायं 6:00 बजे दूरभाष/फेक्स से प्रमुख शासन सचिव, खान को की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भिजवाई जायेगी एवं आगामी कार्यवाही हेतु चर्चा कर रणनीति तय की जायेगी ।
11. अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान सभी विभाग उनसे संबंधित कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखेंगे :–

(i) खान विभाग

- अभियान में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाये, छोटे प्रकरणों को पकड़ कर संख्या वृद्धि के बजाय बड़े माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, अर्थात् संख्यात्मक की बजाय गुणात्मक कार्यवाही की जाये ।
- कार्यवाही आकस्मिक तरीके से की जाये ।
- किसी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के साथ अभियान के दौरान हुई मारपीट एवं राज्य कार्य में बाधा डालने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करवाया जाये ।
- कार्यवाही की पूर्ण तैयारी कर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर अवैध खनन स्थल चिन्हित करते हुए संयुक्त दल गठित करवाकर समस्त विभागों के समन्वय से कार्यवाही को सफल बनाया जावे ।

(ii) राजस्व विभाग

- खातेंदारी भूमि पर अवैध खनन होने पर एवं खान विभाग की अथवा अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारी नियमों का अनुसरण कर खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही करना ।
- जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक कार्यवाही की महत्ता के संबंध में निचले स्तर थाना/पटवारियों तक सामंजस्य रखेंगे। निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त पास में कहीं से कोई अवैध खनन की सूचना किसी स्त्रोत द्वारा प्राप्त होती है तो उसे नजरन्दाज न कर तवज्जों देते हुये कार्यवाही करेंगे ।
- कार्यवाही में क्षेत्र के सम्बंधित पटवारी/गिरदावर मौके पर रहेंगे, ताकि अवैध खनन स्थल का खसरा नम्बर दल को बता सकें ।

(iii) वन विभाग

- मुख्य प्राथमिकता वन क्षेत्र में अवैध खनन स्त्रोत पर कार्यवाही को दी जायेगी तथा वन क्षेत्र से अवैध रूप से उत्खनित खनिज के परिवहन के समय भी कार्यवाही की जाए ।
- वन क्षेत्रों में अवैध खनन / परिवहन के उपयोग में आने वाले रास्तो पर विशेष निगरानी रखेंगे और कार्यवाही करायेंगे।

(iv) पुलिस विभाग

- संयुक्त दल में पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी रहेगा व कानून व सुरक्षा व्यवस्थार्थ जाब्ते की समुचित व्यवस्था जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा ।

- अवैध विस्फोट के इस्तेमाल पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाए ।
- अवैध खनन के मामलों में वन/खान नियमों के अलावा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 379, पी.डी.पी.पी. एक्ट की धारा 3 लगाई जाए, जो कि गैर–जमानती होने से प्रभावी सिद्ध होगी ।
- पुलिस विभाग के अधिकारीगण द्वारा अभियान के दौरान बिना नम्बर के वाहन, चोरी के वाहन, ओवरलोडेड वाहनों पर कार्यवाही की जाए ।

(v) यातायात विभाग

- ओवरलोडेड वाहनों पर यातायात विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाए ।
- परिवहन अधिकारीगण द्वारा अभियान के दौरान जब्त गाडियों को कम्पाउण्ड नहीं कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए ।
- अवैध खनन के परिवहन में लिप्त वाहनों के परमिट निलम्बन/निरस्त का नोटिस जब्ती के तुरंत बाद जारी किये जाए तथा वाहन चालक का लाईसेन्स जब्त कर नोटिस देने की कार्यवाही की जाए ।

खान, वन, परिवहन, पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध खनन / परिवहन प्रकरणों में अपने–अपने विभागीय नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, ताकि भविष्य में अवैध खनन की संभावना नहीं रहें।

(सी0एस0 राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खान राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा
12. समस्त जिला कलेक्टर / समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
13. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संयुक्त अभियान हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करवाना सुनिश्चित करावें एवं इस हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारीगण को निर्देशित करावें ।
14. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन / समस्त अधीक्षण खनि अभियंता वृत
15. समस्त खनि अभियंता / समस्त सहायक खनि अभियंता
16. रक्षित पत्रावली ।

प्रमुख शासन सचिव

माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में अवैध खनन के विरूद्ध संयुक्त अभियान हेतु आयोजित बैठक दिनांक 18.01.2016 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.01.2016 को माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में माननीय खान राज्यमंत्री श्री राजकुमार रिणवां की उपस्थिति में अवैध खनन संयुक्त अभियान के संबंध में बैठक आयोजित की गई । बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है ।

1. बैठक के प्रारंभ में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा राज्य में अवैध खनन के विरूद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अभियान चलाये जाने के बारे में उपस्थित मंत्री महोदय एवं अधिकारियों को अवगत कराया गया ।
2. निदेशक, खान द्वारा पॉवर पाइन्ट प्रजेन्टेशन द्वारा विभाग द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध वर्षवार की गई कार्यवाही विभिन्न जिलों में अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों एवं अलग–अलग विभागों से अभियान में अपेक्षित सहयोग के बारे में बताया गया ।
3. गृह मंत्री महोदय ने अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही अभियान के तौर पर करने के बजाय गोपनीय रूप से अचानक कार्यवाही किये जाने एवं इस हेतु सभी संबंधित विभागों द्वारा तत्काल सहयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह द्वारा भी अभियान के बजाय अचानक कार्यवाही करने एवं कार्यवाही की अवधि 1 या 2 दिन रखने बाबत राय जाहिर की । इस प्रकार की अचानक कार्यवाही अलग–अलग जिलों में अलग–अलग समय एवं अलग अवधि हेतु माह में कम से कम 2 से 3 बार की जावें ।
5. गृह मंत्री महोदय द्वारा इस कार्यवाही हेतु सभी संबंधित विभागों द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही की समीक्षा कर आवश्यकता होने पर इस समिति की पुनः बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जा सकेंगे ।
6. प्रमुख शासन सचिव, खान ने परिवहन आयुक्त को पंचायतीराज विभाग द्वारा राज्य में सात स्थानों पर परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई गई भूमि के वाहनों के जब्ती एवं ओवरलोड वाहनों से खनिज खाली कराने हेतु उपयोग में लिये जाने के संबंध में समीक्षा करने हेतु सुझाव दिये ।
7. खान राज्यमंत्री महोदय द्वारा खनिज बाहुल्य वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव तैयार कराकर वन विभाग को प्रेषित करने हेतु निदेशक, खान को निर्देशित किया ।
8. शासन सचिव, राजस्व द्वारा खातेदारी भूमि में अवैध खनन पाये जाने पर अब तक खातेदारी निरस्तीकरण हेतु भिजवाये गये प्रस्तावों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया, जिससे कि संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकें।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि अलवर एवं भरतपुर जिलों में वन भूमि में अवैध खनन से निर्गमित खनिज हरियाणा

राज्य में स्थित क्रशरों पर उपयोग में लिया जाता है, जिसकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है । साथ ही उनके द्वारा उक्त क्षेत्रों के अरावली श्रृंखला में नहीं आने की पुष्टि करने के पश्चात् उक्त अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र का डायवर्जन कराये जाने की आवश्यकता बताई।

10. परिवहन आयुक्त द्वारा बताया गया कि ओवरलोड वाहनों को जब्त करके न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के स्थान पर उनसे कम्पाउडिंग करते हुए शास्ती वसूल करने से राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा ।

11. अंत में गृह मंत्री महोदय ने सभी विभागों से अपेक्षित सहयोग एवं इस संयुक्त अभियान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से सभी विभागों हेतु निर्देश पत्र जारी करवाने एवं सभी विभागों के सहयोग से अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिये ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.20(118)/खान/ग्रुप–2/2014 जयपुर, दिनांक : 22 JAN 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक, राज्यमंत्री, वन, पर्यावरण एवं खान विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. विशिष्ठ सहायक, राज्यमंत्री, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर
12. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
13. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE(GROUP-6) DEPARTMENT

F. 6(92)Rev. B/63.

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules,1970

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by clause (xviii) of sub-section (2) of section 261 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) , read with section 101 of the said Act, the State Government do hereby make the following rules, namely-

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970.

(2) They shall extend to the whole of the State of Rajasthan but the State Government may by notification in the Official Gazette exclude any area from the application of these rules.

(3) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Interpretation. - In these rules, unless the subject or context otherwise requires-

(i) '*Act*' means the Rajasthan Land Revenue Act, 1956(Act no 15 of 1956).

(ii) *'Advisory Committee'* means a committee formed under rule 13 of these rules.

(ii-A) '*Beneficiary of the integrated Rural Development Programme'* means a person who has been identified as being below the subsistence level and included in the Integrated Rural Development Programme and certified as such by the Collector or his authorized representative.

(ii-B) *'Disabled ex-serviceman'* means a person who has suffered the loss of a limb or has been permanently disabled in any hostility or military operation or before or after such hostility or operation anywhere rendering him unfit for further service in the defence services or a person belonging to Border Security Force or Central Reserve Police Force who has suffered loss of limb or has been permanently disabled in an operation rendering him unfit for the service in such force

(ii-C) *'Dependents of deceased defence personnel'* shall include widow, sons, unmarried daughters and parents of the member of the defence forces who dies in any hostility or military operation or before or after such hostility or military operation anywhere [and in a war declared by the President of India

(b) Member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe who is a landless agriculturist;

(bb) Member of other backward class who is landless agriculturist;

(c) Un-employed Landless Agriculture Graduate;

(d) Agricultural Labourer, who is a landless agriculturist;

(e) Non-Commissioned Ex-servicemen who has been released from the Armed Forces after having served in any rank for at least five years;

(f) Other landless agriculturist preference being given to those with lesser income;

(g) A non-commissioned member of the armed force or the Boarder Security Force who has rendered not less than 5 years service:

Provided that the State Government may determine the category of persons to whom alone allotment shall be made in any area of the State to be specified.

12. Extent of Allotment. - Except as otherwise provided in these rules the extent of the land to be allotted shall not be more than 4 hectares, subject to the condition that, in no case, the total area to be allotted under these rules, together with the area already held by the allottee or his notional share if the land is held by other members of the joint family, shall exceed 4 hectares. No allotment in favour of a minor shall be made except in cases covered by rule 11(a). As far as possible the land to be allotted will not be less than 2 hectares of unirrigated land:

Provided that in the areas of Barmer, Jodhpur, Churu, Pali, Jaislamer, Nagaur, Bikaner and Jalore districts not covered by any Irrigation Project, the maximum area of agricultural land to be allotted under these rules shall not exceed 6 hectares.

Explanation - For the purpose of this rule one hectares of irrigated land will be treated as equal to two hectares of unirrigated land.

13. Allotment to be in consultation with Advisory Committee. - (1) All allotment shall be made by the Sub-Divisional Officer in consultation with an Advisory Committee consisting of-

(i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly in whose constituency the land is situated;

(ii) the Pradhan of the Panchayat Samiti having jurisdiction;

(iii) the Sarpanch of the Panchayat having jurisdiction;

(iv) the Vikas Adhikari of the Panchayat Samiti having jurisdiction;

(v) the Tehsildar of the Tehsil having jurisdiction;

(vi) a person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe to be nominated by the Panchayat Samiti from amongst its members; and

(vii) a person to be nominated by the State Government in areas in which such nomination is considered necessary in public interest:

Provided that the Sub-Divisional Officer may on receipt of application from a released Sagri who is a landless agriculturist allot land to him without consultation with the Advisory Committee after making such enquiries as he deems fit:

Provided further that where a member of the advisory committee has an interest in an applicant as his relation or otherwise such member shall not participate in the meeting of the committee.

(2) The Sub-Divisional Officer shall give at least one week's notice of the date, time and place of the meeting to the members of the advisory Committee. The notice shall be accompanied by a copy of the list of unoccupied Government lands proposed to be allotted at the said meeting. This list shall contain the particulars required to be given in columns 1 to 6 of form 1.

(3) The notice of the meeting shall be served in the manner prescribed in the Rajasthan Revenue Courts Manual Part 1 for the service of process:
Provided that if the service is not possible through a process server, it shall be sent by post 'Under Postal Certificate' or by 'Registered Post'.

(3-A) The quorum for constituting the meeting of Advisory Committee shall be three members of whom one shall be from clause (i), (ii) or (iii) of sub-rule (1):

Provided that if a meeting of the Advisory Committee is adjourned for the want of quorum, the quorum for the adjourned meeting shall be two members of whom one shall be from clause (i), (ii) or (iii) of sub-rule (1).

(4) The allotment shall be made in the village in which the land proposed to be allotted is situate. The Sub-Divisional Officer and the members of Advisory Committee shall visit each such village for allotment of land. The date, time and place of the meeting, for the purpose of allotment shall be intimated to the village panchayat concerned at least one week in advance. A copy of the list of unoccupied Government lands proposed to be allotted at the meeting shall also be sent, to the village panchayat concerned. If shall contain all the particulars required to be given in column 1 to 6 of form 1.

Provided that the State Government may, if it considers necessary in public interest so to do, direct that the meeting for the purpose of allotment may be held at the headquarters of the Panchayat in which the land proposed to be allotted is situate.

(5) Minutes of the meeting of the Advisory Committee shall be written and signed by the Sub-Divisional Officer and the members of Advisory Committee present, before they disperse after the meeting.

(6) The allotment shall be made on the advice of the Advisory Committee, in case of difference of opinion amongst the members of the Committee, the opinion of dissenting members shall be recorded. The Sub-Divisional Officer may, if he disagrees with the views of the Committee or in case there is any difference of opinion amongst the members of the Committee refers the matter to the Collector for final orders.

14. Condition of Allotment. - (1) The allotment of land under these rules shall be on a Gair Khatedari tenancy with a right to ultimate conferment of Khatedari rights

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक : फा. 97 ( ) सहिरा/बैंक-6/पी.एम. किसान/2019 दिनांक : 19.02.2019

जिला कलक्टर
समस्त।

विषय :– **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कियान्वयन के संबंध में।**

महोदय,

भारत सरकार द्वारा **लघु एवं सीमांत कृषकों** को प्रत्यक्ष संबंधी सहायता आय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN) योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ इस वर्ष से प्रारम्भ की गई है। योजना के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देश **परिशिष्ट–1** पर संलग्न हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना को संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के कियान्वयन हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. इस योजना के क्रियान्व्यन के लिए सहकारिता विभाग को Nodal Department निर्धारित किया गया है।
2. योजना के क्रियान्वयन हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर (**श्री नीरज कुमार पवन, IAS**) को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनके दूरभाष नं. 0141–2740737 व ई–मेल–आईडी reg.coop@rajasthan.gov.in हैं।
3. योजना का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए DoIT&C के द्वारा **लघु सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल** तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर लघु व सीमान्त कृषकों का विवरण दर्ज करवाने के सबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जा चुके हैं।

4. PMKISAN Portal पर वर्तमान में उपलब्ध Data के संबंध में यदि कोई कठिनाई आवे तो NIC के Technical Director, श्री राजीव अरोडा से मोबाईल नम्बर 879379003 एवं ई–मेल आई.डी. arora.rajeev@nic.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही जिले के एनआईसी के अधिकारी इस संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

5. **राज्य स्तर** पर योजना की सतत निगरानी हेतु निम्नानुसार **अनुश्रवण समिति** का गठन किया गया है –

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अति मुख्य सचिव वित्त	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, DOIT&C	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, सहकारिता	सदस्य
6	आयुक्त, IT	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य सचिव
8	प्रबंध निदेशक, अपेक्स बैंक	सदस्य

यह समिति प्रत्येक बुद्धवार को योजना के कियान्वयन की समीक्षा करेगी।

6. इसी प्रकार ***जिला स्तर*** पर भी ***अनुश्रवण समिति*** का गठन किया जाता है, जो कि जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन, पात्र परिवारों का चयन एवं परिवेदना निवारण को सुनिश्चित करेगीः–

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	उपखण्ड अधिकारी, समस्त	सदस्य
3	विकास अधिकारी, समस्त	सदस्य
4	A.C.P., DOIT&C	सदस्य
5	उप रजिस्ट्रार, सहकारिता	सदस्य
6	तहसीलदार, समस्त	सदस्य
7	प्रबंध निदेशक, सी.सी.बी.	सदस्य सचिव

7. जिला कलेक्टर प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में इसी प्रकार की ***अनुश्रवण समिति*** का गठन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8. **PMKISAN Portal** पर पात्र किसानों का डेटा अपलोड़ करने के लिए जिला कलेक्टर, क्षैत्रवार तहसीलदारों के नाम, E-Mail ID एवं मोबाईल नं. इत्यादि की सूची राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि उनको Login Id, Password एवं Digital Signatures उपलब्ध करवाये जा सके।

9. PMKISAN Portal पर अपने Login Id से Login करने पर Pre-populated SMF किसानों की सूची उपलब्ध है, जिसको राजस्व भू–अभिलेखों से प्रमाणित कर यथा संभव संशोधन कर अपलोड़ किया जा सकता है। Portal के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका संलग्नक–2 पर उपलब्ध है।

10. पात्र लाभार्थियों का **आधार अनिवार्य** रूप से लिया जाएगा। वर्ष 2019–20 से लाभ का हस्तांतरण आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से ही सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। जिन पात्र लाभार्थियों के पास आधार नमांकन संख्या नहीं है ऐसे पात्र लाभार्थियों का आधार नामांकन करवाया जावे।

11. वर्ष 2018–19 की प्रथम किश्त जारी करने के लिए उन्हीं लाभार्थियों का आधार लिया जाएगा जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है तथा शेष लाभार्थियों से उनकी पहचान के वैकल्पिक पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी., ड्राईविंग लाईसेंस आदि प्राप्त किये जाएंगे। ऐसे लाभार्थियों के आधार हेतु नामांकन अनिवार्य रूप से करा दिया जाएगा जिससे की आगामी किश्तें आधार आधारित डेटाबेस से हों।

12. पात्र परिवारों के चयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अपात्र परिवार का चयन न हो तथा एक व्यक्ति/परिवार को एक से ज्यादा बार लाभ न मिल सके।

13. पात्र परिवारों को 01.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि की प्रथम किश्त की राशि इसी वित्तीय वर्ष में चिन्हीकरण के तत्काल बाद उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जावेगी।

14. कृषक के आधार नंबर का उपयोग इस योजना के क्रियान्वयन एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के लिये तथा भविष्य में इस प्रकार के अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण

हेतु कृषक के आधार नंबर को भू–राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु कृषक की ऑन–लाईन सहमति भी चाही गयी है, ताकि केन्द्र/राज्य सरकार एवं उसकी सहायक ऐजेन्सियां वास्तविक लाभार्थी चयन कर सकें।

15. DoIT&C के ब्लॉक स्तरीय प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक, तहसीलदारों को पीएम किसान पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
16. इस योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर DIPR द्वारा किया जावेगा।
17. योजना के अनुश्रवण हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के अधीन एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जा रही हैं।

जिला कलेक्टर प्रतिदिन हुई प्रगति से राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि राज्य के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

क्रमांक :– फा. 97 ( )सविरा/बैंक-6/पी.एम.किसान/2019 दिनांक :– 19.02.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, अपेक्स बैंक, जयपुर।
9. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
10. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, समस्त
11. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, समस्त
12. तहसीलदार, समस्त तहसील, राजस्थान।
13. गार्ड पत्रावली।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
सहकारिता विभाग

Departments which play major role in the mission

- Watershed Development & Soil Conservation.
- Water Resource Department.
- Rural Development & Panchayat Raj.
- Agriculture Department.
- Horticulture Mission.
- Forest Department.
- Public Health Department.
- Ground water department.

Institutional Arrangements

State level committee

To achieve the objectives of Mukhya Mantri Jal Swawlamban Abhiyan has been setup under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister at the State Level. At the state level for smooth implementation of the Mission, a Committee of Directions under the chairmanship of Chairperson, Rajasthan River Basin & Water Resources Planning Authority, will be formed. At division level under the chairmanship of Divisional Commissioner, at District Level under the chairmanship of District Collector and at Block Level under the chairmanship of Sub Divisional Magistrate committees will be formed. Detailed setup of the committees and work to be done by them is as given below:-

1	Hon'ble Chief Minister	Chairperson
2	Hon'ble Minister, Water Resource Department	Member
3	Hon'ble Minister, Finance Department	Member
4	Hon'ble Minister, PHED Department	Member
5	Hon'ble Minister RD & PR Department	Member
6	Hon'ble Minister, Planning Department	Member
7	Hon'ble Minister, Tribal Area Development Department	Member
8	Hon'ble Minister, Forest & Environment Department	Member
9	Hon'ble Minister, Industries Department	Member
10	Hon'ble Minister, Agriculture Department	Member
11	Hon'ble Minister, Revenue Department	Member
12	Chairperson, Rajasthan River Basin & Water Resources Planning Authority	Member
13	Chief Secretary	Member
14	Additional Chief Secretary Industries Department	Member
15	Additional Chief Secretary Agriculture & Animal Husbandry Department	Member
16	Additional Chief Secretary Forest & Environment Department	Member
17	Pr. Secretary, RD & PR Department	Member
18	Pr. Secretary, Finance Department	Member
19	Secretary, Tribal Area Development	Member
20	Secretary, Planning Department	Member
21	Secretary, Public Health Engineering & Ground Water Department	Member
22	Secretary, Command Area Development Department	Member

7	Forest Department**	Member
8	Devsthan Department	Member
9	Public Health Engineering Department	Member
10	Ground Water Department	Member
11	Command Area Development Department	Member
12	Planning Department	Member
13	Statistics Department	Member
14	Industries Department	Member
15	Watershed Development & Soil Conservation Department	Member
16	Additional DPC, MGNREGA	Member
17	Two registered NGO's (Nominated by Distt. Collector)	Member
18	Two Subject Matter Specialist , (One of Water Resource planning & One of Watershed development works)	Member
19	CEO, Zila Parishad	Member Secretary

Block level committee

A Committee will be formed in the chairmanship of Sub Divisional Officer and members of the committee will be as following:

1	Sub Divisional Officer (S.D.O.)	Chair Person
Senior Most Departmental Officers posted at block level		
2	Agriculture Department	Member
3	Animal Husbandry Department	Member
4	Horticulture Department	Member
5	Forest Department**	Member
6	Public Health Engineering Department	Member
7	Water Resource Department	Meber
8	Ground Water Department	Member
9	Industries Department	Member
10	Two registered NGO's (Nominated by Distt. Collector)	Member
11	Assistant Engineer, WDSC Department	Member
12	Vikas Adhikari, Panchayat Samiti	Secretary Member

Village level committee

Nodal department will be responsible to prepare action plan for "Mukhya Mantri Jal Swawlamban Abhiyan". To prepare Action plan, a team of members of Watershed Development & Soil Conservation Department, Supervisor of Agriculture & Horticulture Department, Patwari, Panchayati Raj Department, Water Resource Department, Public Health Engineering Department, Forest Department, Hand pump Mechanic, Women & Child Development Department Ladies Supervisor, Ground Water Department representative will be responsible.

CONSTITUTION OF ROGI KALYAN SAMITIES

BACK

Guidelines for constitution of Rogi Kalyan Samiti / Hospital Management society

1. Introduction

1.1 In most developing countries, provision of basic preventive, promotive and curative services is a major concern of the Government and decision makers. With growing population and advancement in the medical technology and increasing expectation of the people especially for quality curative care, it has now become imperative to provide quality health care services through the established institutions.

1.2 Upgradation of CHCs to Indian Public Health Standards (IPHS) is a major strategic intervention under the National Rural Health Mission (NHM). The purpose is to provide sustainable quality care with accountability and peoples participation alongwith total transparency.

2. Concept

2.1 Rogi Kalyan Samiti (Patient Welfare Committee) / Hospital Management Society is a simple yet effective management structure. This committee, which would be a registered society, acts as a group of trustees for the hospitals to manage the affairs of the hospital. It consists of members from local Panchayati Raj Institutions (PRIs), NGOs, local elected representatives and officials from Government sector who are responsible for proper functioning and management of the hospital / Community Health Centre / FRUs. RKS / HMS is free to prescribe, generate and use the funds with it as per its best judgement for smooth functioning and maintaining the quality of services.

3. Basic Structure

3.1 The suggested composition of RKS / HMS is as follows:
RKS / HMS would be a registered society set up in all District Hospitals / Sub District Hospitals / CHCs / FRUs. It may consist of the following members:-

- Peoples representatives MLA / MP
- Health officials (including an Ayush doctor)
- Local district officials
- Leading members of the community
- Local CHC/ FRU in-charge
- Representatives of the Indian Medical Association
- Members of the local bodies and Panchayati Raj representative
- Leading donors

3.2 The RKS/HMS will not function as a Government agency, but as an NGO as far as functioning is concerned. It may utilize all Government assets and services to impose user charges and shall be free to determine the quantum of charges on the basis of local circumstances. It may also raise funds additionally through donations, loans from financial institutions, grants from government as well as other donor agencies. Moreover, funds received by the RKS / HMS will not be deposited in the State exchequer but will be available to be spent by the Executive Committee constituted by the RKS/HMS. Private organizations offering high tech services like pathology, MRI, CAT SCAN, Sonography etc. could be permitted to set up their units within the hospital premises in return for providing their services at a rate fixed by the RKS/ HMS.

- Representatives of institutional members, if any
- Additional members as may be co-opted by the executive Body

5.7.1 Meetings of the Executive Committee shall be convened by the Member Secretary by giving clear seven days notice in writing along with the Agenda specifying the business to be transacted, the date, time and venue of the meeting.

Frequency of meetings: Once every month

5.8 Regular Agenda

- Review of the OPD and IPD service performance of the hospital in the last month and service delivery targets for the next month.
- Review of the outreach work performed during the last month and outreach work scheduled for the next month.
- Consider reports of the Monitoring Committee for remedial action
- Implementation of the Citizens Charter

The minutes of the Executive Committee meetings will be placed before the Governing Body at its next meeting.

5.9 Monitoring Committee

A Monitoring Committee could be constituted by the Governing Body to visit hospital wards and collect patient feedback. The Committee would send a monthly monitoring report to the District Collector and Chairperson, Zilla Parishad.

5.10 Bodies of the Society for sub-district level hospitals

5.10.1 Governing Body

Chairperson	Sub Divisional Magistrate / Block Development Officer, Panchayat Samiti
Co-chair	District programme officer (deputy CMO or equivalent) in charge
Member-Secretary	A Senior Medical Officer of the Hospital, nominated by Officer-incharge of the hospital Superintendent of the hospital

Members:

- fficer-in-charge of the hospital
- An AYUSH doctor from a CHC
- Block level officers of ICDS, rural development, Panchayati Raj, Water and sanitation, education and social welfare
- Representative of health sector NGO working in the area
- An eminent citizen from the town / city, nominated by the District Collector
- An eminent citizen from the town / city, nominated by the Chairperson, Panchayat Samiti, Chief Executive Officer, Nagar Nigam (if applicable)
- Associate members/Institutional members: Same as for District Hospital Society
- PRI representative

Frequency of meetings and regular agenda: Same as for district hospital society

5.10.2 Executive Committee

Chairperson	:	Officer in charge of the hospital
Member secretary	:	Member Secretary of the Governing Body (Medical Officer of the Hospital, nominated by officer in charge Superintendent of the Hospital

Members:

- Two PRI representatives to the Governing Body
- District Collector / SDM's nominee to the Governing Body
- Block level officers of ICDS, Water and sanitation and education
- Representatives of institutional members, if any

Frequency of meetings and regular agenda: Same as for district hospital society

5.10.3 Monitoring Committee

Could be on the same pattern as in District Hospital.

5.11 Provision of enabling rights, vesting assets & authorizing services

The Govt. may authorize transfer of existing facilities and assets free of cost and without any liability to the RKS / HMS of the concerned hospital. In most hospitals, the principle reasons for malfunctioning and deteriorating services are the inability to spend on new infrastructure for upgradation & modernization, paucity of funds for emergencies, gross mismanagement of resources and lack of motivation. Being a service oriented facility, it needs to permit and grant specific rights to allow freedom for operations and management. The RKS / HMS should be enabled with the decision making right to invest in order to meet service requirements. As mentioned above, user charges should be introduced, as it is believed that excellent health care on a continuous basis cannot be ensured without adequate financial provisions. Appropriate relaxations for BPL patients to be ensured, as per State policy.

5.12 Resource Mobilization

The funds of the Society shall consist of the following:

- Grant-in-aid from the State Government and/or State level society (societies) in the health sector and/or District Health Society.
- Grants and donations from trade, industry and individuals.
- Receipts from such user fees as may be introduced for the services rendered by the hospital.
- Receipts from disposal of assets.

5.13 Accounts and Audit

- The Society shall cause regular accounts to be kept of all its monies and properties in respect of the affairs of the Society.
- The accounts of the Society shall be audited annually by a Chartered Accountant firm included in the panel of Chartered Accountants drawn by the designated authority of the State Government.
- The report of such audit shall be communicated by the auditor to the Society, which shall submit a copy of the Audit Report along with its observation to the District Collector.
- Any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Society to the Auditors.